नगर परिषद सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2017 से 31.03.2019
भाग–एक

1 (क) प्रारम्भिक

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81 फिन (एल0ए0) खण्ड–IV दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01.04.2017 से 31.03.2019 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद में निम्न प्रधान व कार्यकारी अधिकारी कार्यरत रहेः–

(i) प्रधान

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री पवन गुप्ता	1.4.2017 से 16.6.2017 तक
2	श्रीमती मीरा आनन्द	17.6.2017 से 30.6.2017 तक
3	श्री दविन्द्र ठाकुर	1.7.2017 से 31.3.2019 तक

(ii) कार्यकारी अधिकारी

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री बी0आर0 नेगी	1.4.17 से 15.2.18 तक
2	श्री उत्तम चन्द शर्मा	16.2.18 से 23.3.18 तक
3	श्री नरेन्द्र चौहान	27.3.18 से 3.04.18 तक
4	श्री सुधीर शर्मा	4.4.18 से 27.4.18 तक
5	श्री नरेन्द्र चौहान	28.4.18 से 7.6.18 तक
6	श्री विवेक कुमार	8.6.18 से 25.6.18 तक
7	श्री सुधीर शर्मा	25.6.18 से 29.9.18 तक
8	श्री नारायण सिंह चौहान तहसीलदार	3.10.18 से 23.2.19 तक
9	श्री गुरमीत जी नेगी तहसीलदार	28.02.19 से 31.3.19 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

नगर परिषद सोलन के लेखाओं अवधि 01.04.2017 से 31.3.2019 तक के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	**अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**पैरा सं0**	**राशि (लाखों में)**
1	आय के चैक अस्वीकार होने पर देय राशि की वसूली के कारण नगर परिषद को हानि	4 (घ) (2)	25.12
2	रोकड़ बही व बैंक शेष में अन्तर का मिलान न करना	4 (घ) (3)	0.19
3	स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय से अधिक व्यय करने का स्त्रोत स्पष्ट न करना	4 (ङ)	457.31
4	सावधि योजना में निवेशित राशियों पर कम ब्याज की प्राप्ति के कारण वित्तीय हानि	5 (ii)	10.58
5	दिनांक 31.3.2019 को अनुदानों की राशि व्यय हेतु शेष	6 (ख)	705.78
6	नगर परिषद द्वारा गृहकर अधिरोपित न करने के फलस्वरूप वित्तीय हानि	7	1542.39
7	मलवहन कर (Conservancy Tax) की बकाया वसूली हेतु शेष	8	214.57
8	जल प्रभार की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	8 (क)	81.25
9	नगर परिषद कोष को जल आपूर्ति की एवज में वित्तीय हानि	8 (ख)	1073.00
10	मोबाईल टावर की स्थापना/नवीनीकरण शुल्क वसूली हेतु शेष	12 (क)	8.29
11	पार्किंग शुल्क के रूप में वसूली हेतु शेष राशि	13 (क)	29.43
12	स्टॉलों/दुकानों के किराये की बकाया वसूली	14 (क)	138.29
13	हि0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1994 में दिए प्रावधानों के विपरीत स्थापना पर निर्धारित सीमा से अधिक व्यय करना	22	261.23
14	नगर परिषद निधि से ग्रैच्युटी का अनियमित भुगतान	23	19.80

15	नगर परिषद निधि से पैन्शन भुगतान पर अनियमित व्यय	24	715.42
16	अस्थाई अग्रिम समायोजन हेतु शेष	35	293.63
17	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को पानी के बिलों का भुगतान नियत तिथि के भीतर न करने के कारण नगर परिषद पर अधिभार का अतिरिक्त दायित्व होना	36 (ख)	157.36
18	जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा नगर परिषद को औसत जल आपूर्ति (गिरि नदी) के बिलों में संदेहास्पद अधिक राशि दर्शाना	36 (ग)	90.00
19	निर्माण कार्यों में अधिक भुगतान	37 (क) (iv)	0.76

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित करें तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए, ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

नगर परिषद के लेखाओं अवधि 1.4.2017 से 31.3.2019 तक का वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण श्री अनिल कुमार, सहायक नियन्त्रक एवं श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी द्वारा अवधि 26.07.2019 से 12.12.2019 तक के दौरान नगर परिषद के सोलन स्थित कार्यालय में किया गया। विस्तृत अंकेक्षण हेतु आय के लिए माह 3/18 व 03/19 तथा व्यय के लिए माह 10/17 व 4/18 के लेखाओं का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर परिषद सोलन के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख व सूचनाओं पर आधारित है। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के गलत व अपूर्ण होने अथवा उपलब्ध न होने

की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, उत्तरदायी नहीं होगा, क्योंकि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण केवल चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क

नगर परिषद के लेखाओं अवधि 01.04.2017 से 31.03.2019 तक के अंकेक्षण का शुल्क ₹136000 आँका गया, जिसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा अदा करने हेतु कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद से अधियाचना संख्याः 50, दिनांक 12.12.2019 द्वारा अनुरोध किया गया था। अतः अंकेक्षण शुल्क की राशि को शीघ्र बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

4 वित्तीय स्थिति

(क) नगर परिषद सोलन के लेखाओं अवधि 01.04.2017 से 31.03.2019 तक की वित्तीय स्थिति यथा **परिशिष्ट "i, ii"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर निम्नानुसार हैः–

वित्तीय वर्ष	आय का स्त्रोत	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	ब्याज (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2017–18	स्वःस्त्रोत	(–) 30553687.21	102974673.95	2165008.00	74585994.74	133724847.90	(–) 59138853.16
	अनुदान	88192535.00	133338567.70	––	221531102.70	109751844.00	111779258.70
	कुल योग	**57638847.79**	**236313241.65**	**2165008.00**	**296117097.44**	**243476691.90**	**52640405.54**
2018–19	स्वःस्त्रोत	(–) 59138853.16	106048792.30	1382328.00	48292267.14	94023846.30	(–)45731579.16
	अनुदान	111779258.70	91675737.00	––	203454995.70	132877226.70	70577769.00
	कुल योग	**52640405.54**	**197724529.30**	**1382328.00**	**251747262.84**	**226901073.00**	**24846189.84**
	दिनांक 31.3.19 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तिम शेष						₹24846189.84
	दिनांक 31.3.19 को बैंक पास बुकों के अनुसार जमा शेष (निम्न पैरा 4.2 में वर्णित विवरणानुसार)						₹34375541.32
	रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर (बैंक में अधिक जमा)						₹9529351.48

(ख) दिनांक 31.3.2019 तक बैंक खातों व सावधि योजना में निवेशित राशियों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Name of Bank	**Account Number**	**Total Balance as on 31st March-2019 (₹)**	**Nature of A/C current/Saving/FDRs**
Cash in hand		1137429.00	

Axis Bank	11228	2658704.20	Saving
Bank of Baroda	30030100002031	1229.00	Saving
Canara Bank	1189214000001	4124382.00	Current
IDBI Solan	733104000000019	3073718.10	Saving
IDBI Solan	733104000009942	4727744.99	Saving
Indian Overseas Bank	117	14336.80	Saving
Bhartiya Mahila Bank	101600098976	503692.00	Saving
SBOP Solan	55080123350	3593157.41	Current
SBOP Solan	55080128257	63351.91	Saving
Jogindra Central Co-op	16858	44113.00	Saving
FDR SBOP	0	195641.00	FDR
SBOP Solan	55080161476	9369.93	Saving
FDR UCO Bank	0	10000000.00	FDR
FDR UCO Bank	0	43254.00	FDR
HUDCO UCO	11247	265438.03	Saving
HUDCO UCO	11246	58288.56	Saving
HUDCO UCO	11245	47940.53	Saving
HDFC Bank	85	1838817.25	Saving
HDFC Bank	5448	1076217.25	Saving
Parwanoo Urban Co-op Bank	3100	141398.00	Current
The Baghat Urban Co-op, Bank	631	181714.50	Current
The Baghat Urban Co-op, Bank	1908	47445.00	Current

Dena Bank	2663	119054.02	Saving
IDBI Solan	11611	316379.00	Saving
Indusilnd Bank	100047056472	92725.84	Saving
	Grand Total	34375541.32	

(ग) बैंक समाधान विवरणी (Bank Reconciliation Statement)

विवरण				**राशि (₹)**
दिनांक 31.03.2019 को बैंक खातों के अनुसार जमा शेष				34375541.32
जमा				
1 वह राशि जिसका निजी दुर्घटना बीमा के रूप में नगर परिषद कार्यालय द्वारा भुगतान तो किया गया है किन्तु सम्बन्धित कर्मचारियों से इस राशि की कटौती नहीं की गई व अधिक वेतन अदायगी				(+) 4805.00
2 पैन्शन की वह राशि जिसे बैंक ने दिनांक 31.3.2009 को डेबिट तो कर दिया है किन्तु यह राशि रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं की गई (गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/15 से 3/17 के पैरा संख्याः 4.2 में वर्णित बैंक समाधान विवरणी के जमा भाग की क्रम संख्या 2 के अनुसार)				(+) 175243.00
3 बैंक में जमा आय जिसका क्रेडिट बैंक द्वारा दिनांक 31.3.2019 के पश्चात प्रदान किया गया				
	चैक नं0	**दिनांक**	**राशि (₹)**	
(i)	941568	30.03.2019	182.00	
(ii)	855194	30.03.2019	786.00	
(iii)	858562	30.03.2019	393.00	
(iv)	800921	30.03.2019	9450.00	
(v)	658828	30.03.2019	11740.00	
			22551.00	**(+) 22551.00**
4 ₹190 की आय के बैंक में जमा चैक (संख्या 373751 दिनांक 20.12.2012) का बैंक द्वारा ₹110 ही क्रेडिट प्रदान किया गया।				(+) 80.00
5 ₹285 की आय के बैंक में जमा का चैक (संख्या 252137				(+) 5.00

दिनांक 15.05.2012) का बैंक द्वारा ₹280 ही क्रेडिट प्रदान किया गया				
6 ₹3250 का भुगतान हेतु जारी चैक (संख्या 044899 दिनांक 07.09.2011) परन्तु बैंक द्वारा ₹3530 का भुगतान कर दिया गया				(+) 280.00
7 टी0सी0एस0 राशि जोकि पालिका निधि खाते से अदा की गई				(+) 136435.00
(नोटः– इस राशि को नगर परिषद द्वारा लेखा बही में दर्ज नहीं किया गया था)				
8 आय के चैक जो बाउंस होने पर बैंक द्वारा लौटा दिए गए परन्तु रोकड़ बही में दिनांक 31.3.19 तक कोई प्रविष्टि नहीं की गई				
चैक सं0	दिनांक	राशि (₹)		
327110	10.6.11	63730		
66310	17.1.12	234000		
66593	10.3.13	162000		
66594	12.3.12	125000		
66595	15.3.12	125000		
66596	15.3.12	125000		
252137	14.8.12	4800		
936748	12.8.12	8580		
692117	31.12.12	1983		
392978	20.9.16	1100		
908643	20.09.16	50000		
908643	28.11.16	2552		
197859	3.12.16	6704		
785521	3.12.16	97		
785521	18.1.17	225		
471994	13.2.17	15450		
60171	14.2.17	2915		
753257	3.4.17	50000		
2503	26.4.17	10000		

173908	27.4.17	1500		
275169	24.5.17	10000		
689564	28.6.17	20700		
23979	15.1.18	15000		
33	20.1.18	9020		
1265	23.1.18	22690		
228944	25.4.18	20000		
1324	6.6.18	118000		
54385	3.7.18	2900		
717610	25.7.18	15115		
717610	30.8.18	3590		
52433	15.9.18	500		
52436	15.9.18	500		
937621	8.10.18	93800		
010395 (double entered)	15.11.18	1882		
65411	22.11.18	500		
880598	13.3.19	1831		
43623	26.03.19	500		
26550	16.2.12	280		
954618	25.4.13	1408		
45211	26.2.13	1500		
549974	7.9.17	1000		
647924	26.9.17	888		
647923	26.9.17	1586		
2011	264.18	11038		
421320	11.6.18	4703		

637364	19.6.18	708		
41880	23.7.18	100000		
729776	23.7.18	1000		
957490	23.7.18	10251		
114125	23.7.18	3381		
134092	26.9.18	581		
36935	11.10.18	292		
25721	20.11.18	12008		
15267	27.11.18	654		
89332	29.01.19	10000		
320411	22.7.14	62194		
175373	10.8.14	153000		
379386	25.11.14	2315		
203946	18.10.14	20000		
747536	2.2.15	1500		
678691	30.01.15	10000		
5692	27.3.15	134250		
98589	12.5.15	1163		
871679	9.9.15	36280		
669403	27.11.15	20000		
391842	21.12.15	2700		
756031	29.9.15	500		
851276	12.1.16	4270		
851277	12.1.16	2790		
743211	19.1.16	1548		
198278	16.4.16	11500		
165772	10.5.16	17739		
931010	10.6.16	1779		

95494	3.8.16	27689		
108460	14.9.16	8000		
108	18.11.16	4000		
130	23.11.16	1100		
61936	19.12.17	11500		
चैक सं0	दिनांक	राशि		
310122	12.5.13	5000		
310123	12.5.13	5000		
042557	10.7.13	13433		
13267	15.10.13	5000		
771184	23.12.13	5000		
45929	1.10.13	8325		
296218	3.01.14	1880		
173183	28.12.13	400000		
700518	10.1.14	20000		
665585	1.3.14	20000		
425871	18.3.14	4415		
		2512312		(+) **2512312.00**
			कुल योग	**37227252.32**
घटाव				
1 बघाट को0ओ0 बैंक खाता संख्या 631 जिसका अन्तिम शेष रोकड़ बही में नहीं लिया गया (गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/15 से 03/17 के पैरा 4.2 में वर्णित बैंक समाधान विवरणी के घटाव भाग में क्रम संख्या 1 के अनुसार)				(–) 2326.50
2 बैंक खाते में अधिक राशि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित (गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/15 से 03/17 के पैरा संख्याः 4.2 में वर्णित बैंक समाधान विवरणी के जमा भाग की क्रम संख्या 2 के अनुसार)				(–) 2265.03
3 ठेकेदारों को देय वह राशि जिसकी रोकड़ बही में बुकिंग 31.03.2019 से पूर्व की गई व दिनांक 31.03.2019 तक इस राशि का भुगतान ठेकेदारों को				(–) 332325.00

नहीं किया गया है					
4 वर्ष 2007–2009 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई बैंक खातों व रोकड़ बही के शेषों में भिन्नता (गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/15 से 03/17 के पैरा संख्याः 4.2 में वर्णित बैंक समाधान विवरणी के जमा भाग की क्रम संख्या 4 के अनुसार)					(–) 879518.73
5 भुगतान हेतु जारी किये गये चैक जिनको 31.3.2019 तक भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत नहीं किया गया					7062567.00
चैक संख्या	**दिनांक**	**राशि (₹)**	**बैंक द्वारा भुगतान करने की तिथि**		
22101	13.7.2011	2844	–		
9954	5.12.12	400			
9984	29.12.12	171			
32	15.7.13	1530			
10362	9.7.13	2486			
10365	9.7.13	387			
67895	20.9.17	144998			
70762	3.11.17	370616			
73858	16.12.17	355733			
73776	12.1.18	160			
73817	12.2.18	3000			
77810	5.5.18	4000			
77820	5.5.18	7500			
77823	5.5.18	500			
77831	7.5.18	36742			
78567	5.9.18	743			
83519	5.11.18	1000			
PAIS Ded.	1.1.19	11120			
PAIS Ded.	5.1.19	560			

PAIS Ded.	1.2.19	240			
87226	5.2.19	92			
87336	30.3.19	509944			
87283	20.2.19	8800			
87290	20.2.19	8800			
87313	7.3.19	1000			
107981	15.7.13	22263			
108009	19.7.13	1285			
354760	21.6.17	5100			
354763	21.6.17	5100			
354776	22.6.17	802			
378952	1.1.18	23258			
614093	14.8.18	1857			
665980	27.2.19	488770			
14874	23.5.16	250			
14875	23.5.16	250			
14881	23.5.16	250			
14894	23.5.16	250			
14896	23.5.16	250			
14911	23.5.16	250			
421829	18.2.16	1500			
Salary Ded.	2.4.16	277			
75153	12.3.18	29817			
75185	16.5.18	7048			
75229	13.6.18	500			
87399	30.3.19	5000000			
87395	7.3.19	124			
		7062567.00			(–) **7062567.00**
6 ठेकेदारों के बिलों से विभिन्न शीर्षों (Security, Sales tax, GST, TDS) के					

अन्तर्गत दिनांक 31.3.19 तक काटी गई राशि जिसका रोकड़ बही में भुगतान दर्शाया गया था परन्तु वास्तविकता में बैंक से 31.3.2019 तक भुगतान नहीं किया गया था।			
(नोटः— इस राशि को नगर परिषद द्वारा लेखा बहियों में नहीं लिया गया था)			
मद / शीर्षक	**राशि (₹)**		
प्रतिभूति	2826074		
स्त्रोत पर आयकर	9131		
बिक्रीकर	26484		
सर्विस टैक्स	823580		
जी0एस0टी0	394865		
	4083134		**(—) 4083134.00**
7 बैंक में जमा आय ₹1560 का चैक (संख्या 343125 दिनांक 28.01.2013) बैंक द्वारा ₹1566 क्रेडिट प्रदान किया गया (गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/15 से 3/17 के पैरा संख्याः 4.2 में वर्णित बैंक समाधान विवरणी के घटाव भाग की क्रम संख्या 7 के अनुसार)			(—) 6.00
8 बैंक खाते में अधिक जमा राशि / भिन्नता / अन्तर			(—) 18919.90
नगर परिषद की लेखा बहियों / वितीय स्थिति के अनुसार 31.03.2019 को अन्तिम शेष			24846189.84

(घ) बैंक समाधान विवरणी का अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित टिप्पणियां अपेक्षित हैः—

(1) भुगतान हेतु जारी ₹10.33 लाख के कालातीत चैकों का समाधान / वसूली न करना

नगर परिषद द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत दिनांक 31.03.2019 तक की बैक समाधान विवरणिका के घटा व भाग की क्रम संख्या 5 के अनुसार भुगतान हेतु जारी ₹7062567 के चैक जिनका बैंक द्वारा 31.03.2019 तक भुगतान नहीं किया गया था, परन्तु इन चेकों में से निम्न थे जोकि अब कालातीत हो चुके है। अतः इन चैकों की बैंक से भुगतान की पुष्टि करने के उपरान्त रोकड़ बही में रिवर्स प्रविष्टि करके अन्तर का समाधान सुनिश्चित किया जाये और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेः—

चैक सं0	दिनांक	राशि (₹)
22101	13-7-2011	2844
9954	5/12/2012	400
9984	29-12-2012	171
32	15--07-2013	1530
10362	9/7/2013	2486
10365	9/7/2013	387
67895	20-09-2017	144998
70762	3/11/2017	370616
73858	16-12-2017	355733
73776	12/1/2018	160
73817	12/2/2018	3000
77810	5/5/2018	4000
77820	5/5/2018	7500
77823	5/5/2018	500
77831	7/5/2018	36742
78567	5/9/2018	743
83519	5/11/2018	1000
107981	15-07-2013	22263
108009	19-07-2013	1285
354760	21-06-2017	5100
354763	21-06-2017	5100
354776	22-06-2017	802
378952	1/1/2018	23258
614093	14-08-2018	1857
14874	23-05-2016	250
14875	23-05-2016	250
14881	23-05-2016	250
14894	23-05-2016	250
14896	23-05-2016	250
14911	23-05-2016	250
421829	18-02-16	1500
Salary Ded.	4/2/2016	277
75153	12/3/2018	29817
75185	16-05-2018	7048
75229	13-06-2018	500
Total		2062443
		(-)1029326
		1033117

(2) बैंकों द्वारा आय के अस्वीकार चैकों ₹25.12 लाख की वसूली हेतु परिषद द्वारा उचित कार्रवाई न करना

(i) प्राप्त आय के कालातीत चैकों ₹9.60 लाख का समाधान न करना

नगर परिषद द्वारा लेखा परीक्षा को प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणिका के अनुसार निम्न विवरणानुसार प्राप्त ₹960245 के चैकों को बैंक द्वारा या तो बाउंस करके नगर परिषद को वापिस दिया गया था था या जमा ही प्रदान नहीं किया गया था परन्तु परिषद त्मअमतेम प्रविष्टि करके न तो अन्तर का समाधान किया गया था और न ही इन चैकों से प्राप्त राशि को सम्बन्धित से पुनः वसूली ही किया गया था अपितु इन चैकों को पिछले कई वर्षों से बैंक समाधान विवरणिका में दर्शाया जा रहा है जोकि गम्भीर अनियमितता है चूंकि अब वर्णित चैक कालातीत हो चुके है इसलिए इन चैकों की रोकड़ बही में reverse प्रविष्टि करने के अतिरिक्त मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर में पुनः मांग दर्ज करके देय राशि की वसूली सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

चैक सं0	दिनांक	राशि (₹)
392978	20-9-16	1100
875128	20-9-16	50000
908643	28-11-2016	2552
188416	03.12.2016	6704
197859	04.01.2017	97
785521	18-01-2017	225
888540	13-02-2017	15450
471994	14-02-2017	2915
60171	3/4/2017	50000
753257	26-04-2017	10000
2503	27-04-2017	1500
173908	24-05-2017	10000
275169	28-06-2017	20700
689564	15-01-2018	15000
23979	20-01-2018	9020
33	23-01-2018	22690
1265	25-04-2018	20000
228944	6/6/2018	118000
1324	03.07.2018	2900
54385	25-07-2018	15115
717610	30-08-2018	3590

52433	15-09-2018	500
52436	15-09-2018	500
937621	8/10/2018	93800
65411	22-11-2018	500
880598	13-03-2019	1831
43623	26-03-2019	500
954618	25-4-2013	1408
549974	7/9/2017	1000
647924	26-09-2017	888
647923	26-09-2017	1586
2011	26-04-2018	11038
421320	11/6/2018	4703
637364	19-06-2018	708
41880	23-07-2018	100000
729776	23-07-2018	1000
957490	23-07-2018	10251
114125	23-07-2018	3381
134092	26-09-2018	581
36935	11/10/2018	292
25721	20-11-2018	12008
15267	27-11-2018	654
89332	29-01-2019	10000
175373	10-08--2014	153000
203946	18-10-2014	20000
98589	12/5/2015	1163
871679	9/9/2015	36280
669403	27-11-2015	20000
391842	21-12-2015	2700
756031	29-09-2015	500
851276	12/1/2016	4270
851277	12/1/2016	2790
743211	19-01-2016	1548
198278	16-04-2016	11500
165772	10/5/2016	17739
931010	10/6/2016	1779
95494	3/8/2016	27689
108460	14-09-2016	8000
108	18-11-2016	4000
130	23-11-2016	1100
61936	19-12-2017	11500
	कुल योग	**960245**

(ii) श्री संदीप सिंह, ठेकेदार द्वारा कार पार्किंग फीस ₹834730 निम्न चैकों के माध्यम से नगर परिषद में जमा की गई थी और इन चैकों को बैंक द्वारा रद्द (Bounce) करके नगर परिषद को

वापिस लौटा दिया गया था परन्तु इन अस्वीकार चैकों की राशि को पार्किंग फीस के खाते में देय बकाया के रूप में नहीं दर्शाया गया था। चर्चा के दौरान अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इन चैकों की राशि की वसूली हेतु माननीय न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है। अतः उपरोक्त पार्किंग फीस की बकाया राशि को अभिलेख में वसूली हेतु बकाया दर्शाने के अतिरिक्त देय राशि की वसूली भी सुनिश्चित की जाए। इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी यह आपत्ति उठाई गई थी परन्तु नगर परिषद द्वारा अपेक्षित कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई जोकि एक गम्भीर चिन्ता का विषय है।

चैक संख्या	दिनांक	राशि (₹)
327110	10.6.2011	63730
0063310	17.1.2012	234000
0066593	10.3.2012	162000
0066594	12.3.2012	125000
0066595	13.3.2012	125000
0066596	19.3.2012	125000
	कुल योग	**834730**

(iii) सफाई कर ₹0.29 लाख के बैंक में जमा चैकों को बैंक द्वारा (आय) वापिस करने के कारण सम्बन्धित अभिलेख में पुनः मांग दर्ज व वसूली न करना

निम्न चैकों के माध्यम से नगर परिषद बैंक खाते में उपभोक्ताओं द्वारा देय सफाई कर ₹29253 का भुगतान कर के जमा किया गया था परन्तु इन चेकों को बैंक द्वारा अस्वीकार करने के उपरान्त परिषद द्वारा इस सम्बन्ध में अभिलेख में मांग पुनः जीवित करते हुए राशि की वसूली हेतु अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई थी जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः इस प्रकरण में उचित कार्रवाई करते हुए अपेक्षित अभिलेख में राशि की पुनः मांग दर्शाकर वसूली करना सुनिश्चित किया जाए। इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी यह आपत्ति उठाई गई थी परन्तु नगर परिषद द्वारा कोई भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई जोकि एक गम्भीर चिन्ता का विषय हैः–

चैक संख्या	दिनांक	राशि (₹)
379386	25.11.2014	2315
936748	12.8.2012	8580

252137	14.8.2012	4800
692117	31.12.2012	1983
296218	2.1.2014	1880
425871	18.3.2014	4415
013267	29.11.2013	5000
265500	16.2.2012	280
	कुल योग	**₹29253**

(iv) आय प्राप्ति का चैक संख्या 045929 दिनांक 1.10.2013 =₹8325 को नगर परिषद द्वारा बैंक खाते में जमा किया गया था परन्तु इसे बैंक द्वारा अस्वीकार/बाउंस कर वापिस लौटा दिया गया जिसमें से नगर परिषद द्वारा केवल ₹8000 को रसीद संख्या 396/38 दिनांक 3.2.2014 द्वारा प्राप्त कर लिया गया था जबकि शेष बकाया ₹325 को न तो सम्बन्धित खाते में बकाया दर्शाया गया और न ही सम्बन्धित से वसूली की गई जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए इस सन्दर्भ में अब अपेक्षित कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण में सत्यापना करवाई जानी सुनिश्चित की जाए। इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी यह आपत्ति उठाई गई थी परन्तु नगर परिषद द्वारा अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई जोकि एक गम्भीर चिन्ता का विषय है।

(v) चैक संख्या 692117 दिनांक 31.12.2012 ₹1983 का प्राप्त हुआ और यह चैक बैंक द्वारा अस्वीकार/बाउंस कर दिया गया था। अभिलेखों की जाँच करने पर पाया कि इस बाउंस चैक के स्थान पर उपभोक्ता ने दिनांक 4.3.2015 को रसीद संख्या 457/88 द्वारा नगद राशि जमा करवा दी गई परन्तु नगर परिषद द्वारा अपनी रोकड़ में उक्त रद्द (Bounce) चैक की Reverse Entry नहीं की गई। अतः इस सन्दर्भ में अब अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करके अन्तर का समाधान किया जाए जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(vi) जल प्रभार (आय) से सम्बन्धित ₹0.66 लाख के प्राप्त व बैंक में जमा चैकों को बैंक द्वारा वापिस करने के कारण परिषद द्वारा सम्बन्धित अभिलेख में पुनः मांग दर्ज व वसूली न करना

निम्न चैकों के माध्यम से नगर परिषद के बैंक खाते में उपभोक्ताओं द्वारा देय जल प्रभार ₹66433 का भुगतान करके जमा किया गया था परन्तु इन चैकों को बैंक द्वारा स्वीकार न करने के कारण सम्बन्धित उपभोक्ताओं के खाते में देय प्रभार की राशि को पुनः मांग दर्शाई जानी व रोकड़ बही में अपेक्षित प्रविष्टि की जानी अपेक्षित थी, लेकिन परिषद द्वारा न तो

उपभोक्ताओं के खातों में जल प्रभार की राशि की पुनः मांग दर्ज की गई और न ही बैंक द्वारा वापिस चैकों पर वसूली हेतु अपेक्षित कार्रवाई व रोकड़ बही में प्रविष्टियाँ की गई। अतः इस प्रकरण में अब अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

चैक संख्या	दिनांक	राशि (₹)
045211	26.2.2013	1500
747536	2.2.2015	1500
678691	30.1.2015	10000
042557	10.7.2013	13433
665585	1.3.2014	20000
700518	10.1.2014	20000
	कुल योग	**₹66433**

(vii) कार पार्किंग फीस ₹534250 के प्राप्त चैकों के सन्दर्भ में अंकेक्षण टिप्पणियाँ

नगर परिषद को निम्नलिखित चैकों के माध्यम से ₹534250 की कार पार्किंग फीस प्राप्त हुई जिसे बैंक खाते में जमा करवाया गया थाः—

चैक संख्या	दिनांक	फर्म/व्यक्ति का नाम	राशि (₹)
005692	26.3.2015	श्री करणजीत सिंह	134250
173186	28.12.2013	श्री गौरव	400000
		योग	**₹534250**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त दोनों वर्णित चैकों को बैंक द्वारा अस्वीकार/बाउंस कर वापिस लौटाया गया तथा इनमें से चैक संख्या 805692 दिनांक 26.3.2015 = ₹134250, जोकि श्री करणजीत सिंह से प्राप्त हुआ था, की वसूली उनके निर्माण कार्य बिल से की गई दर्शाई गई थी, परन्तु राशि की वसूली किस निर्माण कार्य बिल से की गई उससे सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में वसूल राशि की अंकेक्षण में सत्यापना सम्भव न हो सकी। अतः सम्बन्धित अभिलेख पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाए अन्यथा वर्णित राशि की तुरन्त वसूली करके नगर परिषद निधि में जमा करवाकर तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त श्री गौरव से पार्किंग शुल्क के रूप में प्राप्त चैक संख्या 173186 दिनांक 28.12.2013 400000 को भी बैंक द्वारा अस्वीकार/बाउंस कर दिया था जिसकी वसूली नगर परिषद द्वारा श्री गौरव से नहीं की गई थी अपितु ₹400000 की वसूली के लिए प्रकरण माननीय न्यायालय में दायर किया गया था जोकि अभी तक न्यायालय में विचाराधीन है। अतः इस सन्दर्भ में न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(viii) चैक संख्या 771184 दिनांक 23.12.2013 ₹5000

उक्त चैक श्री वजिन्द्र ठाकुर अध्यक्ष सिरमौर स्टूडैन्ट एसोसिएशन से रेस्ट हाउस की बुकिंग के लिए प्रतिभूति राशि के रूप में प्राप्त हुआ था तथा यह चैक बैंक द्वारा रद्द (बाउंस) कर दिया गया जिसके फलस्वरूप यह प्रतिभूति ₹5000 सम्बन्धित से वसूली जानी थी, परन्तु नगर परिषद द्वारा प्रतिभूति पुनः से वसूल नहीं की गई और न ही रोकड़ बही में कोई प्रविष्टि की गई जोकि एक गम्भीर अनियमितता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए इस सन्दर्भ में अब अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ix) चैक संख्या 310122 तथा 310123 दिनांक 12.5.2013 प्रत्येक ₹5000

उक्त चैक श्री उदेय से रेस्ट हाउस हॉल की बुकिंग के लिए ₹5000 किराये तथा ₹5000 प्रतिभूति राशि के रूप में प्राप्त हुए तथा दोनों चैक बेंक द्वारा अस्वीकार/बाउंस किए गए जिसके कारण चेक वापिस नगर परिषद को लौटाए गए परन्तु इन राशियों की वसूली पुनः सम्बन्धित से नहीं की गई। परिणामतः नगर परिषद को वित्तीय नुकसान हुआ। अतः वर्णित देय राशि की वसूली शीघ्र सम्बन्धित से सुनिश्चित करके नगर परिषद कोष में जमा की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(x) चैक संख्या 320411 दिनांक 22.7.2014 ₹62194

यह चैक M.E.S. से रसीद संख्या 834/54 के अन्तर्गत प्राप्त हुआ था और बैंक समाधान विवरणिका के अनुसार यह चैक अस्वीकार/बाउंस दर्शाया गया हैं नगर परिषद प्रशासन अंकेक्षण को यह स्पष्ट नहीं कर सका कि इस राशि की पुनः वसूली कर ली गई या नहीं ? क्योंकि मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर में इसका कोई विवरण नहीं दर्शाया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा वर्णित राशि की सम्बन्धित से वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(3) बैंक और रोकड़ बही के शेषों के मिलान में पाए गए ₹18920.22 के अन्तर का समाधान न करना

नगर परिषद द्वारा वर्ष 2017–18 व 2018–19 की प्रस्तुत वित्तीय स्थिति तथा bank reconciliation की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2019 को बैंक और रोकड़ बही के शेषों में ₹18919.90 के अन्तर का समाधान नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त बैंक समाधान विवरणी के जमा भाग की क्रम संख्याः 2 पर ₹175243 तथा घटा व भाग की क्रम संख्याः 1 व 2 पर क्रमशः ₹2326.50 व ₹2265.03 तथा क्रम संख्या 4 पर ₹879518.73 के गत वर्षों से दर्शाए जा रहे अन्तर/भिन्नता का भी दिनांक 31.03.19 तक कोई समाधान नहीं किया गया था जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए इस सन्दर्भ में अब अपेक्षित कार्यवाही करके सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जानी सुनिश्चित की जाये।

(4) आय ₹1882 के प्राप्त चैक की रोकड़ बही में दो बार गणना करना

बैंक समाधान विवरणिका के अनुसार नगर परिषद द्वारा प्राप्त आय ₹1882 के चैक संख्याः 010395 दिनांक 15.11.18 की रोकड़ बही में दो बार प्रविटि/गणना करने के कारण ₹1882 की आय अधिक दर्शाई भी जिसका समाधान दिनांक 31.3.19 तक नहीं किया गया था। अतः इस सन्दर्भ में अब अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करके अन्तर का समाधान किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

(5) बैंक समाधान विवरणी में ₹4.74 लाख के अन्तर का दर्शाया गया समाधान के समर्थन में सुस्पष्ट विवरण/औचित्य को स्पष्ट न करना

अंकेक्षण को प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणी के जमा भाग के क्रम संख्या 1 व 7 तथा घटाव भाग के क्रम संख्या 3 पर दर्शाए गए राशि क्रमशः ₹4805, ₹136435 व ₹332325=कुल ₹473565 के अन्तर समाधान के समर्थन में सुस्पष्ट विवरण/औचित्य अंकेक्षण को स्पष्ट नहीं किया गया जिसके अभाव में बैंक समाधान विवरणी का इस हद तक अंकेक्षण में सत्यापन सम्भव न हो सका। अतः इस सन्दर्भ में अब अपेक्षित कार्यवाही करके सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(6) बैक द्वारा ₹85 की आय का कम जमा प्रदान करना तथा ₹280 के भुगतान का अधिक नाम (Debit) प्रभारित करना

बैंक समाधान विवरणी के क्रम संख्या 4 व 5 पर बैंक द्वारा क्रमशः ₹80 व ₹5= कुल ₹80 की आय का कम जमा प्रदान किया गया था जबकि क्रम संख्याः 6 पर बैंक द्वारा ₹280 के भुगतान को परिषद के बचत खाते में अधिक Debit किया गया था जिसके समाधान हेतु परिषद द्वारा दिनांक 31.3.19 तक कोई कार्यवाही नहीं की गई थी जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्णित प्रकरण को अब सम्बन्धित बैंक से उठाकर अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ङ) अंकेक्षण अवधि के दौरान स्वयं स्त्रोतों से प्राप्त आय से ₹457.31 लाख का अधिक व्यय का स्त्रोत स्पष्ट न करना

नगर परिषद के वर्ष 2017–18 व 2018–19 के लेखों के अवलोकन करने पर पाया गया कि परिषद द्वारा स्वयं संसाधनों से कुल प्राप्त आय के विरूद्ध दिनांक 31.3.19 तक निम्न विवरणानुसार ₹45731579.12 का व्यय अधिक किया गया थाः–

वित्त वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान स्वयं संसाधनों से प्राप्ति (₹)	वर्ष के दौरान स्वयं संसाधनों पर व्यय (₹)	प्राप्ति से अधिक व्यय (₹)
2017–18	(–) 30553687.21	105139682.00	133724847.90	(–) 59138853.12
2018–19	(–) 59138853.12	107431120.30	94023846.30	(–) 45731579.12

स्वयं संसाधनों से उपलब्ध राशि से अधिक व्यय करने हेतु राशि की उपलब्धता के स्त्रोत का प्रकरण कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद सोलन के ध्यान में चर्चा के दौरान लाया गया था परन्तु अंकेक्षण को इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। अतः स्वयं संसाधनो की वास्तविक प्राप्ति से अधिक व्यय करने का स्त्रोत सहित औचित्य स्पष्ट करते हुए नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

5 सावधि निवेश

(i) नगर परिषद द्वारा यथा **परिशिष्ट "ग"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.19 को निम्न विवरणानुसार ₹63677816 सावधि जमा में निवेशित थेः–

शीर्ष	निवेशित राशि (₹)
Provident fund	25116920
Contributory pension scheme	28322001
Municipal fund	10238895
कुल योग	**63677816**

अतः सावधि जमा परिपक्वता तिथि को भुनाना या पुनः निवेश करना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) विभिन्न सावधि निवेशों पर ₹1058361 (763557 + 294804) ब्याज के रूप में आय की कम प्राप्ति

नगर परिषद द्वारा विभिन्न सावधि निवेशों की परिपक्वता पर प्राप्त ब्याज का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि सम्बन्धित बैंकों द्वारा निम्नानुसार ₹1058361 के ब्याज का कम जमा प्रदान किया गया था जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ग–2"** पर भी वर्णित है। इस सन्दर्भ में बैंकों द्वारा सावधि निवेशो पर ब्याज जमा प्रदान करते समय स्त्रोत पर आयकर की कटौती कर ली गई हो, इस सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है, परन्तु ऐसी कटौती आयकर अधिनियम की धारा 194 में वर्णित प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है क्योंकि परिषद की आय आयकर से मुक्त है। यह अनियमितता अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02 दिनांक 04.10.19 द्वारा नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक न तो नगर परिषद द्वारा इस सन्दर्भ में कृत कार्यवाही से अवगत करवाया गया तथा न ही कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया अपितु चर्चा के दौरान अवगत करवाया गया कि मामला सम्बन्धित बैंकों के समक्ष उठाकर कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः इस बारे में अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाएः–

(क) अवधि 04/2015 से 03/2017 तक

वर्ष	शीर्ष	ब्याज की कम प्राप्त राशि (₹)
2015–16 एवं 2016–17	Provident Fund	232157
2015–16 एवं 2016–17	Contributory pension scheme	93507
2015–16 एवं 2016–17	Municipal Fund	437893
	कुल योग	**763557**

(ख) अवधि 04/2017 से 03/2019 तक

वर्ष	शीर्ष	ब्याज की कम प्राप्त राशि (₹)
2017–18 एवं 2018–19	Provident Fund	198664
2017–18 एवं 2018–19	Contributory pension scheme	10970
2017–18 एवं 2018–19	Municipal Fund	85170
	कुल योग	**294804**

(iii) अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि नगर परिषद द्वारा सावधि जमा में निवेशित अधिकतम राशियों पर अर्जित ब्याज को प्रत्येक तिमाही (quarter) में नगर परिषद के Saving accounts में हस्तांतरित करके जमा किया जा रहा है जिसके कारण नगर परिषद को सावधि जमा पर चक्रवृद्धि ब्याज के लाभ से वंचित होने पर निरन्तर रूप से वित्तीय हानि हो रही है। अतः परामर्श दिया जाता है कि यदि परिषद को तुरन्त वित्तीय आवश्यकता न हो तो प्रत्येक Quarter के उपरान्त अर्जित ब्याज को सावधि में ही निवेशित रहने दिया जाये ताकि नगर परिषद को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में अधिक आय की प्राप्ति हो सके।

(iv) उपरोक्त के अतिरिक्त यह सुझाव भी दिया जाता है कि सामयिक आवश्यकता की राशि के अतिरिक्त उपलब्ध राशि को एक माह से एक वर्ष तक की अल्पावधि बैंक सावधि जमा योजनाओं में निवेश किया जाये ताकि नगर परिषद को ब्याज के रूप में अधिक आय प्राप्त हो सके।

(v) इसके अतिरिक्त अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निजी बैंकों में बैंक बचत व सावधि जमा खाते खोले गए है जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिक से अधिक अतिरिक्त धन को सहकारी बैंकों में जमा रखा जाना अपेक्षित है। अतः समय–2 पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 अनुदान

नगर परिषद सोलन द्वारा अवधि 1.4.2017 से 31.3.2019 के दौरान प्राप्त अनुदानों व इस अवधि में किए गए व्यय तथा दिनांक 31.3.2019 को अन्तशेष का विवरण **परिशिष्ट "V (1) व V (2)"** पर दिया गया है।

(क) दो वर्षों से अधिक की समयावधि व्यतीत होने के उपरान्त भी अनुदान ₹491.99 लाख का उपयोग न करना

वर्ष 2016–17 से पूर्व अवधि के अनुदानों की शेष ₹88192535 में से ₹21066324 वर्ष 2017–18 व ₹17926854 वर्ष 2018–19 के दौरान व्यय की गई थी तथा इस राशि में से ₹49199357 दिनांक 31.3.2019 को उपयोग हेतु थी। अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृति पत्रों के अनुसार यह राशियाँ आमतौर पर एक या दो वर्ष की अवधि के भीतर उपयोग की जानी अपेक्षित होती है। अतः वर्णित अनुपयोग अनुदान राशियों को या तो उन्हीं स्त्रोतों को जहां से प्राप्त हुई है लौटाया जाना अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करते हुए निर्धारित उद्देश्यों हेतु उपयोग करना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(ख) दिनांक 31.3.2019 तक अनुदानों की ₹705.78 लाख उपयोग हेतु शेष

अंकेक्षणाधीन अवधि वर्ष 2017–18 व 2018–19 के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त ₹225014304.70 के अनुदान में से परिषद द्वारा केवल ₹203635892.70 ही उपयोग/व्यय किए गए थे एवं अंकेक्षणाधीन अवधि से पूर्व वर्षों की शेष अनुपयोग अनुदान ₹88192535 में से उपयोग/व्यय हेतु ₹49199357 सहित दिनांक 31.3.2019 को कुल अनुदान ₹70577769 उपयोग हेतु शेष थी। अतः अनुदान राशि सम्बन्धित वर्षों में व्यय न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुपयोग अनुदान राशि को सक्षम अधिकारी से व्यय हेतु अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त कर उन्हीं उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित करें, जिन उद्देश्यों हेतु राशि स्वीकृत की गई थी अन्यथा अनुपयोग अनुदान राशि को सम्बन्धित संस्था को वापिस किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(ग) नगर परिषद की सीमा में sewrage line बिछाने के लिए हि0प्र0 सरकार से ₹20000000 का अनुदान प्राप्त हुआ था तथा अंकेक्षण में लेखों की जाँच करने पर पाया गया कि वर्णित अनुदान परिषद को अंकेक्षण अवधि से पूर्व वर्षों में प्राप्त हुआ था परन्तु दिनांक 31.03.19 तक राशि को निर्धारित उद्देश्य हेतु खर्च नहीं किया गया जिसके कारण जहाँ शहर वासियों को प्राप्त होने वाली सुविधा से वंचित रहना पड़ा वहीं अनुदान निधि का भी अनावश्यक अवरोधन हुआ है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए प्राप्त अनुदान राशि का निर्धारित उद्देश्यों हेतु उपयोग

सुनिश्चित किया जाए अन्यथा इसे सम्बन्धित स्त्रोत को वापिस लौटाया जाये तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

(घ) इसी प्रकार नगर परिषद को Solid Waste Management (SWM) हेतु हि0प्र0 सरकार से ₹7698609 का अनुदान प्राप्त हुआ था तथा अंकेक्षण में लेखों की जाँच करने पर पाया गया कि वर्णित अनुदान परिषद को अंकेक्षण अवधि से पूर्व वर्षों में प्रापत हुआ था परन्तु दिनांक 31.03.19 तक राशि को निर्धारित उद्देश्य हेतु खर्च नहीं किया गया था जिसके कारण जहां शहर वासियों को प्राप्त होने वाली सुविधा से वंचित रहना पड़ा वहीं अनुदान निधि का भी अनावश्यक अवरोधन हुआ है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए अनुदान का निर्धारित उद्देश्यों हेतु उपयोग सुनिश्चित किया जाए अन्यथा इसे सम्बन्धित स्त्रोत को वापिस लौटाया जाये तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाया जाये। यह प्रकरण कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद के ध्यान में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी लाया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक अनुदान को निर्धारित उद्देश्य हेतु खर्च नहीं किया गया जोकि नगर परिषद की लचर कार्य प्रणाली को परिलक्षित करता है।

(ङ) नगर परिषद को निदेशक, शहरी विकास विभाग, शिमला से रेलवे रोड पर कार पार्किंग के निर्माण हेतु ₹2.95 करोड़ का अनुदान दिनांक 2.11.16 को प्राप्त हुआ था जिसमें से वर्ष 2017–18 में ₹10000000 तथा वर्ष 2018–19 में ₹5000000 ही खर्च किए तथा नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार यह निर्माण कार्य अभी तक पूर्ण नही हुआ है बल्कि निर्माणाधीन है जबकि लगभग तीन वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है। अतः नगर परिषद इस निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने हेतु अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि शहर वासियों को इस सुविधा का समय पर लाभ प्राप्त हो सके।

(च) प्राप्त अनुदानों में से ₹457.32 लाख का अनियमित रूप से निर्धारित उद्देश्य की अपेक्षा अन्य उद्देश्य पर व्यय करना

अंकेक्षण पैरा (ङ) में वर्णित विवरणानुसार परिषद द्वारा वर्ष 2017–18 व 2018–19 के दौरान ₹45731579.12 का व्यय स्वयं संसाधनों की आय प्राप्ति से अधिक किया गया था जिसका स्त्रोत अंकेक्षण को स्पष्ट नहीं किया गया तथा ऐसा प्रतीत होता है कि परिषद द्वारा सरकारी अनुदानों की प्राप्त राशियों को divert करके निर्धारित उद्देश्यों की अपेक्षा किसी अन्य उद्देश्यों हेतु ₹457.32 लाख का व्यय किया गया है जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अनुदान राशि की शीघ्र

उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में सरकारी अनुदानों की प्राप्त राशियों को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु ही व्यय किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

7 सरकार के निर्देशानुसार निर्धारित गृहकर दरानुसार गृहकरदाताओं से मांग व वसूली न करने के कारण राजस्व हानि

हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट, 1994 की धारा 65 में वर्णित प्रावधानों को पूर्णतया लागू करने हेतु निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा समय–2 पर जारी निर्देशों के बावजूद भी नगर परिषद द्वारा गृहकर अधिरोपित नहीं किया गया था। अंकेक्षण द्वारा पूर्व अंकेक्षण अवधि 4/2002 से 3/2007 तथा इसके उपरान्त सभी अंकेक्षण प्रतिवेदनों में यह प्रकरण परिषद के ध्यान में निरन्तर लाया जाता रहा है परन्तु इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई जोकि इस प्रकरण के प्रति नगर परिषद की उदासीनता व लचर कार्यशैली को परिलक्षित करता है जिसके कारण परिषद को निरन्तर राजस्व हानि उठानी पड़ रही है जिसका दिनांक 31.3.2017 तक लगभग ₹132177439 का आंकलन किया गया था जोकि **परिशिष्ट "ङ"** में वर्णित विवरणानुसार दिनांक 31.3.2019 तक बढ़कर ₹154238955 आंका गया है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 31 दिनांक 27.11.19 द्वारा कार्यकारी अधिकारी से वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके सन्दर्भ में नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत उत्तर सन्तोषप्रद नहीं पाया गया। अतः नगर परिषदों की आय बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा बार–बार इस सन्दर्भ में दिशा निर्देश जारी करने के बावजूद भी परिषद परिक्षेत्र में गृहकर अधिरोपित न करने को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस सन्दर्भ में अब अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 सफाई शुल्क

(क) दिनांक 31.03.19 को सफाई शुल्क (Conservancy tax) ₹214.57 लाख वसूली हेतु शेष

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट "च"** पर प्रस्तुत विवरणी के अनुसार दिनांक 31.3.2019 को सफाई कर की बकाया ₹21456691 वसूली योग्य शेष थी जोकि गम्भीर अनियमितता है क्योंकि इतनी अधिक राशि वसूली हेतु शेष होना नगर परिषद की लचर कार्य प्रणाली को परिलक्षित करता हे जिसके कारण परिषद को नियमित रूप से हानि हो रही है। अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त बकाया राशि की वसूली हेतु

प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार ठोस कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) सफाई शुल्क ₹0.16 लाख की कम वसूली करना

सफाई शुल्क की प्राप्ति से सम्बन्धित कुछ प्रकरणों का चयनित आधार पर अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार सम्बन्धित आवासियों से ₹15997 सफाई शुल्क की कम वसूली की गई थी जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिसका या तो औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित राशि की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करने के अतिरिक्त भविष्य में परिषद द्वारा इस बारे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि परिषद कोष को वित्तीय हानि से बचाया जा सकेः–

नाम	रसीद संख्या/दिनांक	वार्ड संख्या	बकाया सफाई शुल्क (₹)	प्राप्त शुल्क (₹)	कम प्राप्त शुल्क (₹)	जिस तिथि से शुल्क बकाया है (₹)
Naval Kishore	729/54/3/19	12	49444	45565	3879	07/12
Rachna	731/66/03/19	7	23370	22800	570	12/17
Ritu meni	649/92/03/18	2	106518	94970	11548	02/02
				कुल योग	**15997**	

(ग) सफाई कर (Conervancy tax) की वर्तमान दरों के आधार पर वसूली न करना

सफाई कर की प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख के test check के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा कई निवासियों से वार्षिक सफाई कर की बहुत कम वसूली की जा रही थी। चर्चा के दौरान अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि निवासियों से पुरानी दरों पर निर्धारित सफाई कर के आधार पर देय राशि की वसूली की जा रही है जोकि वर्तमान दरों के अनुसार संशोधित नहीं की गई है। वर्तमान निर्धारित दरों पर सफाई शुल्क की वसूली न किया जाना गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिसके कारण परिषद को निरन्तर राजस्व हानि उठानी पड़ रही है। आज की तिथि में सफाई कर की वसूली काफी अधिक दर के आधार पर की जाती है। उदाहरण के लिए एक मकान जिसके किसी तल का क्षेत्रफल लगभग 50 वर्गमीटर है तो उस तल का वार्षिक सफाई कर वर्तमान दर के अनुसार ₹2115 (50 वर्ग मीटर x 9400 प्रति वर्ग मीटर/10–10% x 5%) बनता है जबकि पुरानी दरों के अनुसार निर्धारित वार्षिक सफाई शुल्क

की निम्न विवरणानुसार काफी कम वसूली की जा रही है। इस सन्दर्भ में नगर परिषद द्वारा मौखिक रूप से अंकेक्षण को यह भी अवगत करवाया गया कि पुरानी दरों पर निर्धारित सफाई कर की समीक्षा एवं उनके पुनः निर्धारण करने हेतु उनके पास कोई भी दिशा निर्देश नहीं है। अतः पुरानी दरों पर निर्धारित सफाई कर के आधार पर वर्तमान में कर वसूली को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित पुरानी दरों पर निर्धारित सफाई कर एवं सफाई कर दर की समीक्षा के लिए मामला सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उठाया जाये ताकि नगर पालिका की आय में बढ़ौतरी हो सके और कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

माह	**रसीद संख्या**	**नाम**	**सफाई शुल्क (₹)**
03/18	725/92	जय सिंह	110
	726/42	प्रेमा देवी	50
	726/75	तेजमान	315
	727/5	मुकंद सिंह	200
	727/7	राजेन्द्र सिंह	80
	727/25	कृष्ण चन्द	70
	727/81	दयावन्ती	420
	727/89	जसवन्त कौर	145
	728/08	धनीराम बहादुर	248
	728/39	शीश राम	130
	728/73	दुर्गा दत्त	187
	728/90	तुलाराम व अन्य	155
	728/92	अरूण व अन्य	135
	729/44	कुल राकेश पन्त	33
	729/57	ए0के0 साहनी	275
	729/19	नं0प0/C/O प्रकाश चन्द	5

(घ) सफाई कर निर्धारण से सम्बन्धित अनियमितता

अंकेक्षण के दौरान सफाई कर के निर्धारण से सम्बन्धित निम्न प्रकरणों की चयनित आधार पर जाँच करने के दौरान पाया गया कि सफाई कर के निर्धारण हेतु जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वह उचित प्रतीत नहीं होती है। नगर परिषद गृह स्वामी को अनापत्ति प्रमाण पत्र

जारी करने से पूर्व सर्वप्रथम वार्षिक सफाई कर का निर्धारण करके देय राशि की वसूली की जाती है तथा सफाई कर निर्धारण हेतु नव निर्मित भवन के क्षेत्रफल के साथ–2 वह भूमि जिस पर भवन निर्मित किया गया है उसकी कीमत को भी गणना में लिया जाता है जो सफाई कर के निर्धारण हेतु आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में घोषित जमीन की कीमत पर आधारित होती है परन्तु आवेदन पत्र के साथ प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ऐसा कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं किया जा रहा है जिससे घोषित की गई भूमि की कीमत के सही होने की पुष्टि अंकेक्षण में की जा सके जिसके अभाव में निर्धारित सफाई कर का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव नहीं हो सका तथा ऐसी स्थिति में नगर परिषद कोष को नियमित राजस्व हानि होने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः इस सन्दर्भ में अब अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करके कृत कार्यवाही की सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाएः–

नाम	**आवेदन में घोषित की गई भूमि की कीमत (₹)**	**निर्धारित सफाई कर (₹)**
श्री मोहन लाल पुत्र ज्वाला प्रसाद, वार्ड संख्या 10	2000000	36075
श्री ओ0पी0 साहनी व अमित साहनी ओपी सीट कोर्ट, माल रोड	1000000	41725

(ङ) पिछले कई वर्षों से सफाई शुल्क की वसूली न करना

सफाई शुल्क के मांग एवं प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख की चयनित आधार पर जाँच करने के दौरान पाया गया कि परिषद क्षेत्र के कई आवासियों से लाखों रूपये के देय सफाई शुल्क की वसूली पिछले कई वर्षों से नहीं की गई थी जिससे सम्बन्धित कुछ प्रकरण **परिशिष्ट "छ"** पर दर्शाये गए है तथा अन्य ऐसे प्रकरणों की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है जिन्हें परिषद अपने स्त्तर पर चिन्हित करके उनसे भी देय बकाया शुल्क की अविलम्ब वसूली की जानी सुनिश्चित की जाएं।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 20 एवं 23 दिनांक 02.11.19 तथा 34 दिनांक 30.11.19 द्वारा उपरोक्त अनियमितताएं नगर परिषद के ध्यान में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाई गई थी जिसके प्रतिउत्तर में परिषद द्वारा शीघ्र आवश्यक कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया। अतः उपरोक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 जल प्रभार से सम्बन्धित अनियमितताएं

(क) जल प्रभार की बकाया ₹81.21 लाख वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद को उपभोक्ताओं द्वारा पानी के बिलों का भुगतान नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है जिसके कारण परिषद द्वारा यथा **परिशिष्ट "ञ"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2019 को विभिन्न उपभोक्ताओं से जल प्रभार के रूप में ₹8120706 की वसूली शेष थी जिससे यह भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि अभी तक नगर परिषद द्वारा बकाया जल प्रभार की वसूली हेतु कोई भी ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा रही है परिणामतः परिषद को सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को पानी की आपूर्ति से सम्बन्धित बिलों की देय बकाया राशि मे भी वर्ष प्रति वर्ष वृद्धि होती जा रही है और परिषद की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर रही है। अतः परामर्श दिया जाता है कि जल प्रभार की बकाया राशि की वसूली हेतु प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार ठोस कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(ख) नगर परिषद कोष को जल आपूर्ति की एवज में ₹1073.30 लाख की वित्तीय हानि होना

नगर परिषद द्वारा परिषद क्षेत्र में उपभोक्ताओं को पानी की आपूर्ति सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग सोलन से समय–समय पर निर्धारित दरों पर जल की आपूर्ति प्राप्त करके की जाती है। इस सन्दर्भ में नगर परिषद द्वारा यथा **परिशिष्ट "ज" तथा "झ"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा नगर परिषद को ₹173096324 (75579679 + 97516645) जल आपूर्ति के बिल अधिभार सहित जारी किए गए थे जबकि नगर परिषद द्वारा उपभोक्तओं को ₹65766014 (31091077 + 34674937) के बिल जारी किए गए जिससे स्पष्ट विदित होता है कि जल आपूर्ति खाते में नगर परिषद को अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹107330310 (173096324 – 65766014) की वित्तीय हानि उठानी पड़ी जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी यह गम्भीर प्रकरण नगर परिषद के ध्यान में लाया गया था ताकि इस सन्दर्भ में शीघ्र अतिशीघ्र ठोस कार्यवाही अमल में लाई जा सके परन्तु स्पष्टतया अभी तक इस बारे में कोई भी ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है जबकि नगर परिषद कोष पर लगातार वित्तीय भार बढ़ता जा रहा है। अतः यह प्रकरण पुनः पूर्ण छानबीन उपरान्त आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में लाया जाता है ताकि परिषद कोष को हो रही निरन्तर हानि से बचाया जा सके।

(ग) उपभोक्ताओं से वसूली हेतु अत्याधिक राशि शेष होना

जल प्रभार के मांग एवं प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख के test check के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.03.19 को परिषद क्षेत्र के कुछ उपभोक्ताओं से ही जल प्रभार की अत्याधिक बकाया ₹4245115 वसूली हेतु शेष थी जोकि कुल बकाया राशि के आधे से अधिक है तथा जिसका सम्पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "ट"** पर दर्शाया गया है। अतः सम्बन्धित उपभोक्ताओं से बकाया राशि की वसूली हेतु नियमानुसार ठोस कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) उपभोक्ताओ को औसत के आधार पर जल प्रभार से सम्बन्धित बिल जारी करना

जल प्रभार की प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख का चयनित आधार पर अवलोकन करने के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्न उपभोक्ताओं को औसत के आधार पर जल प्रभार के उपयोग से सम्बन्धित बिल जारी किए जा रहे है जिस सन्दर्भ में चर्चा के दौरान एवं लिखित उत्तर द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को औसत के आधार पर बिल जारी किए गए थे जिनके वाटर मीटर खराब है तथा वह नए मीटर लगवाने में असमर्थ है। नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया क्योंकि लम्बी अवधि तक औसत आधार पर जल प्रभार बिल जारी करना नियमानुसार औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता तथा ऐसे में किसी वित्तीय हानि की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः इस सन्दर्भ में अब नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए ताकि औसत आधार की अपेक्षा वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर सही जल प्रभार की वसूली सम्भव हो सके और भविष्य में किसी वित्तीय हानि की सम्भावना को नकारा जा सकेः–

खाता सं0	मासिक औसत बिल (₹)
C-(6)-65	1914
B (3)-153-b	660
C (7)-58	1320
D (8)-307	578
B (S)-384	462
E (11)-184	545
F (12)-177	545
F(11)-398	2538
B(S)-394	509

E(10)-238	1452
C(6)-119	508

(ङ) जल प्रभार प्राप्ति के सन्दर्भ में computerized रसीदें जारी करना

नगर परिषद के जल प्रभार की वसूली से सम्बन्धि अभिलेख की पड़ताल करने के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा जल प्रभार की प्राप्ति की एवज में computerized रसीदें प्रत्येक दिन क्रम संख्या एक से आरम्भ करके उस दिन जितने उपभोक्ता जल प्रभार जमा करवाते है उतनी संख्या तक रसीदे जारी कर दी जाती है। उदाहरण के लिए यदि किसी दिन 116 उपभोक्ता बिल जमा करवाते है तो उस दिन 116 रसीदें कर दी जाती है। इस प्रकार प्रत्येक दिन यह क्रम दोहराया जाता है जिससे स्पष्ट विदित होता है कि नगर परिषद द्वारा रसीदें जारी करने हेतु जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसमें रसीदें क्रमवार जारी न करने के कारण क्रम की निरन्तता की पड़ताल करना सम्भव नहीं होता है तथा ऐसे में किसी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। इस सन्दर्भ में परिषद द्वारा प्रस्तुत लिखित उत्तर भी सन्तोषप्रद नहीं पाया गया। अतः इस सन्दर्भ में पूर्ण छानबीन उपरान्त Software में आवश्यक सुधार करना सुनिश्चित किया जाए ताकि भविष्य में किसी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना को नकारा जा सके।

(च) जल प्रभार शुल्क ₹0.05 लाख की वसूली न करना

जल प्रभार की मांग एवं प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख का चयनित आधार पर अवलोकन करने के दौरान पाया गया कि बिल संख्या 162 दिनांक 26.02.2019 के अनुसार पूर्व एवं वर्तमान जल प्रभार सहित उपभोक्ता (खाता संख्या B (4) 21) से ₹6669 देय बनते थे जबकि रसीद संख्या 42 दिनांक 29.03.19 द्वारा केवल ₹2000 की वसूली की गई थी परन्तु कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी ₹4669 की कम वसूली किए जाने के सन्दर्भ में अंकेक्षण को स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। अतः इस सन्दर्भ में अब अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापित करवाई जाए।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 26 एवं 18 दिनांक क्रमशः 19.11.19 एवं 02.11.19 द्वारा उपरोक्त अनियमितताएं परिषद के ध्यान में आवश्यक कार्यवाही हेतु लाई गई थी जिसके सन्दर्भ में परिषद द्वारा प्रस्तुत उत्तर सन्तोषप्रद नहीं पाये गये। अतः उपरोक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

10 शराब शुल्क

नगर परिषद द्वारा यथा **परिशिष्ट "ड"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग हिमाचल प्रदेश से परिषद क्षेत्र में बेची गई शराब की बोतलों पर एक रूपया प्रति बोतल की दर से प्राप्त शराब शुल्क का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

अवधि	राशि (₹)	पत्र संख्या एवं दिनांक
2015–16	2446043	EXN-SLN-Cash-3173 dated 01.04.2017
2016–17	2508357	EXN-SLN-Cash-15280 dated 31.10.2017
2017–18	2840703	RTGS-10.01.19

उक्त शराब शुल्क प्राप्ति से सम्बन्धित निम्नलिखित अंकेक्षण टिप्पणियाँ अपेक्षित हैः–

(i) परिषद को सम्बन्धित विभाग से वर्ष 2018–19 हेतु देय शराब शुल्क की प्राप्ति नहीं हुई थी जिसके सन्दर्भ में अब अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(ii) शराब शुल्क की प्राप्ति से सम्बन्धित न तो उपरोक्त सन्दर्भित पत्र अवलोकन हेतु और न ही सम्बन्धित अभिलेख/पंजिका आदि जिसमें शराब शुल्क के वर्षवार प्राप्ति से सम्बन्धित लेखा दर्ज हो अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया जिसके अभाव में प्राप्त शुल्क का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः इस सन्दर्भ में अब अपेक्षित कार्यवाही करके सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(iii) नगर परिषद क्षेत्र में प्रतिवर्ष कितनी शराब की बोतलों का विक्रय किया गया था इससे सम्बन्धित कोई भी विवरण/अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण उपरोक्त वर्णित प्राप्त राशियां के सही होने की पुष्टि अंकेक्षण में सम्भव नहीं हो सकी। अतः वर्णित सूचना/अभिलेख एकत्र करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 21 दिनांक 02.11.19 द्वारा भी उपरोक्त अनियमितताएं नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इनके सन्दर्भ में कोई भी उतर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उपरोक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 प्रदर्शन शुल्क की बकाया ₹1.27 लाख वसूली हेतु शेष

नगर परिषद द्वारा यथा **परिशिष्ट "ढ"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना का सम्बन्धित पंजिका के साथ अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.03.19 को सुंदरायन सिनेमा से निम्न विवरणानुसार ₹126700 प्रदर्शन शुल्क की बकाया वसूली हेतु शेष थीः–

वित्तीय वर्ष	बकाया राशि (₹)	वर्ष के दौरान बकाया राशि	कुल योग (₹)	वर्ष के दौरान ₹50 प्रति शो की दर से प्राप्ति	बकाया राशि
2017–18	39550	54750 (365 x 3 शो प्रतिदिन x ₹50 प्रति शो)	94300	0	94300
2018–19	94300	54750 (365 x 3 शो प्रतिदिन x ₹50 प्रति शो)	149050	22350	126700

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 17 दिनांक 02.11.19 द्वारा उपरोक्त बकाया राशि की वसूली न किये जाने के सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके सन्दर्भ में नगर परिषद द्वारा कोई भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार बकाया वसूली हेतु ठोस कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 मोबाईल टावर नवीनीकरण शुल्क

(क)मोबाईल टावर नवीनीकरण शुल्क ₹8.29 लाख वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण के दौरान परिषद द्वारा यथा **परिशिष्ट "ण"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.19 को विभिन्न मोबाईल कम्पनियों से वार्षिक नवीनीकरण शुल्क ₹829539 वसूली हेतु शेष था तथा नगर परिषद द्वारा वर्णित शुल्क की नियमित वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही थी जोकि गम्भीर अनियमितता है। अतः वर्णित बकाया शुल्क की वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर ठोस कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(ख) नवीनीकरण शुल्क विलम्ब से जमा करवाने के कारण देय penalty की वसूली न करना

अधिसूचना संख्याः DIT-Dev-(IT) 2005 (Misc.)-96, Department of information Technology, Government of Himachal Pradesh, Dated 21st June, 2017 के पैरा संख्या 3. 4 (vi) (b) में विहित निर्देशों के अनुसार यदि वार्षिक नवीनीकरण शुल्क का भुगतान देय तिथि से 30 दिन के पश्चात किया जाता है तो उस स्थिति में सम्बन्धित Service provider से 5% प्रति सप्ताह की दर से विलम्ब शुल्क (penalty) की वसूली की जानी अपेक्षित है परन्तु मोबाईल टावर नवीनीकरण शुल्क की वसूली से सम्बन्धित अभिलेख के test check के दौरान पाया गया कि अधिकतम mobile service operators से नवीनीकरण शुल्क का भुगतान विलम्ब से प्राप्त हुआ था परन्तु परिषद द्वारा उनसे विलम्ब शुल्क (penalty) की वसूली नहीं की गई थी जोकि अनियमित है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा देय पेनल्टी राशि की अपने स्त्तर पर गणना करके सम्बन्धित कम्पनी से वसूली सुनिश्चित की जाए।

(ग) मोबाईल कम्पनियों के अतिरिक्त anteenaa से सम्बन्धित अभिलेख का रख–रखाव एवं नियमानुसार देय शुल्क की वसूली न करना

अधिसूचना संख्याः DIT.Dev-(IT)2005 (Misc.)96, Department of Information Technology Government of Himachal Pradesh, Dated 21st June, 2017 के पैरा संख्या 3.4 (vi) (b) में विहित निर्देशों के अनुसार प्रत्येक अतिरिक्त antenna, जोकि mobile tower को Share करता है, की एवज में mobile tower के वार्षिक नवीनीकरण शुल्क के 60% के बराबर अतिरिक्त शुल्क की वसूली की जानी अपेक्षित है परन्तु कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी परिषद द्वारा विभिन्न mobile towers एवं उनके अतिरिक्त antennas की संख्या तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान इस हेतु देय शुल्क की वसूली के सन्दर्भ में कोई भी अभिलेख/सूचना अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि परिषद द्वारा न तो इस सन्दर्भ में अपेक्षित अभिलेख का रख–रखाव किया गया है तथा न ही देय शुल्क की कोई वसूली ही की गई थी। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त अनियमितताएं मौखिक रूप से एवं अंकेक्षण अधियाचना संख्या 15 दिनांक 31.10.19 द्वारा नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उपरोक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में अब अपेक्षित कार्यवाही एवं देय शुल्क की वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 पार्किंग स्थलों की नीलामी से प्राप्त आय का अंकेक्षण करने पर पाई गई अनियमितताएं

(क) पार्किंग नीलामी से ₹29.43 लाख वसूली हेतु शेष

नगर परिषद द्वारा यथा **परिशिष्ट "त"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अवलोकन करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा विभिन्न संविदाकारों से दिनांक 31.03.19 पार्किंग स्थलों की नीलामी से सम्बन्धित ₹2942972 (548752 + 2394220) वसूली हेतु शेष थे जोकि अनियमित है जिसके कारण नगर परिषद को न केवल उक्त राशि बल्कि इस राशि पर ब्याज की जो आय प्राप्त हो सकती थी उससे भी वंचित होना पड़ा है। अतः नियमानुसार बकाया राशि की वसूली हेतु ठोस कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(ख) नगर परिषद द्वारा पार्किंग स्थलों से सम्बन्धित सूचना (Notice) में विहित शर्तों का स्वयं पालन न करना

(i) नगर परिषद द्वारा पार्किंग स्थलों को नीलामी द्वारा आबंटन हेतु जारी सूचना में विहित शर्तो के अनुसार संविदाकारों से एक निश्चित राशि प्रतिभूति के रूप में वसूल की जानी अपेक्षित है जिसे ठेके की अवधि समाप्त होने के पश्चात पार्किंग स्थल के ठीक पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित संविदाकार को बिना किसी कटौती के लौटाया जाना अपेक्षित होता है परन्तु परिषद द्वारा समय से पूर्व ही प्रतिभूति राशि का समायोजन संविदाकार द्वारा नीलामी उपरान्त ठेके हेतु देय राशि में किया जा रहा था जोकि नीलामी की शर्तों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है तथा इस कारण परिषद के हित को अनदेखा करके संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया है। अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नीलामी की शर्तों की कढ़ाई से अनुपालना सुनिश्चित की जाए ताकि परिषद के हित पूर्णतः सुरक्षित रह सके।

(ii) नगर परिषद द्वारा पार्किंग स्थलों की नीलामी हेतु जारी सूचना में विहित शर्तों के अनुसार संविदाकारों से एक निश्चित राशि प्रतिभूति के रूप में वसूल की जानी अपेक्षित थी परन्तु निम्न तालिका में दर्शाए गए संविदाकारों से प्रतिभूति राशियाँ प्राप्त ही नहीं की गई थी जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाएः–

वर्ष	पार्किंग स्थल	संविदाकार का नाम
2017–18	Shishu park tank road	Sh. Raman Sharma
2018–19	Near M.C. Office	Sh. Durga Dutt
2018–19	Near Tank Road	Sh. Virender Thakur
2018–19	Near Purani Kachari	Sh. Naman Thakur

(iii) नगर परिषद द्वारा पार्किंग स्थलों के नीलामी हेतु जारी सूचना में विहित शर्त के अनुसार पार्किंग बोली जिसके हक में स्वीकृत होगी उसे एक वर्ष की नीलामी राशि बतौर अग्रिम उसी दिन जमा करवानी होगी, परन्तु दिनांक 31.03.19 को वसूली हेतु शेष उपरोक्त राशि से स्वयं स्पष्ट होता है कि परिषद द्वारा स्वयं ही इस शर्त को पूरा किए बिना ही संविदाकारों को पार्किंग स्थलों का आबंटन किया जा रहा है जोकि गम्भीर अनियमितता है तथा नगर परिषद की लचर कार्यप्रणाली को परिलक्षित करता है।

(ग) अनुबन्ध (agreement) से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत न करना

नीलामी सूचना में विहित शर्त के अनुसार नगर परिषद द्वारा पार्किंग स्थलों की नीलामी के पश्चात सम्बन्धित संविदाकारों के साथ अनुबन्ध किया जाना अपेक्षित है ताकि भविष्य में यदि किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे अनुबन्ध में विहित शर्तों के अनुसार सुलझाया जा सके तथा परिषद कोष को वित्तीय हानि से बचाया जा सके। अंकेक्षण के दौरान कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी निम्न पार्किग स्थलो की नीलामी उपरान्त संविदाकारों के साथ किए गए अनुबन्ध से सम्बन्धित दस्तावेज न तो अवलोकन हेतु अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए तथा न ही इस सन्दर्भ में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और ऐसी अवस्था में इस सम्भावना में भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि वर्णित अनुबन्ध कार्यान्वित ही न किए गए हो जोकि अनियमित होने के साथ–2 गम्भीर चिन्ता का विषय भी है। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाएः–

क्र0सं0	पार्किंग स्थल	संविदाकार का नाम	जितनी राशि पर पार्किंग स्थल ठेके पर दिया गया (₹)
1	Parking near M.C. Office	Sh. Raju	975000
2	Near old Bus Stand	Sh. Hemant	1035000
3	Below P.W.D. Rest	Sh. Rakesh	375000

	house	Bhaglani	
4	Working near woman hostel	Sh. Kamal Verma	30000
5	Below P.W.D. Rest houswe	Sh.Suraj Singh	351000
6	Near Kotla Nala	Sh. Vinay Bhagnal	171000
7	Near Tank Raoad	Sh.Virender Thakur	64000
8	Near old Bus Stand	Sh.Hemant	800000

(घ) पार्किंग स्थलों का आबंटन न करना

पार्किग स्थलों के आबंटन से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्न पार्किंग स्थलों की न तो नीलामी की गई थी तथा न ही कोई आय प्राप्त की गई थी जिसके कारण परिषद कोष को राजस्व हानि हो रही हैं। कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी इस सन्दर्भ मे वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए पार्किंग स्थलों की नियमानुसार नीलामी करके आबंटन करना सुनिश्चित किया जाए ताकि परिषद की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सके।

वर्ष	पार्किंग स्थल
2017–18	Parking near Saprroon
2017–18	Parking near Working Woman Hostel
2017–18	Parking near I.T.I.
2018–19	Near ITI

उपरोक्त अनियमितताएं अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13 दिनांक 31.10.19 द्वारा परिषद के ध्यान में लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इनके सन्दर्भ में कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उपरोक्त अनियमितिताओं के सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करके, अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14 **दुकानो/स्टालों के किराए से आय**

(क) दुकानों/स्टालों के किराए की बकाया ₹138.29 लाख वसूली हेतु शेष

नगर परिषद द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थित स्टालों/दुकानों के मासिक किराये की वसूली सम्बन्धित व्यवसायियों/कारोबारियों से नियमित रूप से नहीं की जा रही थी जिसके कारण 31.3.2019 को यथा **परिशिष्ट "च"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार ₹13829066 वसूली हेतु शेष थे जोकि गम्भीर अनियमितता है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित अभिलेख के test check के दौरान यह भी पाया गया कि मांग एवं प्राप्ति पंजिका में कई दुकान/स्टाल धारकों के किराये के निर्धारण, बकाया, प्राप्त तथा शेष सम्बन्धी प्रविष्टियाँ अद्यतन (update) नहीं की गई थी जिसके कारण दिनांक 31.03.19 को उक्त दर्शाई गई वसूली हेतु बकाया राशि सही प्रतीत नहीं होती है। अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करने के अतिरिक्त अपेक्षित अभिलेख का अद्यतन करते हुए बकाया राशि की वसूली हेतु भी नियमानुसार ठोस कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी प्राथमिकता के आधार पर अवगत करवाया जाए।

(ख) कामकाजी महिला आवास के लेखों का अंकेक्षण करने पर पाई गई अनियमितताएं

(i) उप निदेशक सामाजिक महिला एवं अनुसूचित जाति कल्याण हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या 59/75 wel-e दिनांक 03.04.2003 के अनुसार कामकाजी महिला आवास में सिंगल बैड हेतु कामकाजी महिला से उसके कुल वेतन का 15 प्रतिशत बतौर आवास शुल्क प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान कामकाजी महिला आवास पंजिका के अवलोकन पर पाया गया कि वर्ष 2017–18 में कुल 12 में से 11 तथा वर्ष 2018–19 में कुल 14 में से 10 कामकाजी महिलाओं से ₹570 मासिक किराए के रूप में वसूली की जा रही थी। कुल 26 में से 21 कामकाजी महिलाओं के किराए की राशि एक सामान होना स्पष्ट करता है कि उनका वेतन भी एक समान है जोकि संदेहास्पद प्रतीत होता हे। इसके अतिरिक्त नगर परिषद द्वारा लगभग सभी प्रकरणों से महिला आवासियों से उन्हें छात्रावास आबंटन के समय पर ही वेतन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है तथा उसके उपरान्त उनके द्वारा समय समय पर प्राप्त किये जा रहे वेतन की पुष्टि नहीं की जाती है जबकि ऐसी सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि प्रत्येक वर्ष उनके वेतन में वृद्धि होती हो जिसके फलस्वरूप उनके मासिक किराये में भी

यथानुसार बढ़ौतरी किया जाना अपेक्षित है जोकि परिषद द्वारा नहीं किया जा रहा था। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में प्रत्येक आवासीय महिला के नियोक्ता से प्रति वर्ष वेतन प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाए व नियमानुसार किराया निर्धारण भी तदानुसार ही किया जाए ताकि किराए में भी समय–समय पर वृद्धि सुनिश्चित हो सके और किसी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना को भी नकारा जा सके।

(ii) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न वर्णित महिलाओं को महिला आवास में ठहराव की सुविधा प्रदान की गई थी। कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी उनके वेतन प्रमाण पत्र अवलोकन हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके कारण इनसे प्राप्त मासिक किराया के सही होने की पुष्टि अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी। अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाएः–

क्र0सं0	महिला का नाम	मासिक किराया (₹)
1	मीनाक्षी	900
2	कल्पना	900

(iii) कामकाजी महिला आवास से सम्बन्धित पंजिका का रख–रखाव व अद्यतन सही ढ़ंग से नहीं किया जा रहा था। पंजिका में की गई प्रविष्टियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण प्रविष्टियाँ विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है। अतः इस सन्दर्भ में अब अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

उपरोक्त अनियमितताएं गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी परिषद के ध्यान में लाई गई थी परन्तु परिषद द्वारा इस सन्दर्भ में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी जोकि परिषद की लचर कार्यशैली को परिलक्षित करता है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12 दिनांक 31.10.2019 द्वारा भी उपरोक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस बारे अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई। अतः उपरोक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में अब अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण के दौरान कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी अंकेक्षण अवधि के दौरान परिषद द्वारा नव निर्मित दुकानों/स्टालों, उनके किराये के निर्धारण से सम्बन्धित दस्तावेज दिनांक 31.03.2019 को किराये पर दी गई एवं खाली कुल दुकानों/स्टालों की संख्या सम्बन्धी सूचना अवलोकन हेतु अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई। इसके अतिरिक्त test check हेतु मांगे

गए अनुबन्ध सम्बन्धी दस्तावेज जिनका विवरण **परिशिष्ट "घ"** में वर्णित है, भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि गम्भीर अनियमितता है क्योकि इसके अभाव में प्राप्त आय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त अनियमितताएं अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 16 दिनांक 02.11.19 द्वारा नगर परिषद के ध्यान में आवश्यक कार्यवाही हेतु लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इनके सन्दर्भ में कोई भी सन्तोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

15 भवन निर्माण नक्शा पारित शुल्क

अंकेक्षण के दौरान भवन निर्माण नक्शे पारित शुल्क से सम्बन्धित कुछ प्रकरणों के test check के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

(क) नक्शा पारित शुल्क ₹0.13 लाख की कम वसूली करना

नगर परिषद द्वारा गलत क्षेत्रफल (Area) के आधार पर गणना करने के कारण निम्न प्रकरणों में नक्शा पारित शुल्क के रूप में ₹12771 की कम वसूली की गई थी जोकि अनियमित है जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा ₹12771 की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

आवेदक का नाम	रसीद संख्या/दिनांक/ राशि	वास्तविकता में प्राप्त शुल्क (₹)	अपेक्षित देय शुल्क (₹)	कम प्राप्त शुल्क (₹)
Sh.Vikram Chandel Residential	807/76 19.01.18	Plot area= 427 sqm	Plot area = 427 sqm	3949
		Case processing fee for development of land = 427 sqm x 2.5/sqm=1068 Case Processing fee as per TCP	Case processing fee for development of land = 427 sqm x 2.5/sqm=1068	

		Norms=640.35 x 16 sqm=10246		
		Case processing fee for MC norms = 640.35 sqm x 2.5/sqm=1601	Case processing fee as per MC norms= 853.80 sqm x 2.5/sqm=2135	
		Case processing fee for change of land use = 427 sqm x 16/ sqm=6832	Case processing fee for Change of land use = 427 sqm x 16/sqm=6832	
		Stacking charges/security of map = 2000	Stacking charges/security of map = 2000	
		Total = 21747	Total = 25696	
Smt. Sita w/o Sh. Basti Ram Residential	769/99 dated 18.04.17	Plot area = 382 sqm	Plot area = 382 sqm	1590
		Case processing fee for development of land = 382 sqm x 2.5/sqm = 955	Case processing fee for development of land = 382 sqm x 2.5/sqm = 955	
		Case processing fee as per TCP norms = 636 sqm x 16/Sqm=10176	Case processing fee as per TCP norms = 636 sqm x 16/Sqm=10176	
		Case processing fee as per MC norms = 636 sqm x 2.5/sqm=Nil	Case processing fee as per MC norms = 636 sqm x 2.5/ sqm = 1590	
		Case processing fee for change of land = 382 sqm x 16/sqm=6112	Case processing fee for change of land =382 sqm x 16/sqm = 6112	

		Stacking charges/security of map = 2000	Stacking charges/security of map= 2000	
		Total=19243	**Total=20833**	
Sh. Amar Singh Residential/ commercial	914/l8 dated 22.3.19	Plot area = 834 sqm	Plot area = 834 sqm	6002
		Case processing fee for change of land = 834 sqm x 2.5/sqm=2085	Case processing fee for change of land =834 sqm x 2.5/sqm=2085	
		Case processing fee as per TCP norms = 1021.72 sqm x 16/sqm = 16348	Case processing fee as per TCP noms= 255.43 sqm (commercial) x 47=12005 766.29 sqm x 16/sqm=12261 (12005 + 12261)=24266	
		Case processing fee as per MC norms=1021.72 sqm x 5/sqm= 5109	Case processing fee as per MC norms= 255.43 sqm (commercial) x 5=1277 766.29 sqm x 2.5/sqm=1916 (1277 + 1916) = 3193	
		Case processing fee for change of land use= 834 sqm x	Case processing fee for change of land use=834 sqm x	

		16/sqm=13344	16/sqm=13344	
		Stacking charges/security of map=2000	Stacking charges/security of map=2000	
		Total=38886	Total=44888	
Sh.Sohan Lal and Baldev Raj Residential existing/proposed	793/06 16.8.17	Plot area=170 sqm (As per map=246 sqm)	Plot area=246 sqm	1230
		Case processing fee for development of land= 170 sqm x 2.5/sqm=425	Case processing fee for development of land = 246 sqm x 2.5/sqm=615	
		Case processing fee as per TCP norms = 139.20 sqm x 10.50/sqm=1462	Case processing fee as per TCP norms=142.44 sqm x 10.50/sqm=1496	
		Case processing fee as per MC norms=139.20 sqm x 2.5/sqm=348	Case processing fee as per MC norms=142.44 sqm x 2.5/sqm=356	
		Case processing fee for change of land use=139.20 sqm x10/sqm=1392	Case processing fee for change of land use=246 sqm x 10 /sqm=2460	
		Stacking charges/security of map=2000	Stacking charges/security of map=2000	
		Total=5697	**Total=6927**	
			Total	**12771**

(ख) अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना

नगर परिषद द्वारा नक्शा पारित शुल्क की online वसूली की जा रही थी, परन्तु अंकेक्षण अवधि के दौरान कितने आवेदकों ने online नक्शे पारित करने हेतु आवेदन किया, कितने नक्शे पारित किए गए, पारित किए गए नक्शों के सन्दर्भ में कितने शुल्क की वसूली की गई, वसूली का शीर्ष वार सम्पूर्ण break up इत्यादि से सम्बन्धित किसी भी अभिलेख का रख–रखाव नहीं किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी निम्न वर्णित अभिलेख भी अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण प्राप्त शुल्क का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख का रख–रखाव एवं अद्यतन करके निम्न तालिका में दर्शाये गए प्रकरणो से सम्बन्धित अभिलेख सहित आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जायेः–

रोकड़ बही के अनुसार शुल्क प्राप्ति तिथि	राशि (₹)	विवरण
1.3.19	15963	Processing fee TCP
8.3.19	7692	Do
22.3.19	31777	Do
6.3.18	5290	Do
6.3.18	2380	Building plan sanction fee

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 44 दिनांक 10.12.19 द्वारा उपरोक्त अनियमितताएं नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई भी स्पष्टीकरण एवं अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया।

16 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.33 लाख की कम वसूली करना

हिमाचल प्रदेश सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (Social justice & empowerment department) द्वारा जारी अधिसूचना संख्या SJE-A-A (3) 1/2015 दिनांक 04.10.2016 में विहित प्रावधानों के अनुसार विवाह के 30 दिनों तथा 30 दिनों के पश्चात पंजीकरण करवाने पर क्रमशः ₹200 व ₹400 तथा IRDP/BPL से क्रमशः ₹25 व ₹50 पंजीकरण शुल्क लिया जाना अपेक्षित है। नगर परिषद द्वारा यथा **परिशिष्ट "द"** पर विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर

पाया गया कि परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न विवरणानुसार ₹33250 के विवाह पंजीकरण शुल्क की कम वसूली की गई थी जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। वर्णित अनियमितता अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 29 दिनांक 20.11.19 द्वारा परिषद के ध्यान में भी लाई थी परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस बारे में कोई भी उत्तर अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वर्णित अनियमितता को या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा बकाया राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके राजकीय कोष में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अकेक्षण को अवगत करवाया जाएः—

वर्ष	विवाह के तीस दिनों के भीतर पंजीकृत विवाह	जितना विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना अपेक्षित था (₹)	विवाह के तीस दिनों के पश्चात पंजीकृत विवाह	जितना विवाह पंजीकरण शुल्क प्रापत किया जाना अपेक्षित था (₹)	जितना कुल पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना अपेक्षित था (₹)	जितना पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया गया (₹)	जीतने पंजीकरण शुल्क की कम वसूली की गई (₹)
2017—18	38	7600 (38 x 200)	49	19600 (49 x 400)	27200	4300	22900
2018—19	23	4600 (23 x 200)	49	19600 (49 x 400)	24200	13850	10350
						कुल योग	**33250**

17 पालतू कुत्ता शुल्क से सम्बन्धित अभिलेख का उचित रख—रखाव न करना

नगर परिषद द्वारा यथा **(परिशिष्ट "ध")** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना का सम्बन्धित पंजिका के साथ पड़ताल करने के दौरान पाया गया कि नगर परिषद को वर्ष 2017—18 व 2018—19 मे क्रमशः ₹450 व ₹650 कुत्ता शुल्क के रूप में प्राप्त हुए थे परन्तु कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी परिषद द्वारा वर्ष 2017—18 तथा 2018—19 तक कुल कितने टोकन जारी किए गए थे इससे सम्बन्धित कोई भी सूचना/अभिलेख अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई जिससे ऐसा संशय होता है कि न तो नगर परिषद द्वारा सम्बन्धित अभिलेख का रख—रखाव सही रूप से किया जा रहा है तथा न ही सभी कुत्ता मालिकों से नियमित रूप से देय कुत्ता शुल्क की वसूली की जा रही है जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसके कारण दिनांक 31.03.19

को कुत्ता शुल्क की शेष वसूली बारे पूर्ण वस्तु स्थिति अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं हो सकी। गत अवधि के अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वर्ष 2016–17 तक 498 टोकन जारी किए गए थे तथा चर्चा के दौरान अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि टोकनों की यह संख्या सही नहीं है एवं वर्षवार जारी टोकन की कुल संख्या तथा देय बकाया राशियों की समीक्षा करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 17 दिनांक 02.11.19 द्वारा भी उपरोक्त अनियमितता नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक नगर परिषद द्वारा इस बारे कोई भी प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः कुत्ता शुल्क की वसूली न किए जाने बारे में स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 देय बकाया राशि की वसूली एवं अभिलेख का उचित रख–रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 (क) घर–घर से कूड़ा उठाने की योजना से सम्बन्धित सूचना/अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

नगर परिषद द्वारा घर–2 से कूड़ा एकत्रित किए जाने सम्बन्धी योजना का कार्यान्वयन करते हुए कुछ वाडों में men power उपलब्ध करवाने हेतु ठेकेदारों को ठेके आबंटित किए गए है तथा साथ ही City livelihood centre (CLC) के माध्यम से भी men power hire की गई है। नगर परिषद द्वारा यथा **परिशिष्ट "प"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान घर–2 से कूड़ा उठाने के एवज में प्राप्त आय एवं किए गए भुगतान का सम्पूर्ण विवरण निम्नलिखित तालिका में वर्णित है:–

वित्तीय वर्ष	कुल आय (₹)	कुल व्यय (₹)
2017–18	शून्य	7374323 (संविदाकार को भुगतान=₹4787780 CLC को भुगतान=₹1637943) कूड़ा उठाने हेतु वाहनों पर किया गया व्यय/भुगतान=₹948600
2018–19	922970 (02/2019 से 03/2019 तक)	11371618 (CLC को भुगतान=₹9950999) कूड़ा उठाने हेतु वाहनों पर किया गया व्यय/भुगतान=1420619
कुल योग	**922970**	**18745941**

उपरोक्त तालिका में प्रस्तुत विवरण से स्पष्ट विदित होता है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद द्वारा घर–घर से कूड़ा उठाने की एवज में केवल ₹922970 की आय प्राप्त हुई की थी जबकि इस सुविधा प्रदान करने हेतु ₹18745941 का भुगतान किया था जिस सन्दर्भ मे कई बार आग्रह के पश्चात भी निम्नलिखित अभिलेख/सूचनाएं अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में वर्णित योजना का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सकाः–

(i) नगर परिषद क्षेत्र में ward wise घरों, किराएदारों, दुकानो आदि की संख्या से सम्बन्धित अभिलेख

(ii) नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत कार्यालय आदेश संख्या 2019, 594 दिनांक 22.2.19 के अनुसार घर घर से कूड़ा उठाने हेतु शुल्क माह 12/2018 से लागू किया गया था (प्रस्ताव संख्या 518/2018) परन्तु माह 12/2018 में इस शुल्क की वसूली न करने से सम्बन्धित वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। इसके अतिरिक्त माह 04/17 से 11/18 तक यह शुल्क अधिरोपित न करने के कारणों से भी अंकेक्षण के अवगत नहीं करवाया गया।

(iii) दिनांक 31.03.19 को घर–घर कूड़ा एकत्रित योजना के अन्तर्गत कितनी बकाया राशि वसूली हेतु शेष थी इससे सम्बन्धित सूचना अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई।

उपरोक्त अनियमितता ज्ञापन संख्या 30 दिनांक 20.11.19 तथा 52 दिनांक 12.12.19 द्वारा परिषद के ध्यान में भी लाई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही एवं बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) वस्तु एवं सेवा आपूर्ति कार्यों के आबंटन में पाई गई सम्बन्धी अनियमितताएं

Supply of service एवं goods से सम्बन्धित व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

(i) Supply of service एवं goods से सम्बन्धित कार्य का आबंटन किए जाने से पूर्व नियमानुसार सील बन्द निविदाएं (tenders/quotations) आमन्त्रित की जानी अपेक्षित हैं ताकि सम्बन्धित कार्य न्यूनतम प्रतिस्पर्धा दरों (Competitive rates) क्रय प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखते हुए करवाया जा सके परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न तालिका में दर्शाये गये वस्तु व सेवा आपूर्ति (Supply of service ,oa goods) से सम्बन्धित कार्य के निष्पादन हेतु जो

tenders/quotations आमन्त्रित किए गए थे वे सील बन्द प्रतीत नहीं होते है तथा इस कारण वर्णित कार्यों के आबंटन हेतु अपनाई गई प्रक्रिया नियमानुसार पारदर्शी नहीं थी। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अनियमितता को उच्च सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाना सुनिश्चित किया जाएः–

क्र0 सं0	वा0सं0 / माह / राशि	नाम	गाड़ी सं0	राशि / अवधि	कार्य आबंटन पत्र संख्या / दिनांक	विवरण / उद्देश्य
1	7 / 04 / 18 / 106000	श्री भूपेन्द्र ठाकुर	एच0पी0–64ए –2261	39000 प्रतिमाह / 3 वर्ष	MC/work/2017-7332, dated 8.3.17	जगह–2 से कूड़ा उठाकर कूड़ा संयत्र में फेंकने हेतु
2		श्री तिलक राज	एचपी–64–2990	28000 प्रतिमाह / 3 वर्ष	MC/work/2017-7874, dated 20.3.17	जगह–2 से कूड़ा उठाकर कूड़ा संयत्र में फेंकने हेतु
3		श्री विपिन गुप्ता	एच0पी0–64ए –1614	39000 प्रतिमाह / 3 वर्ष	MC/work/2017-7873, dated 4.3.17	जगह–2 से कूड़ा उठाकर कूड़ा संयत्र में फेंकने हेतु
4	9 माह 04 / 18, 54000	श्रीमती नीतू शर्मा	––	54000 प्रतिमाह 1 वर्ष	MC/work/2017-3127, dated 15.9.17	वार्ड संख्या 11 में घर–घर से कूड़ा उठाने हेतु (6 सफाई कर्मी)
5	16 माह 04 / 18, 14078	Raghav chick house Solan	––	14078	MC/work/2017-3473, dated 4.10.17	रेस्ट हाउस हेतु crockery के क्रय से सम्बन्धित

(ii) आबंटन पत्र में विहित शर्त के अनुसार उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 1 से 3 में वर्णित कूड़ा उठाने से सम्बन्धित कार्यों के वाहनों की लॉग बुक प्रतिदिन सफाई निरीक्षक एवं कनिष्ठ

अभियन्ता द्वारा सत्यापित की जानी अपेक्षित है परन्तु इस शर्त का पालन नहीं किया जा रहा था। अतः इस सन्दर्भ में अब अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(iii) उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 5 पर वर्णित विवरण के अनुसार विश्राम गृह हेतु crockery क्रय की गई थी परन्तु सम्बन्धित स्टॉक/स्टोर रजिस्टर में विभिन्न crockery items की प्रविष्टि नहीं दर्शाई गई। अतः इस सन्दर्भ मे वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाये तथा अपेक्षित कार्यवाही करके सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त अनियमितताएं अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 47 दिनांक 12.12.19 द्वारा नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

19 लाईसैन्स नवीनीकरण शुल्क की बकाया ₹2.16 लाख वसूली हेतु शेष

नगर परिषद द्वारा यथा **परिशिष्ट "फ"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2019 को ₹216350 लाईसैन्स नवीनीकरण शुल्क की बकाया वसूली हेतु शेष थी जोकि गम्भीर अनियमितता है। अतः लाईसैन्स फीस की वसूली न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 विश्राम गृह

(क) विश्राम गृह शुल्क ₹450 की कम वसूली करना

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि बाहरी व्यक्तियों से मुख्य विश्राम गृह तथा स्टेज के नीचे निर्मित कमरों में ठहराव हेतु क्रमशः ₹300 एवं ₹200 प्रतिदिन की दर से ठहराव शुल्क लिया जाना निर्धारित है जबकि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ward members एवं press reporters के लिए यह शुल्क ₹150 प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। अंकेक्षण में विश्राम गृह पंजिका के टेस्ट चैक के दौरान पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार बाहरी व्यक्तियों से ₹450 ठहराव शुल्क के रूप में कम वसूले गए थे जिसका या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹450 की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाएः–

दिनांक	नाम	जितनी वसूली की जानी अपेक्षित थी (₹)	जितनी वसूली की गई थी (₹)	कम वसूली (₹)
28 से 29.12.17	श्री किशन चन्द	300	150	150
09 से 10.4.18	श्री अनिल कुमार	300	150	150
28 से 29.4.18	श्री सोम दत्त	300	150	150
			कुल योग	**450**

(ख) विश्राम गृह पंजिका का उचित रख–रखाव न करना

अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि विश्राम गृह पंजिका में आगन्तुक (Visitor) के आने का उद्देश्य, उसके आने की तिथि एवं समय सम्बन्धी विवरण पूर्ण रूप से नहीं भरा जा रहा है जोकि अनियमित है क्येांकि इसके अभाव में देय शुल्क का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अभिलेख को पूर्ण रूप से अद्यतन (update) एवं सत्यापित करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त अनियमितताएं अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 52 दिनांक 12.2.19 द्वारा नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई भी प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

21 आय से सम्बन्धित अभिलेख का उचित रख–रखाव न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा आय से सम्बन्धित अभिलेखों का नियमानुसार उचित रख–रखाव नहीं किया जा रहा था। मोबाईल टावर शुल्क पंजिका, पार्किंग शुल्क पंजिका, दुकानों/स्टालों के किराये सम्बन्धी पंजिका, लाईसेन्स नवीनीकरण शुल्क पंजिका, सफाई शुल्क पंजिका आदि में कई प्रविष्टियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था तथा कई खातों में बकाया शेषों को अद्यतन (Update) भी नहीं किया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसके कारण वसूली हेतु दर्शाई गई बकाया राशि की गणना/सत्यता की अंकेक्षण में पुष्टि करना सम्भव न हो सका। अंकेक्षण के दौरान एवं गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी यह अनियमितता परिषद के ध्यान में लाई गई थी परन्तु इस सन्दर्भ में कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

22 स्थापना (Establishment) पर निर्धारित सीमा से अधिक ₹261.23 लाख का अनियमित व्यय करना

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 53 (1) (सी) में विहित प्रावधानों के अनुसार स्थापना पर नगरपालिका के कुल व्यय के एक तिहाई भाग से अधिक व्यय नहीं किया जा सकता परन्तु नगर परिषद द्वारा यथा **परिशिष्ट "घ"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान स्थापना पर निम्न विवरणानुसार ₹26122719 का व्यय निर्धारित सीमा से अधिक किया गया था जोकि अनियमित है। अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 19 दिनांक 02.11.19 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक नगर परिषद द्वारा कोई भी औचित्य/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में उक्त अनियमितता की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जायेः—

वित्तीय वर्ष	**कुल व्यय (₹)**	**कुल व्यय का 1/3 भाग (क) (₹)**	**स्थापना पर किया गया वास्तविक व्यय (ख) (₹)**	**निर्धारित सीमा से अधिक व्यय (ख—क) (₹)**
2017—18	243476691.85	81158897	81762443	603546
2018—19	226901073.00	75633691	101152864	25519173
			कुल योग	**26122719**

23 परिषद निधि से ₹19.80 लाख की ग्रैच्युटी का अनियमित भुगतान करना

नगर परिषद द्वारा यथा **परिशिष्ट "न"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान परिषद द्वारा ग्रेच्युटी निधि में यथेष्ट (Sufficient) राशि उपलब्ध न होने पर सेवानिवृत कर्मचारियों को दिनांक 31.3.2019 तक नगर परिषद निधि से ₹1979781 की ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है क्योंकि नियमानुसार नगर परिषद में ग्रेच्युटी का भुगतान ग्रेच्युटी निधि से किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 35 दिनांक 30.11.19 द्वारा इस सन्दर्भ में नगर परिषद से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित

अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए या तो इसे सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा दिनांक 31.3.2019 तक नगर परिषद निधि से ग्रेच्युटी हेतु किए गए अनियमित भुगतान की उपयुक्त स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करके नगर परिषद निधि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

24 नगर परिषद निधि से ₹715.42 लाख की Pension का अनियमित भुगतान करना

नगर परिषद द्वारा यथा **परिशिष्ट "न"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान परिषद द्वारा पैन्शन निधि में यथेष्ट (Sufficient) राशि उपलब्ध न होने पर सेवानिवृत कर्मचारियों को दिनांक 31.03.2019 तक नगर परिषद निधि से ₹71541632 की पेन्शन का भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है क्योंकि नियमानुसार नगर परिषद में पैन्शन का भुगतान पैन्शन निधि किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 35 दिनांक 30.11.19 द्वारा इस सन्दर्भ में नगर परिषद से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए या तो इसे सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा दिनांक 31.3.2019 तक नगर परिषद निधि से पैन्शन हेतु किए गए अनियमित भुगतान की उपयुक्त स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करके नगर परिषद निधि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(i) आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सम्बन्धित पंजिकाओं में मासिक वेतन व पैन्शन भुगतान सम्बन्धी प्रविष्टियों का सत्यापन न करना

अंकेक्षण अवधि के दौरान मासिक वेतन एवं पैन्शन के भुगतान सम्बन्धी प्रविष्टियों को आहरण एवं वितरण अधिकारी से सम्बन्धित पंजिकाओं में सत्यापित नहीं करवाया गया था जोकि अनियमित है। नियमानुसार प्रत्येक भुगतान को आहरण एवं वितरण अधिकारी से सत्यापित करवाया जाना अपेक्षित है। वर्णित अनियमितता अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 52 दिनांक 12.12.19 द्वारा नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई भी प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

25 जय चन्द, मीटर रीडर को ₹11218 का वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान करना

नगर परिषद के लेखो के अंकेक्षण के दौरान श्री जय चन्द, मीटर रीडर की सेवा पंजिका में वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या Fin (PR) B(7)-1/98-iv दिनांक 9.10.17 के अन्तर्गत देय three Tier pay के अन्तर्गत higher pay scale में वेतन निर्धारण से सम्बन्धित प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया गया कि कर्मचारी को उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत वेतन के निर्धारण में higher pay scale के साथ एक अतिरिक्त वेतन, वृद्धि का लाभ प्रदान करके वेतन का निर्धारण किया गया था जबकि नियमानुसार कर्मचारी को केवल higher pay scale ही देय था। अतः वर्णित अनियमितता के कारण उक्त कर्मचारी को वेतन में **परिशिष्ट "झ"** में वर्णित विवरणानुसार ₹11218 का अधिक भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 9 दिनाक 30.10.19 के द्वारा यह मामला कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के ध्यान में लाया गया था और इस सन्दर्भ में लेखा परीक्षा के दौरान कार्यकारी अधिकारी ने पत्र संख्या SLN-M.C. (LAD)-2019-4711 दिनांक 10.12.19 द्वारा लेखा परीक्षा को अवगत करवाया कि उक्त अधिक भुगतान ₹11218 की वसूली उनके पुनः वेतन निर्धारण करने के उपरान्त देय बकाया राशि में से ₹10077 समायोजित करके तथा शेष ₹1141 (₹11218–10077) की वसूली उनके वेतन देय माह 11/12 प्रदत्त माह 12/12 से कर ली गई थी जिसकी सत्यापना अंकेक्षण में भी अंकेक्षण के दौरान कर ली गई थी।

26 हि0प्र0 सरकार के आदेशों के प्रतिकूल कर्मचारियों की सेवाएं जारी रखने के कारण ₹0.88 लाख वेतन का अनियमित भुगतान करना (वाउचर संख्या 2 दिनांक 04/18)

हिमाचल प्रदेश सरकार, कार्मिक विभाग के पत्र संख्या No. Per (AP.B) B(15)-6/2012 dated, शिमला–171002 27th December, 2017 में विहित अनुदेशों के अनुसार "All extension in service or re-employment granted to the government servants after attaining the age superannuation are hereby terminated withour serving any notice परन्तु वर्णित आदेशों के प्रतिकूल नगर परिषद द्वारा श्री नन्द लाल वर्मा सेवा निवृत AE तथा श्री यश पाल चन्देल JE की सेवाएं दिनांक 27.12.17 के उपरान्त भी ली जानी जारी रखी गई तथा उन्हे क्रमशः ₹10000 तथा ₹7500 प्रति माह मई 2018 तक ₹87500 (50000 (10000 x 5) +37500 (7500 x 5) के वेतन का अनियमित भुगतान किया गया जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 43 दिनांक 10.12.19 द्वारा उक्त अनियमितता नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई भी

प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए या तो इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा ₹87500 की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

27 दैनिक वेतन भोगी को ₹0.01 लाख की मजदूरी का अधिक अनुचित भुगतान करना (वाउचर संख्या 8 दिनांक 04/18)

नियमानुसार दैनिक भोगी कर्मचारी को छह कार्य दिवस के प्श्चात एक paid holiday प्रदान करने का प्रावधान है परन्तु उपरोक्त वाउचर का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि Muster roll संख्या 299 में तीन दैनिक भोगियों को 31.3.18 को paid holiday का भुगतान पाँच कार्य दिवस (दिनांक 26.3.18 से 30.3.18) के पश्चात ही कर दिया गया था जोकि अनियमित है जिसके कारण उन्हें ₹630 (3 x 210) की मजदूरी अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया था। अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 38 दिनांक 04.12.19 द्वारा वर्णित अनियमितता बारे नगर परिषद को अवगत करवाया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः नियमानुसार या तो उक्त अनियमितता न्यायोचित ठहराई जाए अन्यथा ₹630 की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

28 (क) यात्रा भत्ता भुगतान के अंकेक्षण पर पाई गई अनियमितताएं (वाउचर संख्या 11 माह 04/18, ₹9240)

व्यय वाउचर की पड़ताल के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

(i) हि0प्र0 शहरी विकास निदेशालय के पत्र संख्या UD (F)-(1)-10/97-NULM-Attendence-18601-610 दिनांक 14.01.16 में विहित निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के अन्तर्गत deployed experts को यात्रा भत्ते का भुगतान हि0प्र0 सरकार वित्त विभाग के आदेश दिनांक 20th April, 2012 में वर्णित B category के अनुरूप किया जाना अपेक्षित है परन्तु NULM योजना के अन्तर्गत कार्यरत्त श्री अखिलेश कुमार, Manager को निम्न विवरण के अनुसार ₹6916 के यात्रा भत्ते का भुगतान उक्त वर्णित अनुदेशों/नियमों के प्रतिकूल अधिक किया गया था जोकि अनियमित है जिसे या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा ₹6916 की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से सुनिश्चित की जायेः–

यात्रा तिथि	यात्रा का विवरण / अवधि	यात्रा भत्ता भुगतान राशि (own car) (1) (₹)	देय यात्रा भत्ता (साधारण बस किराया) (2) (₹)	अधिक भुगतान (1-2) (₹)	DA भुगतान (1) (₹)	देय DA / tour की समय अवधि (2) (₹)	अधिक भुगतान (1-2) (₹)
15/2/18	MC Solan to Mc Nalagarh & Back / 1 दिन	1360/- (170 km x 8/-)	243/- [96(86x1.12/- +147(84x1.75)]	1117/-	200/-	96/- (12 घंटे से अधिक)	104/-
16/2/18	MC Solan to Mc Parwanoo & Back / 1 दिन	640/- (80 km x 8/-)	140/- [(80x1.75)]	500/-	200/-	67/- (12 घंटे से कम)	133/-
17/2/18	MC Solan to Mc Baddi & Back / 1 दिन	1200/- (150 km x 8/-)	221/- [74(66x1.12/- +147(84x1.75)]	979/-	200/-	96/- (12 घंटे से अधिक)	104/-
13/2/18 Tthaa 14/2/218	MC Solan to Mc Parwanoo & Back / 2 दिन	640/- (80 km x 8/-)	140/- [(80x1.75)]	500/-	400/-	400/-	शून्य
16/2/18	MC Solan to Mc Baddi & Back / 1 दिन	1200/- (150 km x 8/-)	221/- [74(66x1.12/- +147(84x1.75)]	979/-	200/-	67/- (12 घंटे से कम)	133/-
28/3/18	MC Solan to Mc Nalagarh & Back / 1 दिन	1400/- (175 km x 8/-)	249/- [102(91x1.12/- +147(84x1.75)]	1151/-	200/-	96/- (12 घंटे से अधिक)	104/-
29/3/18	MC Solan to Mc Baddi & Back / 1 दिन	1200/- (150 km x 8/-)	221/- [74(66x1.12/- +147(84x1.75)]	979/-	200/-	67/- (12 घंटे से कम)	133/-
कुल योग		**7640/-**	**1435/-**	**6205/-**	**1600/-**	**889/-**	**711/-**
कुल अधिक भुगतान = 6916/- (6205+711)							

(ii) उपरोक्त व्यय वाउचर के अन्तर्गत श्री अखिलेश कुमार Manager को तीन यात्रा भत्ता दावे हेतु ₹3800, ₹2440 एवं ₹3000 का भुगतान किया गया था परन्तु वाउचर के साथ न तो वर्णित यात्रा कार्यक्रम की tour diaries संलग्न थी एवं न ही दिनांक 28.3.18 से 29.3.18 तक से सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित यात्रा कार्यक्रम संलग्न था जिसके अभाव में उक्त

भुगतान अनियमित है। अतः अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

(iii) श्री अखिलेख कुमार Manager के यात्रा भत्ता दावों में न तो उनके मूल वेतन व ग्रेड पे का उल्लेख था और न ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ऐसा कोई दस्तावेज अंकेक्षण को प्रस्तुत किया गया जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह expert की श्रेणी में आते है जबकि उपरोक्त तालिका में दर्शाये गए अधिक भुगतान की गणना उन्हें expert मानकर की गई है। अतः इस सन्दर्भ में सम्बन्धित दस्तावेज/सूचना आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापनार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

(iv) उपरोक्त के अतिरिक्त निदेशालय शहरी विकास के उक्त सन्दर्भित पत्र में विहित निर्देशों के अनुसार सम्बन्धित एक्सपर्ट को वेतन के 25% से अधिक यात्रा भत्ता का भुगतान नहीं किया जाना है परन्तु इस तथ्य की अंकेक्षण में पुष्टि हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित कोई अभिलेख (पंजिका आदि) भी अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे अब आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापनार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

वर्णित अनियमितता केवल चयनित मास से सम्बन्धित है एवं अंकेक्षण अवधि के अन्य मासों में भी इस प्रकार के अधिक भुगतान की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है जिस सन्दर्भ में नगर परिषद द्वारा अपने स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

उपरोक्त अनियमितताएं अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 48 दिनांक 12.12.19 द्वारा नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) यात्रा भत्ते दावे के रूप में ₹0.17 लाख का अधिक भुगतान करना

(i) यात्रा भत्ते दावे के रूप में ₹423 का अधिक भुगतान

नगर परिषद के माह 10/2017 के भुगतान वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि

(ii) श्री नागेश्वर, Manager skills & micro enterprises development द्वारा दिनांक 21.09.17 को सोलन से नालागढ़ व वापसी तक तथा सोलन से बददी व वापसी तक की गई यात्रा हेतु ₹200 दैनिक भत्ते की दर से 2 दिनों के लिए ₹400 के यात्रा भत्ते का भुगतान किया गया था जबकि यात्रा भत्ता नियमों तथा निर्देशालय शहरी विकास के पत्र संख्या UD(F)-(1)-10/97-NULM-Attendence-18601-610 दिनांक 14.1.16 द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अन्तर्गत उन्हें

यात्रा के दौरान ₹96 तथा प्रवास के दौरान ₹200 प्रतिदिन के हिसाब से ₹143 प्रतिदिन का भुगतान देय बनता था। इस प्रकार दो दिन की यात्रा हेतु उन्हें ₹114 का अधिक भुगतान किया गया था

इसके अतिरिक्त उन्हें निम्न विवरणानुसार दिनांक 9.10.17 से 11.10.17 तक, सोलन से नालागढ़ तथा वापसी तक की यात्रा के लिए ₹5326 के यात्रा भत्ते का भी अधिक भुगतान किया गया था

श्री डी0 नागेश्वर							
यात्रा की तिथि	**यात्रा का विवरण/अवधि**	**निजी वाहन द्वारा यात्रा भत्ता की राशि का भुगतान (₹)**	**जितना यात्रा भत्ता देय बनता था (साधारण बस किराया) (₹)**	**अधिक भुगतान (₹)**	**दैनिक भत्ता का भुगतान (₹)**	**दैनिक भत्ता का जितना भुगतान देय बनता था/यात्रा की समय अवधि (₹)**	**अधिक भुगतान (₹)**
9/10/17	MC Solan to Shimla and back	1500	84	1416	200	50%of 200+96/2=143	57
10/10/17	MC Solan to MC Parwanoo and back	1500	80	1420	200	50% of 200+96/2=143	57
11/10/17	MC Solan to Nalagarh	2500	221	2279	200	70 % of 200+96/2=103	97
	अधिक भुगतान	**₹5326 (5115 +211)**					

अतः उन्हें कुल ₹5440 (5326 + ₹114) के यात्रा भत्ता दावे का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹5440 की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(iii) इसी प्रकार श्री अखिलेश Manager Social development & infrastructure द्वारा दिनांक 9.10.17 को शिमला से सोलन व वापसी तक तथा दिनांक 10.10.17 को सोलन से परवाणु व वापसी तक और सोलन से नालागढ़ व वापसी तक की गई यात्रा हेतु 3 दिनों के लिए ₹200 दैनिक भत्ते की दर से ₹600 के यात्रा भत्ते का भुगतान किया जबकि नियमानुसार उन्हें यात्रा के दौरान ₹96 तथा प्रवास के दौरान ₹200 प्रतिदिन की दर से ₹97 प्रतिदिन का भुगतान देय

बनता था। इस प्रकार तीन दिन की यात्रा हेतु उन्हें ₹309 (600–291) (97X3) का अधिक भुगतान किया गया था।

इसके अतिरिक्त उन्हें निम्नानुसार देय यात्रा की अपेक्षा ₹4752 का अधिक भुगतान किया गया थाः–

श्री अखिलेश सिंह							
यात्रा की तिथि	**यात्रा का विवरण/अवधि**	**निजी वाहन द्वारा यात्रा भत्ता की राशि का भुगतान (₹)**	**जितना यात्रा भत्ता देय बनता था (साधारण बस किराया) (₹)**	**अधिक भुगतान (₹)**	**दैनिक भत्ता का भुगतान (₹)**	**दैनिक भत्ता का जितना भुगतान बनता था/यात्रा की समय अवधि (₹)**	**अधिक भुगतान (₹)**
21.9.17	MC Solan to Nalagarh	2500	221	2279	200	70%of 200+96/2=103	97
27.9.17	MC Solan to Nalagarh	2500	221	2279	200	70% of 200+96/2=103	97
कुल अधिक भुगतान		**₹4752 (4558 + 194)**					

अतः उन्हें कुल ₹5061 (₹4752 + 309) के यात्रा भत्ता दावे का अधिक भुगतान किया गया था जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹5061 की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

29 बिजली के बिलों में ₹0.28 लाख का अनियमित भुगतान करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्न विवरणानुसार बिजली के बिलों का भुगतान किया गया था जबकि यह बिल नगर परिषद के नाम से जारी ही नहीं किए गए थे बल्कि किसी अन्य संस्था के नाम से जारी किए गए थे तथा ऐसे में अन्य संस्था के बिजली बिल नगर परिषद निधि से भुगतान करना गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जोकि न केवल अनियमित है बल्कि परिषद कोष पर अनुचित प्रभार भी है। कई बार आग्रह के पश्चात भी इस सन्दर्भ में अंकेक्षण को वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 38 दिनांक 04.2.19 द्वारा वर्णित अनियिमतता बारे नगर परिषद को अवगत करवाया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित अनियमितता को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा ₹28020 की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

वाउचर संख्या / माह / राशि	बिल जिसके नाम जारी किया गया	अवधि	बिल की राशि (₹)
46 / 04/18 / 178163/-	Assistant Engineer, HB Colony Saproon.	8/3/18 से 13/4/18	9276/-
	Assistant Engineer, HIMUDA Subdivision, Housing Board.	3/18 से 4/18	17894/-
50 / 04/18 / 84165/-	SDO HPPWD COOK	3/18 से 4/18	850/-
		कुल योग	**28020**

30 सामान्य भविष्य निधि से कर्मचारियों को स्वीकृत आहरण राशि के समर्थन में अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिषद द्वारा निम्न विवरण के अनुसार सम्बन्धित कर्मचारियों को सा0भ0 निधि से आहरण एवं अग्रिम राशियाँ स्वीकृत की गई थी परन्तु कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित अभिलेख (पंजिकाएं) अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण सम्बन्धित कर्मचारियों के खातों में निकासी से पूर्व शेष जमा राशि का सत्यापन सम्भव न हो सका। यह अनियमितता अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 52 दिनांक 12.12.19 द्वारा नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए सम्बन्धित अभिलेख अद्यतन (update) करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाएः–

वाउचर संख्या / माह	कर्मचारी का नाम	पद	आहरण / अग्रिम के समय खाते में शेष राशि	आहरण / अग्रिम संबंधी राशि (₹)	विवरण (₹)	उद्देश्य
42 / 04/18	श्रीमती रीता शर्मा	चपड़ासी	258688/-	150000/-	आहरण	मकान के कार्य हेतु
	श्रीमती विमलेश	सफाई कर्मचारी	357646/-	40000/-	अग्रिम	मकान की मुरम्मत हेतु
	श्री अमित कुमार	सफाई कर्मचारी	156585/-	40000/-	अग्रिम	आपरेशन हेतु
18 / 04/18	श्री उमेश शर्मा	कनिष्ठ सहायक	57060/-	30000/-	आहरण	भवन निर्माण हेतु
	श्री सुशांत मोहन शर्मा	कनिष्ठ सहायक	112161/-	50000/-	आहरण	मुंडन हेतु
	श्री इंदर दत्त	माली	1915675/-	300000/-	आहरण	धोते की शादी हेतु
	श्री कृशन दत्त	बेलदार	179051/-	30000/-	अग्रिम	मकान की मुरम्मत हेतु
	श्री राकेश कुमार	दरोगा	227501/-	50000/-	अग्रिम	भांजी की शादी हेतु
	श्री संजय	दरोगा	549023/-	300000/-	अग्रिम	मकान की मुरम्मत हेतु
	श्री बिरजू	सफाई कर्मचारी	251842/-	30000/-	अग्रिम	मुंडन हेतु
	श्री अशोक कुमार	सफाई कर्मचारी	138001/-	30000/-	अग्रिम	----------

31 PMAY के अन्तर्गत ₹4.95 लाख के भुगतान का अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि PMAY (प्रधानमन्त्री आवास योजना) के अन्तर्गत निम्नलिखित लाभार्थियों को आवास बनाने हेतु किश्तों में ₹495000 का भुगतान किया गया था परन्तु कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख जैसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा लाभार्थियों की अनुमोदित सूची, आवास निर्माण हेतु स्वीकृत राशि, किश्त जारी किए जाने सम्बन्धी नियम, पूर्व में जारी की गई राशि, बकाया राशि, लाभार्थियों से पावती इत्यादि अवलोकन हेतु अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके कारण वर्णित भुगतान का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 37 दिनांक 30.11.19 द्वारा भी कार्यकारी अधिकारी से अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक यह अभिलेख अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापनार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जायेः–

दिनांक	रोकड़ बही पृ0सं0	शीर्ष	वा0सं0	राशि (₹)
3.4.18	2	Housig for all	4	45000
10.4.18	12	do	19	225000
21.4.18	25	do	25	225000

32 भुगतान की वास्तविक पावतियाँ (receipts) अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना

(i) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिषद द्वारा निम्न भुगतानों की एवज में सम्बन्धित विभागों/विक्रयकर्ताओं से वास्तविक पावतियाँ प्राप्त नहीं की गई थी क्योंकि कई बार आग्रह के पश्चात भी वर्णित पावतियाँ अंकेक्षण प्रस्तुत नहीं की गई। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापनार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाएः–

वा0सं0/माह	बिल की राशि	विभाग/विक्रयकर्ता का नाम	विवरण

5 माह 04/18	63235	आयकर विभाग में जमा	माह 3/18 के दौरान की गई आयकर की कटौती से सम्बन्धित
	58528	Secretary, buildingand other construction works welfare board Shimla	माह 03/18 में ठेकेदार को किए गए भुगतान से सम्बन्धित
	591	श्रम अधिकारी एवं सेस कुलेक्टर, सोलन	माह 03/18 में ठेकेदार को किए गए भुगतान से सम्बन्धित
	43605	खनन अधिकारी, सोलन	माह 03/18 में रायल्टी की जमा से सम्बन्धित
16 माह 04/18	14078	Raghav chick house, Solan	Crockery के क्रय हेतु किया गया भुगतान
48 माह 04/18	264668	GST	GST से सम्बन्धित जमा राशि

(ii) व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा GST ₹264668 (वाउचर संख्या 48 माह 04/18) सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया गया था परन्तु जमा राशि की गणना से सम्बन्धित विवरणी वाउचर के साथ संलग्न नहीं थी और न ही इसका लेखा अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया जिसके कारण जमा करवाई गई राशि का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः अब अपेक्षित विवरण/लेखा आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापनार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त अनियमितताएं मौखिक रूप से तथा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 46 दिनांक 12.12.19 द्वारा नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई भी उत्तर एवं अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

33 परिषद निधि से व्यय ₹7.82 लाख से सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति/अनुमोदन अंकेक्षण मे प्रस्तुत न करनाः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिषद द्वारा निम्न विवरणा के अनुसार ₹782355 का व्यय/भुगतान परिषद निधि से किया गया थाः—

क्र0सं0	वा0सं0/माह	राशि (₹)	विवरण

1	8/04./18	14000	Him Produce Institution of Education, Shimla HP को माह 03/18 में Tally operator की उपलब्ध करवाई गई सेवाओं के एवज में किया गया भुगतान
2	43/04/18	778355	शहरी आजीविका केन्द्र सोलन द्वारा माह 03/18 में घर –घर से कूड़ा एकत्रित करने के सन्दर्भ में परिषद को करवाई गई सेवा हेतु किया गया भुगतान (सेवा शुल्क सहित)

उक्त भुगतानों के अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(i) क्रम संख्याः 1 पर ₹14000 का भुगतान नगर परिषद द्वारा Tally operator की सेवाएं उपलब्ध करवाने की एवज में किया गया था, परन्तु अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर परिषद में tally operator का कोई भी स्वीकृत पद नहीं था। हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 170 में विहित प्रावधानों के अनुसार किसी भी पद के सृजन एवं उसके विरूद्ध नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है परन्तु कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवलोकन हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में वर्णित व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

(ii) क्रम संख्या 2 पर ₹778355 का भुगतान नगर परिषद द्वारा शहरी आजीविका केन्द्र (CLC) को घर–घर से कूड़ा उठाने हेतु उपलब्ध करवाई गई सेवाओं के एवज में किया गया था। नगर परिषद द्वारा घर–घर से कूड़ा उठाने के एवज में सोलन शहर के निवासियों से अंकेक्षण अवधि के दौरान केवल ₹922970 (**परिशिष्ट** के अनुसार) कूड़ा एकत्रित शुल्क की वसूली की गई थी जोकि न के बराबर होने के कारण शहरी आजिविका केन्द्र (CLC) को कूड़ा उठाने की सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रतिमाह लगभग ₹7.50 से उपर का भुगतान नगर परिषद निधि में से किया जा रहा था परन्तु अंकेक्षण को यह स्पष्ट नहीं किया गया कि घर–घर से कूड़ा उठाने की परिषद द्वारा अनुमोदित योजना में उक्त सेवाओं के लिए भुगतान एकत्रित किए गए कूड़ा शुल्क से या नगर परिषद निधि में से किया जाना था और न ही इस सन्दर्भ में कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति एवं सम्बन्धित दिशा निर्देश/अनुमोदित योजना की प्रति अवलोकन हेतु अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में परिषद निधि से किए गए उक्त भुगतान का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव हो सका।

उपरोक्त अनियमितताएं अंकेक्षण अधियाचना संख्या दिनांक द्वारा भी नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई भी उत्तर

प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करके अपेक्षित सूचना/अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

34 निर्माण कार्यों से Royalty ₹0.97 लाख की कटौती करके सम्बन्धित विभाग में जमा न करवाना

नियमानुसार निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु निर्माण कार्य स्थल पर उपयोग की गई निर्माण सामग्री रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि पर रायल्टी की कटौती की जानी अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि चयनित मास में अधिकतम निर्माण कार्य बिलो का भुगतान करते समय न तो Royalty की कटौती नहीं की गई थी और न ही संविदाकार से फार्म "एम" प्राप्त किया गया था जोकि अनियमित है क्योकि **परिशिष्ट "एम"** में वर्णित विवरणानुसार निर्माण कार्यों में रेत, बजरी आदि का उपयोग किया गया था जिस हेतु देय रायल्टी ₹97323 की कटौती करके सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जानी अपेक्षित थी परन्तु ऐसा न करके जहां राजस्व हानि हुई है वहीं राजकोष की cost पर संविदाकारों को अनुचित लाभ प्रदान किया गया प्रतीत होता है। अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 40 दिनांक 04.12.19 द्वारा उक्त अनियमितता परिषद के ध्यान में लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः या तो वर्णित अनियमितता को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा ₹97323 की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से सुनिश्चित करके सम्बन्धित विभाग में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

35 दिनांक 31.3.19 तक ₹293.63 लाख के अग्रिम समायोजन हेतु शेष

नगर परिषद द्वारा यथा **परिशिष्ट "ब"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2019 तक ₹29363777 के अग्रिम समायोजन हेतु शेष थे जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अतिशीघ्र नियमानुसार उक्त अग्रिमों के समायोजन हेतु ठोस कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

36 जन स्वास्थ्य विभाग से पानी के क्रय सम्बन्धी अनियमितताएं

(क) सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को अधिभार सहित ₹5672.27 लाख का भुगतान शेष होना

नगर परिषद द्वारा **परिशिष्ट "ज"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर परिषद द्वारा दिनांक 31.3.2019 तक सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को जल आपूर्ति की एवज में अधिभार सहित ₹567226583 भुगतान हेतु शेष थे जोकि एक गम्भीर चिन्ता का विषय है क्योंकि कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी नगर परिषद द्वारा इस सन्दर्भ में कोई भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया कि इनती अधिक बकाया राशि का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी यह अनियमितता परिषद के ध्यान में लाई गई थी परन्तु लम्बे अन्तराल के पश्चात भी नगर परिषद द्वारा इतनी अधिक राशि के भुगतान हेतु कोई ठोस नियोजन न करना परिषद की लचर कार्यशैली को परिलक्षित करता है जिसके कारण मूल राशि के साथ–2 अधिभार की राशि भी प्रतिवर्ष बढ़ने पर परिषद कोष पर अनावश्यक वित्तीय बोझ की बढ़ौतरी हो रही है। अतः यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु लाया जाता है।

(ख) सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को पानी के बिलों का भुगतान नियत तिथि के भीतर न करने के कारण नगर परिषद पर लगभग ₹157.36 लाख के अधिभार (Surcharge) के भुगतान का दायित्व होना

अभिलेख की जाँच में यह पाया गया कि नगर परिषद द्वारा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को पानी के बिलों का भुगतान नियत तिथि पर न करने के कारण **परिशिष्ट "ज"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.19 तक ₹15736030 (6870880 + 8865150) अधिभार (Surcharge) की राशि देय बनती है जिसे समय पर जल आपूर्ति के बिलों का सम्बन्धित विभाग को भुगतान करके बचाया जा सकता था। अधिभार से सम्बन्धित देय राशि में हर वर्ष वृद्धि होती जा रही है परन्तु इस सन्दर्भ में नगर परिषद द्वारा कोई भी ठोस कदम न उठाना गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में प्राथमिकता के आधार पर ठोस कदम उठाने हेतु लाया जाता है ताकि भविष्य में परिषद को गम्भीर वित्तीय संकट से बचाया जा सके।

(ग) औसत जल आपूर्ति (गिरि नदी) के आधार पर सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा नगर परिषद को लगभग ₹90 लाख का संदेहास्पद अधिक बिल जारी करना

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जल आपूर्ति की एवज में नगर परिषद को प्रति माह बिल मीटर रीडिंग के आधार पर जारी किए जाते है परन्तु कई बार मीटर में खराबी आ जाने के कारण जल आपूर्ति से सम्बन्धित बिल औसत के आधार पर भी जारी किए जाते है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मीटर खराब होने के कारण सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा अवधि 20.04.18 से 11.08.18 तक 114 दिनों के लिए 70 लाख लीटर प्रति दिन जल आपूर्ति के आधार पर नगर परिषद को बिल जारी किए गए थे जोकि उचित प्रतीत नहीं होते है क्योंकि निम्न तालिका में दर्शाई गई गणना के अनुसार वर्ष 2017–18 के दौरान सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर प्रतिदिन लगभग 44 लाख लीटर की जल आपूर्ति नगर परिषद को की गई थी जिससे स्पष्ट होता है कि नगर परिषद को प्रति दिन लगभग 44 लाख लीटर की जल आपूर्ति की जाती है तथा इसी औसत के आधार पर जल आपूर्ति के बिल जारी किए जाना अपेक्षित थे न कि 70 लाख लीटर प्रतिदिन आपूर्ति के आधार पर जिस सन्दर्भ में परिषद द्वारा अंकेक्षण को वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। इस अनियमितता के कारण सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिलों में 114 दिनों तक प्रत्येक दिन लगभग 26 लाख लीटर (70 लाख लीटर –44 लाख लीटर) की अधिक जल आपूर्ति दर्शा करके निम्न विवरणानुसार अधिभार सहित कुल ₹9034568 (2600000 लीटर x 114 दिन) x ₹27.71 प्रति 1000 लीटर + 10%) के बिल नगर परिषद को अधिक जारी किए गए प्रतीत होते है जिसे जल आपूर्ति से सम्बन्धित बिलों का उनकी प्राप्ति के समय ही गहन जाँच करते हुए बिल में पाई गई किसी भी त्रुटि का समय पर सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से आवश्यक सुधार करवाया जाना अपेक्षित था जिससे परिषद निधि को होने वाली वित्तीय हानि से बचाया जा सकता था। अतः परामर्श दिया जाता है यह प्रकरण सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से उठाकर इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

जल आपूर्ति परियोजना	**वर्ष**	**माह**	**मीटर रीडिंग के आधार पर जल की मासिक आपूर्ति (लीटर)**	**औसत दैनिक जल आपूर्ति (लीटर)**
गिरि जल परियोजना	2017–18	04/17	107400000	3580000
		05/17	92170000	2973226
		06/17	79390000	2646333
		07/17	162000000 (औसत के आधार पर)	5225806

		08／17	151720000	4894194
		09／17	132160000	4405333
		10／17	159540000	5146452
		11／17	143250000	4775000
		12／17	145920000	4707097
		01／18	150400000	4851613
		02／18	121050000	4323214
		03／18	169160000	5456774
			कुल योग	**52985042**
			औसत दैनिक	**4415420 (52985042／12) लगभग 4400000 लीटर प्रतिदिन**

(घ) औसत के आधार पर बिल जारी करने का औचित्य अंकेक्षण को स्पष्ट न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा Court area, kleen, sunder cinema, H/board phase I & II को Saproon line के माध्यम से प्रतिदिन 1000000 लीटर को आपूर्ति का बिल परिषद को औसत के आधार पर जारी किया जाता है परन्तु 1000000 लीटर की गणना किस आधार पर की जाती है इससे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि गत काफी अवधि से उपरोक्त colonies के लिए बिल औसत के आधार पर ही जारी किए जा रहे है जबकि यह बिल वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर जारी किए जाने अपेक्षित है तथा ऐसे में अधिक खपत के बिल जारी करने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः इस सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा मामला सम्बन्धित विभाग के समक्ष उठाकर वास्तविक रीडिंग के आधार पर बिल जारी करवाए जाने हेतु अपेक्षित कार्यवाही करने का आग्रह किया जाये ताकि भविष्य में वास्तविक जल आपूर्ति के आधार पर सम्बन्धित विभाग को भुगतान किया जा सके और परिषद को किसी परोक्ष वित्तीय हानि से बचाया जा सके।

(ङ) बिल में ₹1216425 की जल आपूर्ति से सम्बन्धित रीडिंग दर्ज न होना

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा माह 04／17 से सम्बन्धित बिल (1.4.17 से 30.4.17, अश्वनी खडड जल आपूर्ति योजना) में नई तथा पुरानी लाईन के अन्तर्गत पानी की कुल आपूर्ति 78530000 लीटर दर्शाई गई थी जिसमें से नई लाइन के अन्तर्गत 43900000

लीटर पानी की आपूर्ति सम्मिलित थी परन्तु इस आपूर्ति/खपत का आधार क्या था इससे सम्बन्धित कोई भी रीडिंग/अन्य विवरण बिल पर दर्ज नहीं था जिसके कारण वर्णित जल आपूर्ति की मात्रा एवं इससे सम्बन्धित देय ₹1216425 (1105841 (43900000 x 25.19/1000 लीटर + 110584) (10% अधिभार) के सही होने की पुष्टि अंकेक्षण मे सम्भव न हो सकी। अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित अभिलेख/सूचना एकत्र करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त अनियमितताएं मौखिक रूप से एवं अंकेक्षण अधियाचना संख्या 14 दिनांक 31.10.19 द्वारा नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई भी प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वर्णित अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करते हुए इनके सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

37 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अनियमितताएं

(क) निर्माण कार्यों को वकर्स रूल्स में वर्णित प्रावधानों के अनुसार निष्पादित न करवाना

1 निर्माण कार्य का नाम	C/O link road from Nanak Villa at Tank to JBT D.I.E.T. Road Ward No. 10
Estimated amount	₹813096
Awarded Amount	₹1372237
Award letter No.	MC/Works/2017-1150 dated 22.05.17
Time limit	Not given
Contractor name	Sh. Vinay Thakur
MB No. & Page	340 page No. 81 to 83 & MB No. 343 Page No. 50 to 52

अंकेक्षण के दौरान उक्त निर्माण कार्य के बिलों का विस्तृत अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निर्माण कार्य का निष्पादन हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल वर्कस रूल्स में विहित प्रावधानों के अनुसार नहीं करवाया गया प्रतीत होता है तथा इस सन्दर्भ में निम्नलिखित अंकेक्षण टिप्पणियाँ अपेक्षित हैः–

(i) हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल वकर्स रूल्स (H.P. Municipal Works Rules 2010) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार किसी भी निर्माण कार्य को संविदाकारों से करवाये जाने से पूर्व निर्माण कार्य की Drawing & Design, Estimates, Dnit, Analaysis of Rates, Justification बनाया जाना अपेक्षित है जबकि नगर परिषद ने उक्त निर्माण कार्य की न तो Drawing &

Design, estimates, Dnit, Analaysis of Rates, Justification तैयार किए गए थे और न ही निर्माण कार्य की technical & administrative स्वीकृति प्राप्त की गई थी जिस बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करके सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

(ii) इस निर्माण कार्य के Dnit, आबंटन पत्र में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया कि संविदाकार इस निर्माण कार्य को कितने समय में पूर्ण करेगा जिसके फलस्वरूप एग्रीमेन्ट के Clause 2, 3 के अनुसार यदि निर्माण कार्य Contractor द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर पूर्ण नहीं करता और क्लॉज 3 के अनुसार समय बढ़ौतरी नहीं लेता तो अनुबन्ध की क्लॉज के अन्तर्गत 10% penalty लगाये जाने का प्रावधान है परन्तु निर्माण कार्य आबंटन पत्र में विहित शर्त का समावेश न करके संविदाकार को अनुचित लाभ पहुँचाया गया प्रतीत होता है जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

(iii) किसी भी निर्माण स्थल पर Engineer इन चार्ज की पूर्व स्वीकृति के बिना अतिरिक्त मदों का निष्पादन नहीं किया जा सकता जबकि संविदाकार द्वारा निर्माण स्थल पर अतिरिक्त मदों का निष्पादन किया गया था तथा उसकी स्वीकृति किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान नहीं की गई थी। अतः बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के निर्माण स्थल पर किये गये निम्न अतिरिक्त मदों के निष्पादन व इसकी एवज में संविदाकार को किया गया भुगतान अनियमित है जिस बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए इसे अब सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाएः–

क्र0सं0	अतिरिक्त मद का ब्यौरा	मद की गणना	दर	राशि (₹)
(1)	Excavated in foundation and trenches etc.	71.14 m3	220	15651
(2)	Disposal of all excavated earth through mechanical transport up to 5 km i/c loading	71.14 m3	304	21627
(3)	P/L CC 1:6:12 (1 cement 6 sand: 12 graded stone aggregate 40 mm nominal size	13.85 m3	3200	44320
			Total	**₹81598**

(iv) संविदाकार को अनियमित रूप से ₹0.76 लाख का अधिक भुगतान करना

अंकेक्षण के दौरान उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 340 पृ0 81 से 83 पर दर्ज रिकार्ड प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया गया कि कार्य मद "RR Stone Masonry" की निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना कार्य मद "Excavation in foundation and trenches and providing and lying CC 1:6:12 graded stone aggregate 40 mm nominal size in retaining wall" हेतु लिए गए परिमाप के आधार की अपेक्षा निम्न विवरणानुसार अधिक परिमाप लेकर ठेकेदार को भुगतान किया गया था जोकि अनियमित प्रतीत होता हैः–

माप पुस्तिका में दर्ज निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना

	मद का नाम	**मात्रा**
Excavation in foundation and trenches etc.		
R/Wall	1x4.00x1.00x0.60	2.40 cm^3
-do-	1x17.00x1.20x0.80	16.32 cm^3
-do-	1x16.00x1.00x0.30	4.80 cm^3
-do-	1x4.50x1.80x0.90	8.10 cm^3
-do-	1x14.20x1.80x0.90	23.00 cm^3
-do-	1x10.20x1.80x0.90	16.52 cm^3
	Total Qty	71.14 cm^3
P/L CC 1:6:121 cement; 6 sand;12 graded stone aggregate 40 mm nominal size		
R/Wall	1x4.00x1.00x0.15	0.60 cm^3
-do-	1x17.00x1.20x0.15	3.06 cm^3
-do-	1x16.00x1.00x0.15	2.40 cm^3
-do-	1x4.50x1.80x0.15	1.21 cm^3
-do-	1x14.20x1.80x0.15	3.83 cm^3
-do-	1x10.20x1.80x0.15	2.75 cm^3
	Total Qty	13.85 cm^3
RR Stone masonry with cement concrete 1:6 (one cement:6 sand with hard stone of approved quantity		
R/Wall	1x4.00x0.90+1.00x2.80	10.64 cm^3

	2	
-do-	$1x17.00x \frac{0.75+1.20}{2} x \frac{2.20+2.90+2.80}{3}$	43.36 cm^3
-do-	$12.70x1.00x\frac{2.40+1.40x1.00}{3}$	20.32 cm^3
-do-	$16.00x1.00x \frac{2.10+1.60+1.60}{3}$	28.16 cm^3
Toe wall	1x4.50x1.80x1.00	8.10 cm^3
-do-	1x10.20x1.80x1.00	18.36 cm^3
R/wall	$1x4.50x \frac{0.70+1.80}{2} x 4.20$	23.62 cm^3
-do-	$1x14.20 x \frac{0.70+1.80}{2} x 4.25$	75.43 cm^3
-do-	$1 x 10.20x \frac{0.70+1.80}{2} x2.70$	34.42 cm^3
	Total Qty	262.41 cm^3
जितनी निष्पादित कार्य प्रमात्रा गणना लेकर भुगतान होना चाहिए था		
	मद का नाम	**मात्रा**
Excavation in foundation and trenches etc.		
R/Wall	1x4.00x1.00x0.60	2.40 cm^3
-do-	1x17.00x1.20x0.80	16.32 cm^3
-do-	1x16.00x1.00x0.30	4.80 cm^3
-do-	1x4.50x1.80x0.90	8.10 cm^3
-do-	1x14.20x1.80x0.90	23.00 cm^3
-do-	1x10.20x1.80x0.90	16.52 cm^3
	Total Qty	71.14 cm^3
P/L cc 1:6:12 (1 cement :6 sand: 12 graded stone aggregate 40 mm nominal size)		
R/Wall	1x4.00x1.00x0.15	0.60 cm^3
-do-	1x17.00x1.20x0.15	3.06 cm^3
-do-	1x16.00x1.00x0.15	2.40 cm^3

-do-	1x4.50x1.80x0.15	1.21 cm^3
-do-	1x14.20x1.80x0.15	3.83 cm^3
-do-	1x10.20x1.80x0.15	2.75 cm^3
	Total Qty	13.85 cm^3
RR Stone masonry with cement concrete 1:6 (1 cement 6 sand with hard stone of approved quantity)		
R/Wall	1x4.00x $\frac{0.90+1.00}{2}$ x 2.80	10.64 cm^3
-do-	1x17.00 x $\frac{0.75+1.20}{2}$ x $\frac{2.20+2.90+2.80}{3}$	43.36 cm^3
-do-	16.00 x 1.00 x $\frac{2.10+1.60+1.60}{3}$	28.16 cm^3
Toe wall	1x4.50x1.80x1.00	8.10 cm^3
-do-	1x10.20x1.80x1.00	18.36 cm^3
R/Wall	1x4.50x $\frac{0.70+1.80}{2}$ x 4.20	23.62 cm^3
-do-	1x 14.20 x $\frac{0.70+1.80}{2}$ x 4.25	75.43 cm^3
-do-	1x 10.20 x $\frac{0.70+1.80}{2}$ x 2.70	34.42 cm^3
	Total Qty	**242.09 cm^3**

इस प्रकार कार्य मद "RR stone masonry with cement concrete 1:6 (1 cement :6 sand with hard stone of approved quantity" हेतु 20.32 cm^3 (262.41 cm^3–242.09 cm^3) निष्पादित कार्य प्रमात्रा अधिक दर्शाकर संविदाकार को ₹3750 per cm^3 की दर से ₹76250 का अनियमित रूप से अधिक भुगतान करके अनुचित लाभ प्रदान किया गया प्रतीत होता है जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से ₹76250 की वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायें।

(v) उक्त निर्माण कार्य में निष्पादित अतिरिक्त कार्य "Disposal of all excavated earth through mechanical transport up to 5 km i/c loading की 71.14 m3 कार्य प्रमात्रा का ₹304 m3 की दर से कुल ₹21627 का भुगतान किया गया परन्तु इसके समर्थन में न तो कोई अनुमोदित head lead chart ही संलग्न किया गया था और न ही dumping का स्थान वर्णित था। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

(vi) निर्माण कार्य में सीमेन्ट का उपयोग संविदाकार द्वारा अपने स्त्तर पर क्रय करके किया गया था परन्तु न तो नगर परिषद ने भुगतान से पूर्व उपयोग किये गये सीमेन्ट से सम्बन्धित कैश वाउचर बिल के साथ संलग्न किए और न ही माप पुस्तिका में निर्माण कार्य में उपयोग सामग्री की खपत विवरणी तैयार व अनुमोदित की गई थी जिसके कारण निर्माण कार्य बिल का अनुबन्ध के अन्तर्गत पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करके कृत कार्यवाही की सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 51 दिनांक 12.12.19 के द्वारा उक्त अनियमितता कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में अपना पक्ष रखने हेतु लाई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करके अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

(ख) संविदाकार को ₹0.71 लाख की अतिरिक्त मदों का अनियमित भुगतान

नगर परिषद सोलन के माह 10/2017 के व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि निर्माण कार्यों के अन्तर्गत बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के निम्न विवरणानुसार संविदाकारों से स्थल पर अतिरिक्त मदों का निष्पादन करवाकर भुगतान किया गया था जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता हैः—

क्र0सं0	चैक सं0/दिनांक	निर्माण कार्य का नाम	अतिरिक्त मद का ब्यौरा	मद की गणना	दर	राशि (₹)
1	378919 of 10/17	R/M of sewerage line near Kapila house C/O Road paraphet in ward No. 14	RR masonery/polygonayal rubbal masonery uncrossed/brought to	4.34 m3	3220	13975

			courses with hard stone of approved quantity P/L CC 1:2:4 graded stone Aggregate 20 mm nominal size P/L trenches 4Kg100 mm dia	 -4.36m2 -3.00	 4585 440	 19991 1320
2	378921 of 10/17	P/L Hume pipe 300 mm dia NP 2 in Ward No. 13 from Kapoor house to Kalsi house (SH: RCC pipe Chamber & CC 1:2:4)	Provinding Mild Steel/Tor Steel Binding etc 12 mm Dia	70.13 Kg	65	4558
3	378922 of 10/17	R/M of road from lakkar bazaar to Rajgarh road	Disposal of all excavated earth through mechanical transport up to 5 km i/c loading	15.90 m3	253	4023
4	378925 of 10/17	C/O link road from mansa ram house to lokender house and others in ward No. 10	P/L CC 1:6:12 (1 cement: 6sand: 12 graded stone aggregate 40 mm nominal size	1.23 m3	2775	3413
5	378904 of 10/17	C/O Water storage tank above railway station Slogra ward No. 4 (SH: renovation, RCC 1:2:4 & 1:6:12)	Steel work welded build up section framers i/c cutting and heisting & fizing in position	293.70 Kg	80 per Kg	23496
					Total	**70776**

उक्त अनियमितता अंकेक्षण अधियाचना संख्या 9 दिनांक 30.10.19 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परन्तु कोई भी प्रति उत्तर लेखा परीक्षा के

दौरान प्राप्त नहीं हुआ। अतः बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के निर्माण स्थल पर किये गये अतिरिक्त मदों के निष्पादन और संविदाकार को अनियमित भुगतान का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए या तो सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए अन्यथा वर्णित राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके नगर परिषद निधि में जमा की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ग) निर्माण कार्यों में निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार को ₹0.18 लाख का सम्भावित अधिक भुगतान

Name of work C/O Path from Munish auto towards Horticlture Phase-II W.No. 4

Name of Contractor Sh. Subhash Chand Rana

Award letter No. MC/Works/2017-2143 dated 21.07.17

M.B. No. and Page No. 326 P-88 to 90

Bill No. 1st & final bill

Detail and amount of bill ChNo. 070698 dated 17.10.17 ₹259454

उक्त निर्माण कार्य बिल की कार्य मद संख्या 2/4 (माप पुस्तिका 326 पृष्ठ संख्या 89–90) "P/L CC 1:2:4 (1 cement: 2 sand : 4 graded crused stone aggregate 20 mm nominal size) and curing complete excluding the cost of form work, In foundation and plinth etc" की कुल कार्य प्रमात्रा 29.85 m3 का ₹5800 प्रति घन मीटर की दर से ठेकेदार को ₹173130 का भुगतान किया गया था जिसकी माप पुस्तिका संख्याः पृष्ठ 89–90 पर दर्ज विस्तृत रिकार्ड प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर विदित हुआ कि निम्न विवरण अनुसार गणना में त्रुटि के कारण 3.15 m3 कार्य प्रमात्रा हेतु ठेकेदार को ₹18270 का अधिक भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है।

(i) कार्य मद P/I CC 1:6:12 (1 cement : sand: 12 stone aggregate 40mm nominal size) and curing complete excluding the cost of form work in foundation and plinth की निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना निम्न प्रकार से माप पुस्तिका में ली गई थी।

1x1x15.00x $\frac{2.10+1.90}{2}$ x.10=3.00 cm

1x1x13.30x $\frac{1.90+2.00}{2}$ x.10=2.59cm

1x1x13.60x1.65x.10=2.24 cm

1x1x15x1.90x.125=3.56 cm

1x1x15.60x 2.10+1.70 x.125=3.61 cm
2

1x1x12.20x1.90x.125=2.90 cm

1x1x12.50x 1.40+1.50 x.10=1.81 cm
2

1x1x15x 2.00+2.00+1.70 x.10=2.85 cm
3

1x1x9.30x 1.70+1.60 x.10=1.53 cm
3

1x1x10.60x 1.60+1.60 x.10=1.70 cm
3

1x1x5.9x2.75x.10=1.62 cm

1x1x8.20x 1.15+1.60 x.10=1.13 cm
3

Total Quantity =28.54 cm

(ii) उक्त मद के आधार पर कार्य मद "P/I CC 1:2:4 (1 cement :2 sand : 4 Stone aggregate 20mm nominal size) and curing complete excluding the cost of form work in foundation and plinth की निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना निम्न प्रकार से ली गई थी

1x1x15.00x 2.10+1.90 x.75=2.25 cm
2

1x1x13.30x 1.90+2.00 x.75=1.95 cm
2

1x1x13.60x1.80x.10=2.45 cm

1x1x15x 1.95x2.00 x .10=2.96 cm
2

1x1x15.00x 2.00+2.20 x.10=3.15 cm
2

1x1x15.60x 2.20x2.20 x .10=3.43 cm
2

1x1x12.50x 1.40+1.50 x.10=1.81 cm
2

1x1x15x 2.00+2.00+1.70 x.10=2.85 cm
3

1x1x9.30x 1.70+1.60 x.10=1.53 cm
3

1x1x10.60x 1.60+1.60 x.10=1.70 cm
3

1x1x5.9x2.75x.10=1.62 cm

1x1x8.20x 1.15+1.60 x.10=1.13 cm
3

Total Quantity =29.85 cm

अतः इस प्रकार मद "P/I CC 1:2:4 (1 cemnt : 2 sand :4 stone aggregate 20mm nominal size) and curing complete excluding the cost of form work in foundation and plinth के निष्पादन में $1 \times 1 \times 15.00 \times \frac{2.00+2.20}{2} \times .10 = 3.15$ m3 की कार्य प्रमात्रा गणना में अतिरिक्त लेकर संविदाकार को अधिक भुगतान करके अनचित लाभ प्रदान किया गया प्रतीत होता है जिसे या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा वर्णित अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके नगर परिषद कोष में जमा करवाई जाये तथा तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(घ) संविदाकार को ₹0.15 लाख का अधिक भुगतान करना

Name of work	Repair and restoration of drainage in W.No. 14 Solan at various point
Award lette No.	MC works/2017-2235 dated 26.06.2017
Amount of award	₹171725
Name of Contractor	Sh. Chaman Lal
MB No.	334 P- 5 to 8
Bill No.	1st & final bill, Ch.No. 378893 Amount ₹171725

(i) अंकेक्षण में पाया गया कि संविदाकार को उक्त निर्माण कार्य आंबटन पत्र MC Works/2017-2235 dated 26.06.17 द्वारा ₹171725 में आबंटित किया था तथा इसका भुगतान भी नगर परिषद द्वारा आबंटित ₹171725 तक ही सीमित कर दिया गया था परन्तु आबंटन पत्र अनुसार कार्य मदों की गणना की जाँच करने पर पाया गया कि वास्तविकता में निर्माण कार्य की आबंटन ₹156725 ही बनती थी क्योंकि कार्य मद संख्या 3 "P/L in trenches 4.0 Kg P/C marking pressure polythene Pipes (phenlex Pipe), high density (confirming to IS 4984-1972) complete with special flange compression type fitting (earth work in trenches to be measured and paid separately) 250 mm diameter nominal size की कुल आबंटन राशि ₹60000 के स्थान पर राशि ₹75000 निम्न विवरण अनुसार दर्शाई गई थीः–

Qty	**Unit**	**Rate**	**Amount**
Rmt	50.00	1200.00	75000

चूंकि परिषद के निर्णयानुसार संविदाकार को भुगतान आबंटित राशि तक ही सीमित कर दिया गया था इसलिए संविदाकार को वास्तविकता में ₹171725 की अपेक्षा ₹156725 का ही भुगतान देय बनता था। अतः आबंटित राशि की गलत गणना करने के कारण संविदाकार को ₹15000 का अधिक भुगतान किया गया जिसको या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा ₹15000 की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके नगर परिषद निधि में जमा करवाकर तदानुसार अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

(ii) नियमानुसार किसी भी निर्माण कार्य के निष्पादन पर सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता पहले माप पुस्तिका में तिथि वार निष्पादित कार्य मदों की गणना की प्रविष्टि लेकर निर्माण कार्य बिल का abstract of cost माप पुस्तिका में तैयार करके देय राशि का भुगतान नियमानुसार संविदाकार को किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता ने एक ही दिन में और एक मुश्त में माप पुस्तिका में measurement के साथ Abstract of cost की प्रविष्टियां करके संविदाकार को भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माण कार्य स्थल पर वास्तविक निष्पादित कार्य का परिमाप रिकार्ड करने की अपेक्षा केवल कार्यालय में बैठकर एक ही दिन में measurement और दर लगा कर संविदाकार को भुगतान किया गया है जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिसे उच्च सक्षम प्राधिकारियों के ध्यान में पूर्ण छानबीन तथा नियमानुसार यथोचित कार्यवाही अमल में लाने हेतु लाया जाता है।

(ङ) संविदाकार को	₹0.04 लाख का अनियमित भुगतान करना
Name of work	Supply and fixing of water cooler at railway station ward No. 2 Solan of Benches at Railway Stattion ward No. 2
Name of Contractor	Sh. Vikrant Sharma
Awarded Amount	₹49500 + vat extra
Awarded letter no.	MC/Work/2017-1433 dated 07.06.17
M.B. No.	316 P-87-88
Bill No.	First & Final Bill

उक्त निर्माण कार्य बिल का अंकेक्षण करने के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

(i) उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित कोई भी अनुमोदित आंकलन/अनुमान पत्र लेखा परीक्षा के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि नगर परिषद ने

अपेक्षित आंकलन/अनुमान पत्र तैयार ही नहीं किया गया है जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) इस निर्माण कार्य के अन्तर्गत जो वॉटर कूलर "1 S/F of 100 ltr Water cooler with double tap with emersion Compresure" कार्य स्थल में जहाँ स्थापित किए गये थे उसकी प्रविष्टि movable propriety रजिस्टर में ड्राईंग के साथ अंकित की जानी अनिवार्य थी ताकि भविष्य में प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन के दौरान कोई कठिनाई अनुभव न हो। अतः अपेक्षित कार्यवाही अब करके सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

(iii) उक्त कार्य निष्पादन हेतु Simple कागज/लेटर पैड पर अपनी दरें संविदाकारों ने नगर परिषद को प्रस्तुत की थी जोकि अनियमित है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(iv) उक्त निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु संविदाकारों द्वारा प्रस्तुत दरों के अतिरिक्त चार्ज करने बारे कोई उल्लेख नही था परन्तु न्यूनतम दर वाले संविदाकारों ने negotiation के दौरान अपनी दर ₹57000 से कम कर ₹49500 कर दी और 13.75% वैट को अलग से चार्ज करने की शर्त रख दी जिसके आधार पर यह कार्य श्री विक्रान्त शर्मा को आबंटन पत्र MC/Work/2017-1433 dated 07.06.17 आबंटित कर दिया परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि भुगतान के समय संविदाकार को वैट की अनुबन्धित दर 13.75% की अपेक्षा 18% लगातार संविदाकार को निम्न विवरण अनुसार ₹1827 का भुगतान अधिक किया गयाः–

विवरण	**राशि (₹)**
1 No. Supplying of 100 ltr water cooler	–43000
1 No. installation	–6500
	49500
जितना वैट देय था i.e. 13.75%	5913
	55413
जितना भुगतान किया	57240
अधिक भुगतान	1827

अतः वर्णित अनियमितता को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा ₹1827 की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके नगर परिषद निधि में जमा करवाई जाये।

(v) आबंटन पत्र की शर्त संख्याः 13 के अनुसार संविदाकार को भुगतान करते समय उसके बिल से Income tax, Sale tax, labour cess की कटौती की जानी अपेक्षित थी परन्तु संविदाकार के बिल से 1% income tax, 1% labour cess तथा 3% सेल्स टैक्स की दर से क्रमशः ₹572, ₹572 ₹1717 की कटौती नहीं की गई थी जिसके कारण ठेकेदार को कुल ₹2289 का अधिक भुगतान करने पर परिषद को राजस्व हानि हुई है जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा देय राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके सम्बन्धित विभागों में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

(च) Name of Work Supply of Benches at Railway Station ward No. 2

Name of contractor Sh. Vikrant Sharma

Awarded Amount ₹66600

Awarded letter No. MC/work/2017-1655 dated 17.6.17

M.B.No. 316 P-88

Bill No. First & Final Bill

उक्त निर्माण कार्य का अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित टिप्पणियाँ अपेक्षित हैः–

1) बिल के साथ अनुबन्ध संलग्न नहीं था और न ही अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया।

2) कार्य स्थल पर 10 नं0 CI Benches को स्थापित किया दर्शाया गया परन्तु न तो इसको सक्षम प्राधिकारी से टेस्ट चैक करवाया गया और न ही इसकी प्रविष्टि immovable property register में की गई थी।

3) किसी भी निर्माण कार्य के निष्पादन से पूर्व कार्य की drawing & design, estimate, technically तथा administratively approval होना अनिवार्य है जबकि इस कार्य को करवाने से नियमानुसार प्रक्रिया न अपनाकर सीधे इस कार्य का निष्पादन करवाया गया।

अतः वर्णित अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करते हुए इस सन्दर्भ में अब अपेक्षित कार्यवाही के अतिरिक्त वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

38 सोलन शहर के पार्कों की मुरम्मत/सौन्दर्यकरण पर खर्च ₹2.77 लाख के अंकेक्षण में पाई गई अनियमितताएं

नगर परिषद सोलन ने मोहन पार्क, गंज बाजार पार्क की मुरम्मत/सौन्दर्यकरण करवाने के लिए मैसर्ज ग्रीन सोल्यूशन पंचकुला को Ornamentals trees/plants की सप्लाई एवं पार्क में

plantation करने हेतु ₹277566 (145861 व ₹131705) का भुगतान चैक संख्या 378913 दिनांक 16.10.17 द्वारा किया गया था जिसका सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताए पाई गईः–

(i) निर्माण शाखा ने अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्य का निष्पादन वन विभाग द्वारा प्रतिपादित नियमों के आधार पर अनुमानित व्यय का आंकलन स्वीकृत करके किया जाना अपेक्षित था जबकि नगर परिषद ने इस कार्य की NIT बिना आंकलन की स्वीकृति के ही जारी की गई थी।

(ii) उक्त कार्य के निष्पादन के लिये टेंडर विक्रय किये बिना ही ठेकेदारों/फर्मों से आमन्त्रित किए गए जिसके कारण नगर परिषद को टेंडर विक्रय से प्राप्त होने वाली आय की हानि वहन करनी पड़ी।

(iii) निमयानुसार टेंडर जमा करते समय 2.5% के आधार पर earnest money लिये जाने का प्रावधान है जबकि इस कार्य में संविदाकारों को कोई भी earnest money प्राप्त नहीं की गई।

(iv) भुगतान करते समय फर्म के बिल की राशि में से प्रतिभूति राशि की कटौती नहीं की गई जबकि नियमानुसार ठेकेदार/फर्म को भुगतान करने से पूर्व बिल से प्रतिभूति राशि की कटौती किया जाना अपेक्षित है।

(v) नगर परिषद द्वारा उक्त कार्य के निष्पादन हेतु जारी आबंटन पत्र (Award letter) No. MC/Work/2017-18-3027 and No. 3029 dated 11.09.17 (copy enclosed) में ऐसी कोई भी शर्त विहित नहीं थी जिसमें यह स्पष्ट प्रावधान किया गया हो कि फर्म वर्णित plantations की देखरेख कब तक करेगी और यदि उस अवधि में कोई plant खराब हो जाता है तो फर्म उसकी जगह नया plant उपलब्ध करवायगी या नहीं?

(vi) नगर परिषद ने मोहन पार्क, गंज बाजार पार्क में Ornamentals trees/plants लगाने के लिये हिमाचल प्रदेश के वन विभाग/Dr.Y.S. Parmar University, Noni Distt. Solan (H.P.) से आपूर्ति या अनुउपलब्धता का प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना M/S Green Solutions Panchkula से पौधों की आपूर्ति व पौधारोपण का कार्य करवाया गया जोकि अनियमित है।

(vii) Ornamentals trees/plants से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर/material at site रजिस्टर अवलोकन हेतु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 24 दिनांक 5.11.19 के द्वारा यह प्रकरण कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिस सन्दर्भ में नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया। अतः वर्णित अनियमितताओं का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त अपेक्षित अभिलेख/सूचनाएं, प्रतिभूति से सम्बन्धित एफडीआर और पार्को में लगाये गए Ornamentals trees/plants में से जो plants खराब हो गये थे उसका ब्यौरा सहित आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

39 Fire Equipment की खरीद/आपूर्ति हेतु ₹0.77 लाख के भुगतान में पाई गई अनियमितताएं

नगर परिषद द्वारा fire equipment की आपूर्ति हेतु M/S Vaibhav safety Engineers, Kalka panchkula को ₹77491 का भुगतान किया गया जिसका अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायेः–

(i) Fire equipment की खरीद हेतु दिनांक 10.06.16 को टेंडर आमन्त्रित किये गये थे जिसके अन्तर्गत चार फर्मों के टेंडर प्राप्त हुए परन्तु टेंडर के समय न तो फर्मों से टेंडर फीस वसूल की गई और न ही earnest money जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है।

(ii) उक्त बिल के भुगतान का इन्द्राज माप पुस्तिका संख्या 331 पृष्ठ 100 पर किया गया था जिसमें ₹8991 की GST की राशि भी शामिल थी परन्तु टेंडर के समय जो दरें संविदाकार ने प्रस्तुत की थी उसमें कहीं भी यह शर्त नहीं दर्शाई गई थी जीएसटी अलग से चार्ज किया जायेगा जिससे स्पष्ट होता है कि संविदाकार द्वारा प्रस्तुत दरों में GST शामिल था तथा यह अलग से claim नहीं किया जाना था। इस प्रकार संविदाकार को GST का अतिरिक्त से भुगतान करना गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित राशि की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करके नगर परिषद निधि में जमा की जाये।

(iii) भुगतान वाउचर के साथ संलग्न नोटिंग के अनुसार नगर परिषद ने खरीद किये समान की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर IV-10-13 पर की गई दर्शाई थी परन्तु इससे सम्बन्धित स्टॉक

रजिस्टर को सत्यापन हेतु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न करना सुनिश्चित किया जाये।

40 निर्माण कार्य बिलों से प्रतिभूति (Security) की कटौती न करना

Dnit (demand notice inviting tender) ds clause 1 में विहित प्रावधान के अनुसार संविदाकार को भुगतान करते समय बिल की 10% राशि के बराबर प्रतिभूति की कटौती की जानी अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न निर्माण कार्य बिलों का भुगतान करते समय प्रतिभूति की कटौती नहीं की गई थी जोकि उक्त वर्णित clause में विहित शर्त के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित हैः–

निर्माण कार्य का शीर्ष	वाउचर संख्या / माप पुस्तिका संख्या	निर्माण कार्य आबंटन पत्र संख्या / दिनांक / राशि	कुल भुगतान (₹)	प्रतिभूति राशि की देय कटौती (₹)
Repair & maintenance of water supply tanks of Solan town (SH: repair, welding, pipe replacement & laying etc.) / Sh.Shahjahan	27/37 (2)/ 04/18 / 330(99 to 100)	No.MC/Work/2017-1373, office of MC, dated 21/6/17	420500/- (तीसरे बिल तक भुगतान)	42050/
Supply of galvanized Mild steel for various ward of MC Solan. / Sh. Vikrant Sharma.	25/36 / 04/18	No.MC/Work/2017-5821, office of MC, dated 22/3/18	1471932/-	147193/-

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 40 दिनांक 04.12.19 द्वारा वर्णित अनियमितता नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित अनियमितता नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करने हेतु उच्च सक्षम प्राधिकारी के ध्यान में लाई जाती है।

41 सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना संविदाकार को ₹0.09 लाख का अनियमित भुगतान करना

निर्माण कार्यों के निष्पादन के दौरान विभिन्न कार्य मदों की अनुमानित/आंकलित मात्रा से अधिक निष्पादित मात्रा एवं इस हेतु देय भुगतान को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि व्यय वाउचरों के साथ संलग्न निर्माण कार्य समापन प्रमाण पत्र (Work completion certificate) पर कनिष्ठ अभियन्ता (Junior engineer) तथा परिषद अभियन्ता (Municipal Engineer) द्वारा अनुमोदित कुल व्यय (विचलन सहित) वास्तविक व्यय से कम था जिसके कारण निम्न विवरण अनुसार संविदाकार को किया गया ₹8862 का अधिक भुगतान अनियमित हैः–

निर्माण कार्य का शीर्ष / संविदाकार का नाम /	**वाउचर संख्या / दिनांक / माप पुस्तिका संख्या**	**निर्माण कार्य आबंटन पत्र / कार्य की आबंटन राशि / आकलन /schedule rate से जीतने % ऊपर आबंटित किया गया**	**बिल की कुल राशि (क) (₹)**	**परिषद अभियंता द्वारा अनुमोदित राशि (ख) (₹)**	**कम अनुमोदित राशि (क-ख) (₹)**
C/o of drain near sawmills to sholini Banquet hall / Sh. Anil Chauhan	15/26 / 04/18 / 336 (67 to 69)	No.MC/Work/2017-5839, office of MC, dated 22/3/18/	222701	222659	42
Special repair of path, drain, steps and sewer etc (SH: Dismantling , paver block, drain) / Sh. Suman Sharma	21/32 / 04/18 / 334 (62 to 63)	No.MC/Work/2017-4641, office of MC, dated 12/1/18/	479533	470713	8820
				योग	**8862**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 41 दिनांक 10.12.19 द्वारा यह अनियमितता परिषद के ध्यान में लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए या तो इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा ₹8862 की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

42 Bitumen की खपत/स्टॉक सम्बन्धी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने के अतिरिक्त निर्माण कार्य बिलों से रायल्टी की कटौती न करना

(i) कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी न तो निम्न वर्णित निर्माण कार्यों में bitumen की खपत विवरणी तथा न ही bitumen के स्टॉक से सम्बन्धित अभिलेख जैसे stock register indents, contractor ledger इत्यादि अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए जिसके अभाव में निर्माण कार्य बिलों/स्टॉक का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। यह अनियमितता अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 42 दिनांक 10.12.19 द्वारा नगर परिषद के ध्यान मे लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जायेः–

निर्माण कार्य का शीर्ष	वाउचर संख्या / दिनांक / माप पुस्तिका	निर्माण कार्य आबंटन पत्र संख्या	विवरण	टिप्पणी
Repair & maintenance of Chambaghat Bawra roadb (M/T From chambaghat chowk to PNB bank) / Sh. Subhash Chand Rana	28/39 (3)/ 04/18 / 331(39 to 40)	No.MC/Work/2017-1672, office of MC, dated 08/06/16	45000/- (7500/-x6 drums)	खपत विवरणी संलग्न नहीं थी एवं Indent नहीं दर्शाया गया।
Premix carpet surfacing of road in ward no. 9 & 10 from Chajta house Chowak to SDM residence parking (renewal coat of road surface) / Sh. Subhash Chand	28/39 (4)/ 04/18 / 340(19 to 21)	No.MC/Work/2016-5863, office of MC, dated 29/10/16	150000/- (7500/-x20 drums)	Indent नहीं दर्शाया गया।

(ii) नियमानुसार निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु निर्माण कार्य स्थल पर प्रयोग की गई निर्माण सामग्री रेत, बजरी, पत्थर आदि पर royalty की कटौती की जानी अपेक्षित है परन्तु निम्नलिखित निर्माण कार्यों में बजरी का प्रयोग होने पर भी न तो आपूर्तिकर्ता से निर्धारित फार्म "एम" ही प्राप्त किया गया था और न ही रायल्टी की कटौती की गई थी जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इस सन्दर्भ में अब अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

निर्माण कार्य का शीर्ष	वाउचर संख्या / दिनांक / माप पुस्तिका	कार्य मद का विवरण	मात्रा
Repair & maintenance of Chambaghat Bawra roadb (M/T From chambaghat chowk to PNB bank) / Sh.	28/39 (3)/ 04/18 / 331(39 to 40)	PL spreading and compacting stone aggregate of specific size	7.64 cubm

Subhash Chand Rana			
Premix carpet surfacing of road in ward no. 9 & 10 from Chajta house Chowak to SDM residence parking (renewal coat of road surface) / Sh. Subhash Chand	28/39 (4)/ 04/18 / 340(19 to 21)	PL spreading and compacting stone aggregate of specific size	16.86 cubm

43 निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृतियाँ अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

किसी भी निर्माण कार्य के निष्पादन से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण कार्य का आबंटन एवं निष्पादन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान निम्न वर्णित निर्माण कार्यों में उक्त वर्णित स्वीकृतियाँ न तो व्यय वाउचरों के साथ संलग्न पाई गई तथा न ही कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी अवलोकन हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत की गई।

निर्माण कार्य का शीर्ष / संविदाकार का नाम /	वाउचर संख्या / दिनांक	निर्माण कार्य के आकलन से संबन्धित राशि (₹)	कार्य की आबंटन राशि / schedule rate से जीतने % ऊपर आबंटित किया गया (₹)	निर्माण कार्य पर कुल व्यय (₹)
C/o of retaining wall near the house of Pradeep ward no. 15. / Sh. Anil Sharma	13/24 / 04/18	359088/-	556380 / आबंटन पत्र पर अंकित नहीं	556380/-
Improvement of road in ward no. 9 near Col. Rajesh house, SH:- p/l phinolex pipe / Sh. Bishan Dass	14/25 / 04/18	119874/-	185134 / 54%	133605/-
C/o of drain near sawmills to sholini Banquet hall / Sh. Anil Chauhan	15/26 / 04/18	149596/-	222560 / 58%	222701/-
C/o of path / nallah near Satish house ward no. 8. / Sh. Gita Ram	16/27 / 04/18	96027/-	149991/ 56%	149991/-
C/o of nallah adjoining Gurdwara (ward no.4) / Sh. Ram Paul	17/28 / 04/18	200228/-	342648 / 71%	342648/-
PL checkered tiles near the house of Shyam Lal ward no. 12 and adjoining area. /	18/29 / 04/18	98362/-	170080 / 41%	170080/-

Sh. Gurudev Singh.				
C/O R/wall near park housing board colony, ward no. 14, sub head :- RR Masonry / Rohit Chauhan	19/30 / 04/18	98956/-	170160 / 71%	169036/-
PL polythene pipe near the house of Smt. Asha ward no. 10. SH: Pipe and CC work / M/S Brothers traders	20/31 / 04/18	प्राकलन संलगन नही पाया गया।	210669.30 / 111%	164183/-
Special repair of path, drain, steps and sewer etc (SH: Dismantling , paver block, drain) / Sh. Suman Sharma	21/32 / 04/18	319244/-	319243 / 474294 / 48%	474294/-
Renovation of children park ward no. 2 SH 1:6:12 and brick masonry / Sh. Vivek Dhhobal	22/33 / 04/18	98173/-	147007 / 49%	56271/- N=48671/-
Construction of new room at chambaghat(Shamshanghat) ,SH: coiumn, stair, rcc wall etc. / Sh. Rajesh Kumar	23/34 / 04/18	521089/-	708188 / 35%	708188/-
Special repair of park at Jawahar park in ward no. 6, SH: Suply of good earth and manure etc./ Sh. Bhupender singh Thakur	24/35 / 04/18	97511/-	159686 / 61%	143472/-
Supply of galvanized Mild steel for various ward of MC Solan. / Sh. Vikrant Sharma.	25/36 / 04/18	प्राकलन संलगन नहीं है।	1246500 / अंकित नहीं	1471932/-
Repair & maintenance of water supply tanks of Solan town (SH: white washing) / Sh.Shahjahan	26/37 (1) / 04/18	98990/-	156240 / 57%	156240
Repair & maintenance of water supply tanks of Solan town (SH: repair, welding, pipe replacement & laying etc.) / Sh.Shahjahan	26/37 (2)/ 04/18	प्राकलन संलगन नही।	आबंटन पत्र संलग्न नही	420500/--
P/L CC 1:6:12 and 1:2:4 on road in scientist colony to Negi colony ward no. 11./ Sh. Parminder singh	27/38 (1)/ 04/18	प्राकलन संलगन नही।	222720 / 78%	221212/-
C/o retaining wall on link road Vivekanand Vihar ward no.15 / Sh. Parminder	27/38 (2)/ 04/18	प्राकलन संलगन नही।	176256 / 46%	159128/-

singh				
Providing finolex pipe for crossing of waste water near Shoolini mata gate ward no.8 / Sh. Subhash Chand Rana	27/38 (3)/ 04/18	प्राकलन संलगन नही।	16990 / अंकित नहीं	16990/-
Repair and restoration of path at various point in Kather ward no. 3. / Sh. Subhash Chand Rana	28/39 (1)/ 04/18	98007/-	163870 / 67%	162066/-
C/o road from negi house to railway station in ward no. 4 / Sh. Subhash Chand Rana	28/39 (2)/ 04/18	96464/-	183625 / 90%	178728/-
Repair & maintenance of Chambaghat Bawra roadb (M/T From chambaghat chowk to PNB bank) / Sh. Subhash Chand Rana	28/39 (3)/ 04/18	99679/-	208080 / 108%	128683/-
Premix carpet surfacing of road in ward no. 9 & 10 from Chajta house Chowak to SDM residence parking (renewal coat of road surface) / Sh. Subhash Chand	28/39 (4)/ 04/18	300490/-	573704 / 91%	78684/-
Providing r/wall at patrar nallah near the house of sh. Ramesh, ward no. 15 / Sh. Ramesh chand saharma	29/40 (2)/ 04/18	43988/-	756632 / 75%	756632/-
R/M of road from dhori diwali to electricity division (power house road in ward no.1) / Sh. Nain sigh	32/52 (1)/ 04/18	244826/-	432476 / 76%	431621/-
R/M of road Gurudwara to dhori, power road drain etc. / Sh. Nain sigh	32/52 (2)/ 04/18	199086/-	351816 / 79%	193970/-
C/o prefabricated houses and community hall under IHSDP	3/3 / 04/18	प्राकलन संलगन नही।	कार्य आबंटन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया ।	18296665/- (छठे चालित बिल में किया गया भुगतान)
RM of rest house , SH Roof treatment of kitchen etc. / Sh. Yaju Pant	12/14 / 04/18	99460/-	138499 / 39%	93971/-

Proposed shelter for urban homeless near Thodo Ground ward no. 7 Solan, SH:- C/O first floor / Sh. Ritesh Verma	10/12 / 04/18	प्राकलन संलगन नही।	657087 / 12%	405588/-
Pf finolex pipe 200mm dia below anand vihar ward no. 13 / Sh. Bhupender singh thakur	11/13 / 04/18	116042/-	170372 / 62%	105486/--

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 40 दिनांक 4.12.19 द्वारा भी यह अनियमितता परिषद के ध्यान में लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित स्वीकृतियाँ सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

44 निर्माण कार्यों में उपयोग की गई सामग्री की खपत विवरणी तैयार न करने के अतिरिक्त संविदाकारों से निर्माण कार्य सामग्री के क्रय सम्बन्धी बिल प्राप्त न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निर्माण कार्यों में उपयोग निर्माण सामग्री (सीमेन्ट, स्टील आदि) की न तो खपत विवरणी (Consumption statements) तैयार की जा रही है तथा न ही संविदाकारो से निर्माण कार्य में उपयोग हुई निर्माण सामग्रियों के क्रय से सम्बन्धित बिल प्राप्त किए जा रहे है जिसके अभाव में चयनित माह के निर्माण कार्य बिलों का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। उपरोक्त अनियमितता अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 41 दिनांक 10. 12.19 द्वारा नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख/सूचना आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

निर्माण कार्य का शीर्ष/संविदाकार का नाम	**वाउचर संख्या/दिनांक/माप पुस्तिका संख्या**	**निर्माण कार्य आबंटन पत्र संख्या/दिनांक**
C/O of retaining wal near the house of Pradeep ward No.15/Sh.Anil Sharma	13/24/04/18	No.MC/Work/2017-4642, office of MC dated 12.01.18

C/O of drain near sawmills to Sholini Banquet hall/Sh. Anil Chauhan	15/26/04/18	No.MC/Work/2017-5839, office of MC, dated 22.3.18
C/O of path/nallah near Satish house ward No. 8/Sh.Gita Ram	16/27/04/18	No.MC /Work/2017-2187, office of MC, dated 24.7.17
C/O of nallah adjoining Gurdwara (ward No. 4)/Sh. Ram Paul	17/28/04-18	No.MC/Work/2017-4277, office of MC, dated 3.1.18
C/O R/wall near park housing board colony, ward No. 14, sub head:- RR Masonry/Rohit Chauhan	19/30/04/18	No.MC/Work/2017-5601, office of MC, dated 12.3.18
Special repair of path, drain, steps and sewer etc (SH: Dismantling, paver block, drain)/Sh.Suman Sharma	21/32/04/18	No.MC/Work/2017-4641, office of MC, dated 12.1.18
Renovation of children park ward No. 2 SH 1:6:12 and brick masonry/Sh. Vivek Dhhobal	22/33/04/18	No.MC/Work/2017-3572, office of MC, dated 09.10.17
Construction of new room at chambaghat (Shamshanghat) SH coiumn, stair rcc wall etc/Sh.Rajesh Kumar	23/34/04/18	No.MC/Work/2017-5822, office of MC dated 27.3.18
Special repair of park at jwahar park in ward No. 6, SH: Supply of good earth and manure etc./Sh.Bhupender Singh Thakur	24/35/04/18	No.MC/Work/2017-3297, office of MC, dated 22.9.17

Repair and restoration of path at various point in kather ward No. 3/SH.Subhash Chand Rana	28/39 (1)/04/18	No.MC/Work/2017-3505, office of MC, dated 6.10.17
C/O road from negi house to railway station in ward No.4/Sh.Subhash Chand Rana	28/39(2)/04/18	No.MC/Work/2017-4155, office of MC dated 22.12.17
Repair & maintenance of Chambaghat Bawra roadb (M/T from chambagfhat chowk to PNB bank) Sh. Subhash Chand Rana	28/39 (3)/04/18	No.MC/Work/2017-1672, office of MC, dated 08.06.16
Providing r/wall at patrar nallah near the house of SH. Ramesh, ward No. 15/Sh.Ramesh Chand Sharma	28/39 (2)/04/18	No.MC/Work/2017-3416, office of MC, dated 03.10.17
Proposed shelter for urben homeless near Thodo Ground ward No. 7 Solan, SH C/O first floor/Sh. Ritesh Verma	10/12/04/18	No.MC/Work/2017-132, office of MC, dated 11.04.17

45 संविदाकारों के साथ किए गए निर्माण कार्य अनुबन्ध (Contract) अवलोकन हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

संविदाकारों को निर्माण कार्य आबंटित करते समय निर्माण कार्य अनुबन्ध (Contract/agreement) किए जाते है जिसमें कार्य के निष्पादन से सम्बन्धित विभिन्न दिशा निर्देश एवं शर्तें विहित होती है जिसके आधार पर ही निर्माण कार्य के निष्पादन का विनियमन किया जाता है परन्तु अंकेक्षण के दौरान निम्न वर्णित निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में संविदाकारों के साथ किए गए अनुबन्ध कई बार मौखिक एवं अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 40 दिनांक 4.12.19 द्वारा लिखित आग्रह के पश्चात भी अंकेक्षण में अवलोकलन हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में सम्बन्धित निर्माण कार्य बिलों का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जायेः–

निर्माण कार्य का शीर्ष / संविदाकार का नाम /	वाउचर संख्या / दिनांक	निर्माण कार्य आबंटन पत्र / दिनांक
C/o of retaining wall near the house of Pradeep ward no. 15. / Sh. Anil Sharma	13/24 / 04/18	No.MC/Work/2017-4642,office of MC, dated 12/01/18
Improvement of road in ward no. 9 near Col. Rajesh house, SH:- p/l phinolex pipe / Sh. Bishan Dass	14/25 / 04/18	No.MC/Work/2017-3534, office of MC, dated 7/10/17
C/o of drain near sawmills to sholini Banquet hall / Sh. Anil Chauhan	15/26 / 04/18	No.MC/Work/2017-5839, office of MC, dated 22/3/18
C/o of nallah adjoining Gurdwara (ward no.4) / Sh. Ram Paul	17/28 / 04/18	No.MC/Work/2017-4277, office of MC, dated 3/1/18
PL checkered tiles near the house of Shyam Lal ward no. 12 and adjoining area. / Sh. Gurudev Singh.	18/29 / 04/18	No.MC/Work/2017-4299, office of MC, dated 3/1/18
Special repair of path, drain, steps and sewer etc (SH: Dismantling , paver block, drain) / Sh. Suman Sharma	21/32 / 04/18	No.MC/Work/2017-4641, office of MC, dated 12/1/18
Construction of new room at chambaghat (Shamshanghat),SH: coiumn, stair, rcc wall etc. / Sh. Rajesh Kumar	23/34 / 04/18	No.MC/Work/2017-5822, office of MC, dated 27/3/18
Supply of galvanized Mild steel for various ward of MC Solan. / Sh. Vikrant Sharma.	25/36 / 04/18	No.MC/Work/2017-5821, office of MC, dated 22/3/18
P/L CC 1:6:12 and 1:2:4 on road in scientist colony to Negi colony ward no. 11./ Sh. Parminder singh	27/38 (1)/ 04/18	No.MC/Work/2017-5187, office of MC, dated 6/2/18
Providing r/wall at patrar nallah near the house of sh. Ramesh, ward no. 15 / Sh. Ramesh chand saharma	29/40/ 04/18	No.MC/Work/2017-3416, office of MC, dated 03/10/17
R/M of road Gurudwara to dhori, power road drain etc. / Sh. Nain sigh	32/52 (2)/ 04/18	No.MC/Work/2017-969, office of MC, dated 5/5/17
Proposed shelter for urban homeless near Thodo Ground ward no. 7 Solan, SH:- C/O first floor / Sh. Ritesh Verma	10/12 / 04/18	No.MC/Work/2017-132, office of MC, dated 11/04/17

Pf finolex pipe 200mm dia below anand vihar ward no. 13 / Sh. Bhupender singh thakur	11/13 / 04/18	No.MC/Work/2017-4294, office of MC, dated 3/1/18

46 निर्माण कार्यों के आबंटन का अंकेक्षण करने के दौरान पाई गई अनियमितताएं

निर्माण कार्य का आबंटन किए जाने से पूर्व नियमानुसार sealed tenders आमन्त्रित किए जाते है ताकि निर्माण कार्यों का निष्पादन न्यूनतम प्रतिस्पर्धा दरों (Competitive rates) पर सुनिश्चित हो सके परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु offline tenders आमन्त्रित किए गए थे जोकि सीलबन्द प्रतीत नहीं होते और न ही प्राप्त टैण्डर को Dairy किया गया था जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माण कार्यों के आबंटन हेतु पारदर्शी एवं नियमानुसार उचित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थीः–

निर्माण कार्य का शीर्ष / संविदाकार का नाम /	**वाउचर संख्या / दिनांक**	**जिस तिथि को tenders आमंत्रित किए गए था खोले गए**	**निर्माण कार्य आबंटन राशि (₹)**
C/o of path / nallah near Satish house ward no. 8. / Sh. Gita Ram	16/27 / 04/18	20/5/17	149991/-
C/O R/wall near park housing board colony, ward no. 14, sub head :- RR Masonry / Rohit Chauhan	19/30 / 04/18	7/10/17	170160/-
PL polythene pipe near the house of Smt. Asha ward no. 10. SH: Pipe and CC work / M/S Brothers traders	20/31 / 04/18	30/1/18	210669/-
Renovation of children park ward no. 2 SH 1:6:12 and brick masonry / Sh. Vivek Dhhobal	22/33 / 04/18	7/10/17	147007/-
Special repair of park at Jawahar park in ward no. 6, SH: Suply of good earth and manure etc./ Sh. Bhupender singh Thakur	24/35 / 04/18	8/9/17	159686/-
Repair & maintenance of water supply tanks of Solan town (SH: white washing) / Sh.Shahjahan	26/37 (1) / 04/18	18/1/18	156240
C/o retaining wall on link road Vivekanand Vihar ward no.15 / Sh. Parminder singh	27/38 (2)/ 04/18	7/10/17	176256/-
Providing finolex pipe for crossing of waste water near	27/38 (3)/ 04/18	22/6/15	16990/-

Shoolini mata gate ward no.8 / Sh. Parminder Singh			
Repair and restoration of path at various point in Kather ward no. 3. / Sh. Subhash Chand Rana	28/39 (1)/ 04/18	13/4/17	163870/-
C/o road from negi house to railway station in ward no. 4 / Sh. Subhash Chand Rana	28/39 (2)/ 04/18	7/10/17	183625/-
Repair & maintenance of Chambaghat Bawra roadb (M/T From chambaghat chowk to PNB bank) / Sh. Subhash Chand Rana	28/39 (3)/ 04/18	28/5/16	208080/-
Premix carpet surfacing of road in ward no. 9 & 10 from Chajta house Chowak to SDM residence parking (renewal coat of road surface) / Sh. Subhash Chand	28/39 (4)/ 04/18	18/10/16 (tender के विक्रय की तिथि) 19/10/16 (tender के खोलने की तिथि)	573704/-
R/M of road from dhori diwali to electricity division (power house road in ward no.1) / Sh. Nain sigh	32/52 (1)/ 04/18	22/12/16	432476/-
RM of rest house , SH Roof treatment of kitchen etc. / Sh. Yaju Pant	12/14 / 04/18	---------	138499/-

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 40 दिनांक 04.12.19 द्वारा यह अनियमितता परिषद के ध्यान में लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित अनियमितता उच्च सक्षम प्राधिकारी के ध्यान में पूर्ण छानबीन उपरान्त नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु लाई जाती है।

47 निर्माण कार्यों को निर्धारित समय अवधि में पूर्ण न करने के कारण संविदाकार के विरूद्ध अनुबन्ध के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही न करना

नगर परिषद द्वारा Dnit तथा आबंटन पत्र में विहित शर्त के अनुसार निम्न निर्माण कार्यों के समापन हेतु 2 माह की समय अवधि निर्धारित की गई थी परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्णित निर्माण कार्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण न करने के कारण न तो संविदाकार के विरूद्ध अनुबन्ध के Clause–2 के अन्तर्गत दण्डात्मक (penality) कार्यवाही की

गई थी तथा न ही निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु समय अवधि बढ़ाने सम्बन्धी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति/स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत की गई जोकि गम्भीर अनियमितता हैः–

निर्माण कार्य का शीर्ष / संविदाकार का नाम /	**वाउचर संख्या / दिनांक**	**निर्माण कार्य आबंटन पत्र / तिथि**	**निर्माण कार्य की आरंभ होने की तिथि / निर्माण कार्य के समाप्त होने की तिथि**
PL checkered tiles near the house of Shyam Lal ward no. 12 and adjoining area. / Sh. Gurudev Singh.	18/29 / 04/18	No.MC/Work/2017-4299, office of MC, dated 3/1/18	**25/1/18 / 30/3/18**
Renovation of children park ward no. 2 SH 1:6:12 and brick masonry / Sh. Vivek Dhhobal	22/33 / 04/18	No.MC/Work/2017-3572, office of MC, dated 09/10/17 (प्रथम बिल)	9/10/17 से जारी माप पुस्तिका में प्रथम चलत बिल बनाए जाने की तिथि 15/1/18
Providing finolex pipe for crossing of waste water near Shoolini mata gate ward no.8 / Sh. Sh. Parminder singh	27/38 (3)/ 04/18	MC, Work order no.25 dated 10/7/15	25/1/18 / 30/1/18 (निर्माण कार्य दिनांक 10/7/15 को आबंटित किया गया था तथा कार्य के समापन हेतु एक सप्ताह निर्धारित किया गया था)
Repair and restoration of path at various point in Kather ward no. 3. / Sh. Subhash Chand Rana	28/39 (1)/ 04/18	No.MC/Work/2017-3505, office of MC, dated 6/10/17	6/10/17 / 7/2/18
Premix carpet surfacing of road in ward no. 9 & 10 from Chajta house Chowak to SDM residence parking (renewal coat of road surface) / Sh. Subhash Chand	28/39 (4)/ 04/18	No.MC/Work/2016-5863, office of MC, dated 29/10/16	1/6/17 / 1/2/18
C/o road from Negi house to railway station in ward no. 4/ Sh. Subhash chand saharma	28/39 (2)/ 04/18	No.MC/Work/2017-3416, office of MC, dated 03/10/17	15/10/17 / 22/2/18
R/M of road Gurudwara to dhori, power road drain etc. / Sh. Nain sigh	32/50 (2)/ 04/18	No.MC/Work/2017-969, office of MC, dated 5/5/17	5/5/17 / 1/9/17

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 40 दिनांक 04.12.19 द्वारा यह अनियमितता परिषद के ध्यान में लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित अनियमितता का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जो

अन्यथा अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार अपेक्षित दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

48 निर्माण कार्य में सम्मिलित कार्य मदों के दर विश्लेषण (analysis of rates) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

निर्माण कार्य आबंटन से पूर्व जिन मदों का निर्माण कार्य में निष्पादन किया जाना है उनकी दरें नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया द्वारा analysis करके तैयार किये जाने अपेक्षित है ताकि आबंटन करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिन दरों पर संविदाकार को निर्माण कार्य का आबंटन किया जा रहा है वह वर्तमान market rates के भीतर होने के साथ–2 औचित्यपूर्ण (justified) है परन्तु निम्न निर्माण कार्यों बिलों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि परिषद द्वारा वर्णित दर विश्लेषण (Analysis of rates) तैयार नहीं किये जा रहे थे जिसके अभाव में Schedule rates से जितने % अधिक पर संविदाकारों को निर्माण कार्यों का आबंटन किया गया वे औचित्यपूर्ण है या नही, इस तथ्य की अंकेक्षण में पुष्टि सम्भव न हो सकी :–

निर्माण कार्य का शीर्ष / संविदाकार का नाम /	वाउचर संख्या / दिनांक	निर्माण कार्य के आकलन से संबन्धित राशि	कार्य की आबंटन राशि / schedule rate से जीतने % ऊपर आबंटित किया गया	निर्माण कार्य पर कुल व्यय
C/o of retaining wall near the house of Pradeep ward no. 15. / Sh. Anil Sharma	13/24 / 04/18	359088/-	556380/- / आबंटन पत्र पर अंकित नहीं	556380/-
Improvement of road in ward no. 9 near Col. Rajesh house, SH:- p/l phinolex pipe / Sh. Bishan Dass	14/25 / 04/18	119874/-	185134 /- / 54%	133605/-
C/o of drain near sawmills to sholini Banquet hall / Sh. Anil Chauhan	15/26 / 04/18	149596/-	222560 /- / 58%	222701/-
C/o of path / nallah near Satish house ward no. 8. / Sh. Gita Ram	16/27 / 04/18	96027/-	149991 /- / 56%	149991/-
C/o of nallah adjoining Gurdwara (ward no.4) / Sh. Ram Paul	17/28 / 04/18	200228/-	342648 /- / 71%	342648/-
PL checkered tiles near the house of Shyam Lal ward no. 12 and adjoining area. / Sh. Gurudev Singh.	18/29 / 04/18	98362/-	170080/- / 41%	170080/-
C/O R/wall near park housing	19/30 /	98956/-	170160/- / 71%	169036/-

board colony, ward no. 14, sub head :- RR Masonry / Rohit Chauhan	04/18			
PL polythene pipe near the house of Smt. Asha ward no. 10. SH: Pipe and CC work / M/S Brothers traders	20/31 / 04/18	प्राकलन संलगन नही पाया गया		210669.30/- / 111%	164183/-
Special repair of path, drain, steps and sewer etc (SH: Dismantling , paver block, drain) / Sh. Suman Sharma	21/32 / 04/18	319244/-	319243/- / 474294/- / 48%	474294/-
Renovation of children park ward no. 2 SH 1:6:12 and brick masonry / Sh. Vivek Dhhobal	22/33 / 04/18	98173/-	147007/- / 49%	56271/- N=48671/-
Construction of new room at chambaghat(Shamshanghat),SH: coiumn, stair, rcc wall etc. / Sh. Rajesh Kumar	23/34 / 04/18	521089/-	708188/- / 35%	708188/-
Special repair of park at Jawahar park in ward no. 6, SH: Suply of good earth and manure etc./ Sh. Bhupender singh Thakur	24/35 / 04/18	97511/-	159686/- / 61%	143472/-
Supply of galvanized Mild steel for various ward of MC Solan. / Sh. Vikrant Sharma.	25/36 / 04/18	प्राकलन संलगन नहीं है		1246500/- / अंकित नहीं	1471932/-
Repair & maintenance of water supply tanks of Solan town (SH: white washing) / Sh.Shahjahan	26/37 (1) / 04/18	98990/-	156240/- / 57%	156240
Repair & maintenance of water supply tanks of Solan town (SH: repair, welding, pipe replacement & laying etc.) / Sh.Shahjahan	26/37 (2)/ 04/18	प्राकलन संलगन नही		आबंटन पत्र संलग्न नही	420500/--
P/L CC 1:6:12 and 1:2:4 on road in scientist colony to Negi colony ward no. 11./ Sh. Parminder singh	27/38 (1)/ 04/18	प्राकलन संलगन नही		222720/- / 78%	221212/-
C/o retaining wall on link road Vivekanand Vihar ward no.15 / Sh. Parminder singh	27/38 (2)/ 04/18	प्राकलन संलगन नही		176256/- / 46%	159128/-
Providing finolex pipe for crossing of waste water near Shoolini mata gate ward no.8 /	27/38 (3)/ 04/18	प्राकलन संलगन नही		16990/- / अंकित नहीं	16990/-

Sh. Subhash Chand Rana				
Repair and restoration of path at various point in Kather ward no. 3. / Sh. Subhash Chand Rana	28/39 (1)/ 04/18	98007/-	163870/- / 67%	162066/-
C/o road from negi house to railway station in ward no. 4 / Sh. Subhash Chand Rana	28/39 (2)/ 04/18	96464/-	183625/- / 90%	178728/-
Repair & maintenance of Chambaghat Bawra roadb (M/T From chambaghat chowk to PNB bank) / Sh. Subhash Chand Rana	28/39 (3)/ 04/18	99679/-	208080/- / 108%	128683/-
Premix carpet surfacing of road in ward no. 9 & 10 from Chajta house Chowak to SDM residence parking (renewal coat of road surface) / Sh. Subhash Chand	28/39 (4)/ 04/18	300490/-	573704/- / 91%	78684/-
Providing r/wall at patrar nallah near the house of sh. Ramesh, ward no. 15 / Sh. Ramesh chand saharma	29/40 (2)/ 04/18	43988/-	756632/- / 75%	756632/-
R/M of road from dhori diwali to electricity division (power house road in ward no.1) / Sh. Nain singh	32/52 (1)/ 04/18	244826/-	432476/- / 76%	431621/-
R/M of road Gurudwara to dhori, power road drain etc. / Sh. Nain singh	32/52 (2)/ 04/18	199086/-	351816/- / 79%	193970/-
C/o prefabricated houses and community hall under IHSDP	3/3 / 04/18	प्राकलन संलगन नही।	कार्य आबंटन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।	18296665/- (छठे चालित बिल में किया गया भुगतान)
RM of rest house , SH Roof treatment of kitchen etc. / Sh. Yaju Pant	12/14 / 04/18	99460/-	138499/- / 39%	93971/-
Proposed shelter for urban homeless near Thodo Ground ward no. 7 Solan, SH:- C/O first floor / Sh. Ritesh Verma	10/12 / 04/18	प्राकलन संलगन नही।	657087/- / 12%	405588/-
Pf finolex pipe 200mm dia below anand vihar ward no. 13	11/13 / 04/18	116042/-	170372/- / 62%	105486/--

/ Sh. Bhupender singh thaku r				

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 40 दिनांक 04.12.19 द्वारा यह अनियमितता परिषद के ध्यान में लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

49 निर्माण कार्यों के अनुमोदित आंकलन (Estimate) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण के दौरान कई बार मौखिक तथा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 40 दिनांक 04.12.2019 द्वारा आग्रह के पश्चात भी निम्न निर्माण कार्यों के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित आंकलन अवलोकन हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाएः–

निर्माण कार्य का शीर्ष / संविदाकार का नाम /	**वाउचर संख्या / दिनांक**	**निर्माण कार्य के आकलन से संबन्धित राशि**	**कार्य आबंटन राशि / schedule rate से जितने % अधिक पर कार्य आबंटित किया गया**	**निर्माण कार्य पर कुल व्यय (₹)**
PL polythene pipe near the house of Smt. Asha ward no. 10. SH: Pipe and CC work / M/S Brothers traders	20/31 / 04/18	प्राकलन संलगन नही पाया गया		210669.30/- / 111%	164183/-
Supply of galvanized Mild steel for various ward of MC Solan. / Sh. Vikrant Sharma.	25/36 / 04/18	प्राकलन संलगन नहीं है		1246500/- / अंकित नहीं	1471932/-
Repair & maintenance of water supply tanks of Solan town (SH: repair, welding, pipe replacement & laying etc.) / Sh.Shahjahan	26/37 (2)/ 04/18	प्राकलन संलगन नही		आबंटन पत्र संलग्न नही	420500/--
P/L CC 1:6:12 and 1:2:4 on road in scientist colony to Negi colony ward no. 11./ Sh. Parminder singh	27/38 (1)/ 04/18	प्राकलन संलगन नही		222720/- / 78%	221212/-
C/o retaining wall on link road Vivekanand Vihar ward no.15 / Sh. Parminder singh	27/38 (2)/ 04/18	प्राकलन संलगन नही		176256/- / 46%	159128/-

Providing finolex pipe for crossing of waste water near Shoolini mata gate ward no.8 / Sh. Subhash Chand Rana	27/38 (3)/ 04/18	प्राकलन संलगन नही।	16990/- / अंकित नहीं	16990/-
C/o prefabricated houses and community hall under IHSDP	3/3 / 04/18	प्राकलन संलगन नही।	कार्य आबंटन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।	18296665/- (छठे चालित बिल में किया गया भुगतान)
Proposed shelter for urban homeless near Thodo Ground ward no. 7 Solan, SH:- C/O first floor / Sh. Ritesh Verma	10/12 / 04/18	प्राकलन संलगन नही।	657087/- / 12%	405588/-

50 माप पुस्तिकाओं के रख–रखाव में पाई गई अनियमितताएं

नियमानुसार माप पुस्तिका में निर्माण कार्य की निष्पादित कार्य प्रमात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ निर्माण कार्य की site पर सम्बन्धित work in charge/engineer द्वारा समय–2 पर निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसार संविदाकार या उसके द्वारा प्राधिकृत agent के समक्ष की जानी अपेक्षित है तथा नियमानुसार प्रथमतः किसी अन्य दस्तावेज पर record entries दर्ज करने के पश्चात प्रविष्टि सम्बन्धित माप पुस्तिका में किया जाना वर्जित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं में record entries एवं abstract of cost की प्रविष्टि एक ही तिथि में एक मुश्त की गई थी जोकि माप पुस्तिका में record entries दर्ज किए जाने सम्बन्धी उक्त दिशा निर्देशों/नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है तथा ऐसी अवस्था में किसी दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता हैः–

निर्माण कार्य का शीर्ष/संविदाकार का नाम	वाउचर संख्या/दिनांक/माप पुस्तिका संख्या	निर्माण कार्य आबंटन पत्र संख्या/दिनांक	निर्माण कार्य की आरम्भ होने की तिथि/निर्माण कार्य के समाप्त होने की तिथि
C/o of retaining wall near the house of Pradeep ward no. 15. / Sh. Anil Sharma	13/24 / 04/18/338 (46 to 48)	No.MC/Work/2017-4642,office of MC, dated 12/01/18	15.1.18/20.3.18
Improvement of road in ward no. 9 near Col. Rajesh	14/25 / 04/18/338 (29 to 33)	No.MC/Work/2017-3534, office of MC, dated 7/10/17	7.10.17/27.2.18

house, SH:- p/l phinolex pipe / Sh. Bishan Dass			
C/o of drain near sawmills to sholini Banquet hall / Sh. Anil Chauhan	15/26 / 04/18/336 (67 to 69)	No.MC/Work/2017-5839, office of MC, dated 22/3/18	23.3.18 / 2.4.18
C/o of path/nallah near Satish house ward No. 8/Sh.Gita Ram	16/27/04/18/336 (67 to 69)	No.MC/Work/2017-2187, office of MC, dated 24.7.17	1.12.17 / 3.1.18
C/O of nallah adjoining Gurdwara (ward No. 4)/Sh.Ram Paul	17/28 / 04/18/339 (64 to 66)	No.MC/Work/2017-4277, office of MC, dated 3/1/18	3.1.18 / 24.3.18
C/O R/wall near park housing board colony, ward No. 14, sub head-RR Masonry/Rohit Chahuan	19/30/04/18/334 (64 to 65)	No.MC/Work/2017-5601, office of MC, dated 12/3/18	12.3.18 / 6.4.18
Special repair of path, drain, steps and sewer etc. (SH: Dismanting, paver block, drain)/Sh.Suman Sharma	21/32/04/18/334 (62 to 63)	No.MC/Work/2017-4641, office of MC, dated 12.1.18	12.1.18 / 5.4.18
Renovation of children park ward No. 2 Sh. 1:6:12 and brick masonry/Sh.Vivek Dhhobal	22/33/04/18/339 (61)	No.MC/Work/2017-3572, office of MC, dated 09.10.17	12.1.18 / 5.4.18
Construction of new room at Chambaghat (Shamshanghat), SH:Column, Stair, rcc wall etc./Sh.Rajesh Kumar	23/34/04/18/340 (43 to 48)	No.MC/Work/2017-5822, office of MC, dated 27.3.18	23.3.18 / 6.4.18
Special repair of park at Jawahar park in ward No. 6, SH: Suply of good	24/35/04/18/329 (99 to 100)	No.MC/Work/2017-3297, office of MC, dated 22.9.17	22.9.17 / 28.11.17

earth and manure etc./Sh. Bhupender Singh Thakur			
Repair & maintenance of water supply tanks of Solan town (SH: white washing)/Sh. Shahjahan	26/37(1)/04/18/330-(97 to 99)	No.MC/Work/2017-5187, office of MC, dated 6.2.18	6.2.18 / 15.2.18
Repair and restoration of path at various point in Kather ward No.3/Sh.Subhash Chand Rana	28/39 (1)/04/18/339-(25 to 29)	No.MC/Work/2017-3505, office of MC, dated 6.10.17	6.10.17 / 7.2.18
C/O road from negi house to railway station in ward No. 4/Sh.Subhash Chand Rana	28/39 (2)/04/18/332-(99 to 100)	No.MC/Work/2017-4155, office of MC, dated 22.12.17	22.12.17 / 13.1.18
Repair & maintenance of Chambaghat Bawra road (M/T From chambaghat chowk to PNB bank)/Sh. Subhash Chand Rana	28/39(3)/04/18/331(39 to 40)	No.MC/Work/2017-1672, office of MC, dated 08.06.16	08.06.16 not mentioned
Premix carpet surfacing of road in ward No. 9 & 10 from Chajta house Chowk to SDM residence parking (renewal coat of road surface)/Sh.Subhash	28/39 (4)/04/18/340 (19 to 21)	No.MC/Work/2016-5863, office of MC, dated 29.10.16	1.6.17 / 1.2.18

Chand			
Providing r/wall at patrar nallah, ward No.15/Sh.Ramesh Chand Saharma	28/39 (2)/04/18/340 (40 to 42)	No.MC/Work/2017-3416, office of MC, dated 03.10.17	15.10.17 / 22.2.18
R/M of road from dhori diwali to electricity division (power house road in ward No.1)/Sh. Nain Singh	32/50 (1)/04/18/339 (70 to 72)	No.MC/Work/2017-6711, office of MC, dated 26.12.16	26.12.16/16.4.18

अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 40 दिनांक 04.12.19 द्वारा वर्णित अनियमितता के बारे में नगर परिषद को अवगत करवाया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित अनियमितता उच्चाधिकारियो के ध्यान में पूर्ण छानबीन उपरान्त वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु लाई जाती है।

51 अनुमोदित आकलनों की नियमानुसार recasting करके संशोधित आकलन (revised estimates) अनुमोदित न करवाना

निर्माण कार्यों का निष्पादन आकलन (estimte)/DNIT में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कार्य मदों के अनुसार ही किया जाना अपेक्षित है तथा यदि किसी कारणवश निर्माण कार्य का निष्पादन आकलन/DNIT में वर्णित कार्य मदों के अनुसार किया जाना सम्भव नहीं है तो ऐसी स्थिति में आकलन की recasting करके सक्षम प्राधिकारी से संशोधित आंकलन अनुमोदित करवाया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिषद द्वारा निम्न निर्माण कार्यों के आकलन/DNIT मे अनुमोदित कार्य मदों से कम मदों का निष्पादन किया

गया था परन्तु परिषद द्वारा आंकलन recast करके सक्षम प्राधिकारी से संशोधित आकलन स्वीकृत नहीं करवाए गए थे जोकि अनियमित हैः–

निर्माण कार्य का शीर्ष / संविदाकार का नाम /	**वाउचर संख्या / दिनांक / माप पुस्तिका संख्या**	**निर्माण कार्य आबंटन पत्र / कार्य की आबंटन राशि / आकलन /schedule rate से जीतने % ऊपर आबंटित किया गया**	**टिप्पणी**
C/o of drain near sawmills to sholini Banquet hall / Sh. Anil Chauhan	15/26 / 04/18 / 336 (67 to 69)	No.MC/Work/2017-5839, office of MC, dated 22/3/18	आकलन के 7 मदों में से केवल 3 मदों का निष्पादन किया गया था
C/o of nallah adjoining Gurdwara (ward no.4) / Sh. Ram Paul	17/28 / 04/18 / 339 (64 to 66)	No.MC/Work/2017-4277, office of MC, dated 3/1/18	आकलन के 5 मदों में से केवल 3 मदों का निष्पादन किया गया था
Special repair of path, drain, steps and sewer etc (SH: Dismantling , paver block, drain) / Sh. Suman Sharma	21/32 / 04/18 / 334 (62 to 63)	No.MC/Work/2017-4641, office of MC, dated 12/1/18/	आकलन के 6 मदों में से केवल 3 मदों का निष्पादन किया गया था
Renovation of children park ward no. 2 SH 1:6:12 and brick masonry / Sh. Vivek Dhhobal	22/33 / 04/18 / 339 (61)	No.MC/Work/2017-3572, office of MC, dated 09/10/17	आकलन के 6 मदों में से केवल 3 मदों का निष्पादन किया गया था
C/o road from negi house to railway station in ward no. 4 / Sh. Subhash Chand Rana	28/39 (2)/ 04/18 / 332-(99 to 100)	No.MC/Work/2017-4155, office of MC, dated 22/12/17	आकलन के 5 मदों में से केवल 2 मदों का निष्पादन किया गया था
R/M of road from dhori diwali to electricity division (power house road in ward no.1) / Sh. Nain singh	32/52 (1)/ 04/18 / 339(70 to 72)	No.MC/Work/2017-6711, office of MC, dated 26/12/16	आकलन के 2 मदों में से केवल 1 मद का निष्पादन किया गया था

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 42 दिनांक 10.12.19 द्वारा उक्त अनियमितता बारे नगर परिषद को अवगत करवाया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए इस सन्दर्भ में अब नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

52 निर्माण कार्य में निष्पादित अतिरिक्त मद (Extra items) के दर विश्लेषण (rate analysis) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

नियमानुसार extra/substitute items का निष्पादन सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के उपरान्त किया जाना आपेक्षित है परन्तु निर्माण कार्यों बिलों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार निष्पादित अतिरिक्त मदों (extra items) के दर विश्लेषण (rate analysis) न तो व्यय वाउचर के संलग्न थे और न ही कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए गए जोकि अनियमित हैः–

निर्माण कार्य का शीर्ष / संविदाकार का नाम /	वाउचर संख्या / दिनांक / माप पुस्तिका संख्या	निर्माण कार्य आबंटन पत्र / तिथि	मद का विवरण
Special repair of path, drain, steps and sewer etc (SH: Dismantling , paver block, drain) / Sh. Suman Sharma	21/32 / 04/18 / 334 (62 to 63)	No.MC/Work/2017-4641, office of MC, dated 12/1/18/	Carriage of concrete building rubbish etc. = 53.45 cubm x 210/- = 11225/-
Repair and restoration of path at various point in Kather ward no. 3. / Sh. Subhash Chand Rana	28/39 (1)/ 04/18 / 339-(25 to 29)	No.MC/Work/2017-3505, office of MC, dated 6/10/17 / 163870/-	2nd class brick work = 1.76 sqt 4665/- = 8210/-
R/M of road from dhori diwali to electricity division (power house road in ward no.1) / Sh. Nain sigh	32/52 (1)/ 04/18 / 339(70 to 72)	No.MC/Work/2017-6711, office of MC, dated 26/12/16	Disposal of all excavated earth lead up to 5 km = 51.06 cubm x 318= 16237/-

उक्त अनियमितता मौखिक रूप से कई बार परिषद के ध्यान में लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

53 निर्माण कार्य निष्पादन हेतु संविदाकार को किए गए ₹1.28 लाख के भुगतान में पाई गई अनियमितता (वाउचर संख्या 26/37 (2)/04/18)

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्य Repair & maintenance of water supply tanks of Solan town (SH: repair, welding, pipe replacement & laying etc)" के तृतीय चलित बिल हेतु संविदाकार को ₹127500 का भुगतान किया गया था। तृतीय चलित बिल का abstract of cost दिनांक 1.03.2018 को माप पुस्तिका संख्या 330 की पृष्ठ संख्या 99 से 100 पर दर्ज किया गया था जबकि इस से सम्बन्धित record entry माप पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 96 पर दिनांक 31.03.18 को दर्ज दर्शाई गई थी जिसके आधार पर ₹127500 का भुगतान संविदाकार को किया गया था परन्तु यह record entry रद्द (Cancel) कर दी गई थी। अतः रद्द की गई record entry के आधार पर संविदाकार को भुगतान तथा record entry दिनांक 31.03.18 से पूर्व दिनांक 01.03.18 को abstract of cost की माप पुस्तिका में प्रविष्टि दर्ज करने का औचित्य अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया। वर्णित अनियमितता अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 52 दिनांक 12.12.19 द्वारा नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नही हुआ। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

54 निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु विभागीय भण्डार से जारी सामग्री से सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

चयनित माह 10/17 के व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु विभागीय भण्डार से सामग्री जारी की गई थी परन्तु सम्बन्धित माप पुस्तिका में न तो इंडेंट नं0/दिनांक अंकित था और न ही इससे सम्बन्धित खपत का विवरण वर्णित था जिसके अभाव में निर्माण कार्य हेतु जारी सामग्री, खपत व देय वसूली का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका:–

कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	माप पुस्तिका	राशि (₹)	सामग्री का ब्यौरा	टिप्पणी
Providing renewal coat in Ward No. 4	Sh. Shubash Chand Rana	M.B. No. 331 P. 41 to 44	263398	12 drum bitumen	Indent No. not mentioned

R/M of chmbaghat Bawra Road SH: M/T from Chambaghat to PNB	Sh. Shubash Chand Rana	Mb No. 331 P 38 to 41	128683	6 drum bitumen	Indent no. not mentioned
C/O water storage tank above railway Station Salogra W.No. 4	Sh. Bhupinder Thakur	MB No. 335 p 13 to 19	280451	100 bags cement	Indent No. not mentioned

क्र0सं0	कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	माप पुस्तिका सं0	राशि
1	Providing renewal coat in Ward No. 4	Sh. Shubash Chand Rana	M.B.No. 331 P.41 to 44	263398
2	R/M of chambaghat Bawra Road Sh:M/I from Chambaghat to PNB	Sh. Shubash Chand Rana	Mb No. 331 P 38 to 41	128683
3	R/M of Road & path at Adarsh Vihar nea Neeruk Thakur Ward No. 1	Sh. Varinder Thakur	MB No. 331 P 66 to 68	171979
4	C/O Path from Pine estate to vidya Devi House in W.No. 1	Sh. Bhupinder Thakur	MB No. 331 Page 76 to 80	232936
5	C/O R/Wall bellow children Park Near Newly constructed S.tank in Ward No. 2	Sh. Vivek Dhobal	MB No. 331 Page 88 to 89	159337
6	R/M of Path/Steps Subathu road Singla House to Paras in Wrd No.1	Sh. Varinder Thakur	MB No. 331 P.69 to 70	242901

अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख/सूचना आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

55 अंकेक्षण को ₹182.97 लाख के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना (वाउचर संख्या 3/3 दिनांक 04/18)

नगर परिषद द्वारा C/O of house and community hall centre using prefeb technology under IHSDP (6th running bill) हेतु ₹18296665 का भुगतान Synergy Thrislington नामक कम्पनी को किया गया था जिसका अंकेक्षण करने हेतु नगर परिषद से निम्नलिखित सूचना/अभिलेख प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक अपेक्षित अभिलेख व सूचना प्रस्तुत नहीं की गई जोकि गम्भीर अनियमितता हैः–

(क) सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस योजना के निष्पादन हेतु जारी सम्पूर्ण दिशा निर्देश, स्वीकृत राशि एव निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित समय अवधि सम्बन्धी दस्तावेज

(ख) सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता एवं लेखा पाल द्वारा चर्चा के दौरान अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त निर्माण कार्य सम्बन्धित कम्पनी द्वारा विभिन्न चरणों में पूर्ण करके नगर परिषद द्वारा सम्बन्धित कम्पनी को प्रत्येक चरण की समाप्ति के उपरान्त कुल आबंटित राशि का निश्चित % भाग का भुगतान परिषद के तकनीकी विभाग द्वारा प्रत्येक चरण पूर्ण होने सम्बन्धी तथ्य के सत्यापन के पश्चात किया जाना था परन्तु इस सन्दर्भ में भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिशा निर्देश तथा अपेक्षित पूर्णता प्रमाण पत्र एवं निर्धारित भुगतान प्रतिशतता सम्बन्धी सूचना कई बार आग्रह के पश्चात भी प्रस्तुत नहीं की गई।

(ग) इसके अतिरिक्त माप पुस्तिकाओं (339 तथा 326) में इस कार्य के निष्पादन से सम्बन्धित detailed measurements दर्ज नहीं थी तथा भुगतान से सम्बन्धित केवल निम्न विवरण दर्ज थाः–

(1) Mobilization advance against bank guarantee = 5%
(2) On completion of plinth level =20%
(3) On completion of fabrication of steel structure = (5 th चलित बिल 15%) तथा (6 th चलित बिल 20%)
(4) On completion of flooring I/C slab, water supply sanitary and electric installation = 15%

माप पुस्तिका 339 (पृष्ठ संख्या 66 से 67) मे दर्ज विवरण के अनुसार 5th चलित बिल तक ₹39482276 (96298235 का 41%) का भुगतान सम्बन्धित फर्म को कर दिया गया था।

6th चलित बिल तक कुल भुगतान ₹57778941 (96298235 का 60%) बनता था। इस बिल में सम्बन्धित फर्म को ₹18296665 (57778941 – 39482276) का भुगतान किया गया था। अतः वर्णित अभिलेख एवं माप पुस्तिकाओं में detailed measurements के अभाव में उपरोक्त भुगतान का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

उपरोक्त अनियमितताएं अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 28 दिनांक 19.11.19 द्वारा नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख/सूचना आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

56 वाहन Log book के रख–रखाव सम्बन्धी अनियमितताएं

वाहनों की Log Books के test check के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

(क) वाहन संख्या एचपी–14 ए–5030 में ₹0.04 लाख के मूल्य का डीजल कम carry forward करना

चर्चा के दौरान अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि वाहन के डीजल टैंक की कुल क्षमता 60 लीटर है एवं माह के अन्त में इसे पूर्ण रूप से भरा जाता है तथा इस प्रकार आगामी माह में डीजल का आरम्भिक शेष 60 लीटर carry forward किया जाना अपेक्षित था परन्तु परिषद द्वारा निम्न विवरण के अनुसार डीजल की मात्रा 120 लीटर के स्थान पर 60 लीटर ही carry forward की गई जिसके कारण ₹3660 (1836 (32 x 57.36). 1824 (28 x 65.13) मूल्य का डीजल कम carry forward किया गया था जोकि अनियमित है जिसका या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹3660 की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से सुनिश्चित करके परिषद निधि में जमा करवाई जाएः–

दिनांक	अन्तिम तिथि को जितना डीजल भरवाया गया (लीटर में)	क्षमता के अनुसार टैंक को पूर्ण रूप से भरने के पश्चात जितना डीजल होना तथा आगामी माह में carry forward किया जाना अपेक्षित था (क) (लीटर में)	जितना अन्तिम शेष आगामी माह में carry forward किया गया (ख) (लीटर में)	जितना शेष कम carry forward किया गया (क–ख) (₹)
31.5.17	42	60	28	32 x 57.36=1836
30.4.18	20	60	32	28x65.13=1824
		कुल योग	**60**	**3660**

(ख) वाहन की औसत तेल खपत की गणना में पाई गई अनियमितता

वाहन लॉग बुक के टेस्ट चैक के दौरान पाया गया कि वाहन की औसत तेल खपत की सही गणना नहीं की जा रही थी क्योंकि आगामी माह में पूर्व माह की शेष डीजल की मात्रा अनुमान के आधार पर carry forward की गई प्रतीत होती है जबकि उपरोक्त उप पैरा (1) में चर्चा के दौरान सूचित किया गया कि माह के अन्त में वाहन का टैंक पूर्ण रूप से डीजल से भरवाया जाना है ताकि वाहन के डीजल टैंक की पूर्ण क्षमता के बराबर डीजल की मात्रा आगामी माह के आरम्भिक शेष के रूप में carry forward की जा सके तथा उसके अनुसार माह के दौरान डीजल की वास्तविक खपत का बोध/औसत की गणना की जा सके परन्तु निम्न प्रकरणों/वाहनों में वर्णित विवरणानुसार ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी। इसके अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी से निम्न वाहनों की औसत तेल खपत भी निर्धारित नहीं करवाई गई थी । वर्णित अनियमितता के चलते लॉग बुक में वास्तविकता की अपेक्षा अनुमान के आधार पर carry forward की गई डीजल की मात्रा एवं तदानुसार वाहन की औसत तेल खपत की गणना के सही होने की पुष्टि अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए या तो अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापित करवाई जाएः–

वाहन संख्या :- HP-14A-5030

माह	डीजल का carry forward किया गया शेष (ली0)	औसत (ली0)	माह	डीजल का carry forward किया गया शेष (ली0)	औसत (ली0)
4/17	34	8.70	4/18	----	9.32
5/17	---	9.25	5/18	1	9.48
6/17	41	9.6	6/18	27	9.60
7/17	43	9.5	7/18	42	9.55
8/17	13	9	8/18	20	9.50
9/17	34	9.17	9/18	11	9.52
10/17	41	9.12	10/18	32	9.56
11/17	21	9.25	11/18	12	9.50
12/18	27	9.15	12/18	60	9.92
01/18	9	9.14	01/19	60	7.59
02/18	17	9.28	02/19	60	8.58
03/18	16	9.22	03/19	50	8.90

वाहन संख्या :- HP-14A-7168

माह	डीजल का carry forward किया गया शेष (ली0)	औसत	माह	डीजल का carry forward किया गया शेष (ली0)	औसत (ली0)
4/17	--	3.25	4/18	55	3.50
5/17	70	3.63	5/18	--	3.42

6/17	--	3.10	6/18	60	3.38
7/17	--	3.17	7/18	--	3.71
8/17	--	3.64	8/18	--	4.17
9/17	--	4.12	9/18	--	3.76
10/17	25	3.82	10/18	--	3.29
11/17	40	3.30	11/18	70	3.98
12/18	45	3.15	12/18	--	4.03
01/18	--	3.45	01/19	32	4.26
02/18	--	3.32	02/19	70	4.54
03/18	--	3.40	03/19	71	

(iii) अन्य मिश्रित अनियमितताएं

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि लॉग बुक (एच0पी0–14ए–7168) में माह 10/17 तथा 04/18 से सम्बन्धित यात्रा व तेल की प्रविष्टियाँ सत्यापित नहीं की गई थी जिसके कारण इन प्रविष्टियों की विश्वसनीयता पर भी संदेह उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त दिनांक 14.04.18 को परिषद के वाहन (वाहन संख्या एचपी–14ए–5030) का प्रयोग परिषद से सम्बन्धित उद्देश्य हेतु न करके अन्य उद्देश्य हेतु किया गया था, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश भी अवलोकन हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापित करवाई जाए।

उपरोक्त अनियमितताएं कई बार मौखिक रूप से तथा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 45 दिनांक 10.12.19 द्वारा नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

57 अंकेक्षण में अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह के पश्चात भी निम्नलिखित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में वर्णित मदों का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

(i) अचल सम्पत्ति पंजिका (Immovable Property register) प्रस्तुत न करना

Municipal Act 1994 के नियम 57 (3) में विहित निर्देशों के अनुसार परिषद द्वारा अचल सम्पत्ति पंजिका का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है जिसमें परिषद की विभिन्न अचल सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण दर्ज हो। अंकेक्षण के दौरान कई बार मौखिक रूप से एवं ज्ञापन संख्या 3 दिनांक 04.10.19 द्वारा यह पंजिका अवलोकन हेतु प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था परन्तु यह अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ii) रसीद बुकों सम्बन्धी सूचना/अभिलेख

अंकेक्षण के दौरान रसीद बुकों के क्रय, उपयोग एवं शेषों के सन्दर्भ में जानकारी एवं सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर कई बार मौखिक आग्रह एवं अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 5 दिनांक 23.10.

19 द्वारा प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक यह जानकारी/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

(iii) विज्ञापन पट्ट (hoarding) शुल्क प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि कि माह 03/19 में परिषद को ₹1027613 hoarding charges के रूप में एक निजी फर्म से प्राप्त हुए थे जिसे परिषद परिक्षेत्र में hoarding सम्बन्धी ठेका आबंटित किया गया था। अंकेक्षण ने ज्ञापन संख्या 32 दिनांक 27.11.19 द्वारा इस ठेके के सन्दर्भ में सम्पूर्ण जानकारी (ठेके से सम्बन्धित राशि/दस्तावेज, बकाया राशि, शेष राशि आदि) मांगी गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक यह सूचना प्रस्तुत नहीं की गई।

(iv) आय/प्राप्तियों से सम्बन्धित अभिलेख

कई बार मौखिक एवं लिखित आग्रह (ज्ञापन संख्या 33 दिनांक 30.11.19, 36 दिनांक 30.11.19 तथा 52 दिनांक 12.12.19) के पश्चात भी निम्न तालिका में दर्शाई गई प्राप्तियों से सम्बन्धित अभिलेख (रसीदें सम्बन्धित दस्तावेज आदि) अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए।

(ज्ञापन संख्या 33 दिनांक 30/11/19)

दिनांक	शीर्ष	राशि (₹)
15/3/2018	Sale of Water	3000
15/3/2018	Sale of Water	3000
15/3/2018	Sale of Water	3000
23/3/2018	Sale Of Water	952
26/3/2018	Sale of Water	1677
31/3/2018	Sale of Water	2056
31/3/2018	Sale of Water	388
31/3/2018	Sale of Water	2009
31/3/2018	Sale of Water	25796
2/3/2019	Sale of Water	469
11/3/2019	Sale of Water	20175
26/3/2018	Sanitation Tax	25536
26/3/2018	Sanitation Tax	96028
29/3/2018	Sanitation Tax	3628
13/3/2019	Sanitation Tax	39297
	(ज्ञापन संख्या 36 दिनांक 30/11/19)	
9/3/2018	Un-Classified Income HDFC Bank	500
11/3/2018	Un-Classified Income HDFC Bank	1000
14/3/2018	Un-Classified Income HDFC Bank	500

15/3/2018	Un-Classified Income	1000
15/3/2018	Un-Classified Income IDBI	1000
17/3/2018	Un-Classified Income HDFC Bank	500
16/3/2018	Un-Classified Income HDFC Bank	1000
13/3/2018	Beneficiary Share IHSDP	6000
24/3/2018	Beneficiary Share IHSDP	25000
30/3/2019	Beneficiary Share IHSDP	500
6/3/2019	Un-Classified Income H.D.F.C Bank	1000
12/3/2019	Un-Classified Income IDBI Bank	10000
12/3/2019	Un-Classified Income H.D.F.C Bank	1000
13/3/2019	Un-Classified Income H.D.F.C Bank	4500
15/3/19	Un-Classified Income H.D.F.C Bank	2000
21/3/2019	Un-Classified Income H.D.F.C Bank	500
23/3/2019	Un-Classified Income H.D.F.C Bank	500
25/3/2019	Un-Classified Income SBOP	2700
25/3/2019	Un-Classified Income SBOP	2700
26/3/2019	Un-Classified IncomeH.D.F.C Bank	500
27/3/2019	Un-Classified Income H.D.F.C Bank	500
31/3/2019	Un-Classified Income H.D.F.C Bank	1000
	(ज्ञापन संख्या 52 दिनांक 12/12/19)	
14/3/2019	Building rent	13245
18/3/2019	Building rent	39184
15/3/2018	Trade license	1000
26/3/2019	CPF interest	19950

(v) सक्षम प्राधिकारी द्वारा आय/शुल्क प्राप्ति हेतु निर्धारित दरों से सम्बन्धित अभिलेख/सूचना

नगर परिषद में सक्षम प्राधिकारी/हाउस द्वारा निम्न विवरणानुसार आय एवं विभिन्न शुल्कों की प्राप्ति हेतु निर्धारित दरों पर उपभोक्ताओं से वसूली की जाती है। निम्न तालिका में दर्शाये गए दरों से सम्बन्धित अभिलेख कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी अवलोकन हेतु

प्रस्तुत नहीं किए गए जबकि अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 52 दिनांक 12.12.19 द्वारा भी इस सन्दर्भ में अनुरोध किया गया था।

क्रम संख्या	शीर्ष	जिस रेट पर वसूली की गई थी (₹)
1	परिषद हाल का किराया	5000/- प्रतिदिन
2	परिषद हाल किराये पर लेने हेतु प्रतिभूति	5000/-
3	लान का किराया	1500/- प्रति दिन
4	कमरे का किराया	300/- प्रति दिन
5	Compounding शुल्क	9442/- प्रति मीटर
6	Conservancy शुल्क	9400/- प्रति मीटर
7	Water connection फॉर्म शुल्क	10/- प्रथम तथा 50/- दूसरा
8	Copying शुल्क	10/- प्रति copy
9	Water connection शुल्क	400/- प्रथम तथा 500/- दूसरा
10	जल प्रभार (वर्ष 2018-19)	18.15/- प्रति एक हजार लीटर

(vii) परिषद द्वारा चर्चा के दौरान अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि किराये पर देते समय परिषद हाल के किराये के साथ ₹5000 प्रतिभूति राशि की वसूली भी की जाती है ताकि किसी हानि की स्थिति में इस राशि में से वसूली की जा सके परन्तु निम्न प्रकरण में प्रतिभूति राशि की वसूली नहीं की गई थी जोकि अनियमित है। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाये तथा भविष्य में वर्णित अनियमितता की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाये ताकि परिषद के हित पूर्णत सुरक्षित रह सकेः–

रसीद संख्या/दिनांक	राशि (₹)	टिप्पणी
038 (805)/19.03.18	15800	प्रतिभूति सम्बन्धी राशि की वसूली नहीं की गई।

(vii) कई बार मौखिक एवं अधियाचना संख्या 27 दिनांक 19.11.19 द्वारा लिखित आग्रह के पश्चात भी अंकेक्षण अवधि के दौरान Solid waste management plant, Salogra से खाद के बिक्री/प्राप्त आय तथा plant पर हुए व्यय से सम्बन्धित अभिलेख अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि अनियमित है।

अतः उपरोक्त अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा सम्बन्धित अपेक्षित अभिलेख अब आगामी अंकेक्षण के दौरान अद्यतन (update) करके सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

58 स्टोर/स्टॉक का वार्षिक भौतिक सत्यापन न करना

अंकेक्षण के दौरान कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से आग्रह करने के पश्चात भी स्टोर/स्टॉक के भौतिक सत्यापन करवाए जाने से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं

किया गया जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि नगर परिषद द्वारा स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन नियमित रूप से नहीं करवाया जा रहा है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 140 तथा 141 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन प्रत्येक वर्ष करवाया जाना अनिवार्य है जिसके अभाव में न तो स्टोर/स्टॉक में उपलब्ध उपयोगी वस्तुओं की वास्तविक स्थिति का बोध होता है तथा न ही विभिन्न अनुपयोगी वस्तुओं का समय पर नियमानुसार निस्तारण (disposal) किया जा सकता है। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

59 रजिस्टरों को Inventory Register में दर्ज न करना

विभिन्न रजिस्टरों की पड़ताल करने पर पाया गया किसी भी रजिस्टर को मुख्य स्टोर से जारी करते समय Inventory Register में दर्ज नहीं किया गया था जिसके अभाव में नगर परिषद में उपयोग में लाये जा रहे विभिन्न रजिस्टरों बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। अतः परिषद के सभी स्टोर/स्टॉक रोकड़ बहियों, अन्य विविध रजिस्टर्स को inventory Register में दर्ज करके तथा उन पर Inventory No. लिखकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

60 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई थी अपितु सभी लघु आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान स्थल पर ही निपटारा कर लिया गया था।

61 **निष्कर्षः—** लेखों तथा लम्बित अंकेक्षण पैरों के निस्तारण हेतु ठोस कार्यवाही करने की नितान्त आवश्यकता है।

(हेमराज भारद्वाज)
संयुक्त निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009.
फोन नं0–0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः–फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(II) 4/73 खण्ड–7 दिनांक , शिमला–171009.
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

1. निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला–2. को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिये निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत

2. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद सोलन, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित

कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर अंकेक्षण की प्राप्ति के एक माह के भीतर इस विभाग को भेजें।

(हेमराज भारद्वाज)
संयुक्त निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009.
फोन नं0–0177–2620881